द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ३१

मंगलवार, २८ मार्च, १९६१
७ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५३ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ३१—४०—२८ मार्च से १० अप्रैल, १९६१/७ से २० चैत्र १८८३ (शक)

अंक ३१—मंगलवार, २८ मार्च, १९६१/७ चैत्र १८८३ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ और ११३८ से ११४४	३६२३–४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ और ११४५, ११४६ और ११४८ से ११७३	३६४३–५६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ से २४४४ और २४४६ से २४६७	३६५६–९३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३६९३–९५
ढिलवां में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लग जाने से बर्बादी	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३६९५–९६
प्राक्कलन समिति	
एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन	३६९६–९७
रुद्रसागर में तेल के कुएं के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	३६९७–३७००
विधेयक पुरःस्थापित किये गये	३७००
१. दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक।	
२. अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक।	
उड़ीसा का आयव्ययक १९६१–६२—सामान्य चर्चा	३७०१–१७
उड़ीसा सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगें, (१९६१–६२)	३७१७–१९
उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक–पुरः स्थापित और पारित	३७१९–२०
अनुदानों की मांगे	३७२०–२७
गृह-कार्य मंत्रालय	३७२०–२७
पूर्वी श्रेत्रीय परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३७२८–२९
दैनिक संक्षपिका।	३७३०–३६

अंक ३२—बुधवार, २९ मार्च, १९६१/८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७४, ११७८ से ११८१, ११८४ से ११८७, ११८९ से ११९२, ११९४ और ११७७	३७३७–६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७५, ११७६, ११८२, ११८३, ११८८, ११९३, ११९५ से ११९८ . . . . ३७६२–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६८ से २५११ और २५१३ से २५१९ . ३७६५–८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जलगांव में तेल के कारखाने में आग लगना . . . ३७८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७८९–९०

राज्य-सभा से सन्देश ३७९०

तार-विधियां (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३७९०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इकास्सीवां प्रतिवेदन ३७९१

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौदहवां प्रतिवेदन ३७९१

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर में शुद्धि . . . ३७९२

अनुदानों की मांगें ३७९१–३८५४

गृह-कार्य मंत्रालय ३७९१–३८२७

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३७२७–५४

दैनिक संक्षेपिका ३७५५–६०

अंक ३३—गुरुवार, ३० मार्च, १९६१/९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२०२, १२०४ से १२०६ और १२११ से १२१४ . . . . . ३८६१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०३, १२०७ से १२१० और १२१५ से १२२१ ३८८२–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२० से २५५८ . . ३८८७–३९०६

स्थगन प्रस्ताव

शासक दल द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का कथित दुरुपयोग ३९०६–०७

विषय सूची पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नवादा में इमारती लकड़ी के डिपो में आग लगना । . . ३९०८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३९०८–०९

प्राक्कलन समिति

एक सौ पन्द्रहवां और एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन . . ३९०९

अनुदानों की मांगें ३९०९–५५

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३९०९–३३

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . . ३९३४–५५

बीज उत्पादन निगम के बारे में आध घंटे की चर्चा . . ३९५५–५७

दैनिक संक्षेपिका ३९५८–६१

अंक ३४—शनिवार, १ अप्रैल १९६१/११ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२, से १३३२, १२३२ और १२३४ . ३९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३९८७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ और १२३५ से १२५६ . . ३९८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५५९ से २६२६, २६२८, २६३०, २६३२ से २६४२ और २६४४ से २६४६ . . . . ३९९७–४०३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोआ के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना . . ४०३४–३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०३६

राज्य सभा से सन्देश ४०३७

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ४०३७

प्राक्कलन समिति

एक सौ बीसवां और एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन . ४०३७

रुद्रसागर में तेल के कुएं संख्या १ के बारे में वक्तव्य . . . ४०३८–३९

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा का कार्य	४०४०
अनुदानों की मांगें	४०४०–८०
सिचाई और विद्युत् मंत्रालय	४०४०–७६
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	४०७७–८०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति	
इकासीवां प्रतिवेदन	४०८१
समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प	४०८१–९४
कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	४०९४–९७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	४०९४–९७
श्री शि० ला० सक्सेना	४४९७
दैनिक संक्षेपिका	४०९८–४१०४

अंक ३५--सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१/१३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ से १२५९, १२६१ से १२६४, १२६६, १२६७ और १२७० से १२७२	४१०५–२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	४१२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६५, १२६८, १२६९ और १२७३ से १२८४	४१३१–३८
अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ से २७०५	४१३८–६८

स्थगन प्रस्ताव—

बस्तर की स्थिति	४१६४–६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लिस्बन से सैनिकों को गोआ भेजा जाना	४१६७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१६७–६८
राज्य-सभा से सन्देश	४१६८

उड़ीसा राज्य-विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप से सभा पटल पर रखा गया	४१६८

विषय-सूची पृष्ठ

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ४१६८

लोक-लेखा समिति . . . ४१६८

पैंतीसवां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तीसवां प्रतिवेदन ४१६९

अनुदानों की मांगें . . . . . . ४१६९—४२११

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . . . . . ४१६९—४२१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४२१२—१७

अंक ३६—मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१/१४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८५, १२८६, १२८८ से १२९०, १२९३ से १२९६, १२९८, १२९९, १३०१ से १३०३ और १३०५ से १३०७ . ४२१९—४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८७, १२९१, १२९२, १२९७, १३००, १३०४ और १३०८ से १३१५ . . . . ४२४५—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७६७— . . ४२५२—७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नैपाल में त्रिशूली बाजार के कस्बे में स्थिति . . ४२७८

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . . ४२७८—७९

राज्य सभा से सन्देश ४२७९

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ४२७९

प्राक्कलन समिति—

एक सौ नौवां प्रतिवेदन और एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन . ४२७९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

तेईसवां प्रतिवेदन ४२७९

सदस्य के कथन को वाद-विवाद में से निकालना . . . ४२८०—८१

विशेषधिकार के प्रश्न के बारे में . . . . ४२८१—८२

अनुदानों की मांगें . . . . . . ४२८२—४३२७

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . . ४२८२—४३३४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४३३५—३९

अंक ३७—बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१/१५ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा राज्य ग्रहन ४३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ से १३२४ और १३५३ . . ४३४१—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३५२ और १३५४ से १३५६ . ४३६६—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से २८५२ . . . ४३७९—४४१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय उद्भव से व्यक्तियों को राशन कार्ड न दिये जाने के सम्बन्ध मे श्रीलंका सरकार का कथित निर्णय . . . ४४२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४४२१—२२

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन ४४२२

गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों के लाने ले जाने पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने के बारे मे वक्तव्य . . . . . ४४२२—२३

अनुदानो की मांगें—

पुनर्वास मंत्रालय . . . . . ४४२३—५०

परिवहन और संचार मंत्रालय . . . . ४४५१—७०

शिक्षण संस्थाओं को वाणिज्यिक ढंग पर चलाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४४७०—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४४७८—८४

अंक ३८—गुरुवार, ६ अप्रैल १९६१/१६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५७, १३५९, १३६०, १३६२ से १३६४, १३६६, १३६७ और १३६९ से १३७३ . . . . ४४८५—४५०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर-

तारांकित प्रश्न संख्या १३५८, १३६१, १३६५, १३६८ और १३७३ से १३८० . . . . . ४५०९—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २८५३ से २८९१ . . . ४५१५—३३

स्थगन प्रस्ताव—

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा एक भारतीय अधिकारी का अपहरण . ४५३३—३६

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४५३६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ४५३६–३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे मे ४५३७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ चौबीसवां तथा एक सौ तैंतीसवां प्रतिवेदन . . ४५३७

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर में शुद्धि . . . ४५३७

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५३८—६८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . ४५३८—६८

वक्तव्य में शुद्धि ४५५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४५६६—४६०२

अंक ३६—शुक्रवार ७ अप्रैल, १६६१/१७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ से १३८६, १३८८ से १३६१, १३६४, १३६५ और १३६७ से १३६६ . . . . . ४६०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८७, १३६२, १३६३, १३६६ और १४०० से १४०३ . . . . . ४६२७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६२ से २८६६, २६०१ से २६१६ और २६१८ से २६७२ . . . . . ४६३०—६८

स्थगन प्रस्ताव—

कच्छ की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश और भारतीय सेनाओं पर गोली चलाना . . . ४६६८—७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बाल पक्षाघात का रोग महामारी के रूप में फैलना . . ४६७०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७२–७३

सभा का कार्य . . ४६७३

लोक लेखा समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन ४६७३

विषय सूची

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति--

एक सौ सत्रहवां तथा एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन . ४६७४

अनुपस्थिति की अनुमति ४६७४-७५

समितियों के लिये निर्वाचन ४६७५-७६

१. प्राक्कनल समिति ४६७५

२. लोक लेखा समिति ४६७५-७६

लोक लेखा समिति--

राज्य सभा के सदस्यों के संबद्ध होने के बारे में प्रस्ताव . . ४६७७

अनुदानों की मांगें ४६७७--४७०६

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४६७७--८१

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४६८१--४७०६

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)

विचार करने का प्रस्ताव ४७०७--१९

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक--

(धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम् का) . . ४७१९--२१

विचार करने का प्रस्ताव ४७१९--२१

आधे घंटे की चर्चा ४७२१--२६

दैनिक संक्षेपिका ४७२७--३३

अंक ४०--सोमवार, १० अप्रैल, १९६१/२० चैत्र १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४०४ से १४१२, १४१४, १४१६, १४१७, १४१९, १४२१ और १४२२ . . . . . ४७३५--५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ४७५६-५७

प्रश्नो के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४१३, १४१५, १४१८, १४२० और १४२३ से १४३२ ४७५७--६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७३ से ३०३५ . . . ४७६५--९२

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . ४७९२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४७९२

कर्नल भट्टाचार्य के बारे मे वक्तव्य ४७९२-९३

जम्मू और काश्मीर युद्धविराम रेखा पर कथित दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४७९३-९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७९४

प्राक्कलन समिति--

एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ४७९४

अनुदानों की मांगें ४७९४–४८२७

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

कलकत्ते के विकास के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ४८२७–२९

दैनिक संक्षेपिका ४८३०–३४

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक सभा

मंगलवार, २८ मार्च, १९६१

७ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रूरकेला और दुर्गापुर के बारे में फ्रांसीसी और ब्रिटिश दलों की रिपोर्टें

†*११३६. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ७ दिसम्बर १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७५४ उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांसीसी और ब्रिटिश दलों की, जिन्होंने क्रमश: रूरकेला और दुर्गापुर का दौरा किया था, रिपोर्टों में की गयी सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इन रिपोर्टों में दिये गये सुझावों की जांच करने और उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य कहां तक पूरा हो चुका है ; और

(ग) भिलाई के लिए रूस से एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ प्राप्त करने की प्रस्थापना का क्या परिणाम निकला है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) और (ख). फ्रांसीसी दल ने यह सिफारिश की है कि रूरकेला कारखाने में एक उत्पादन योजना विभाग और एक संगठन विभाग की स्थापना की जाये। इसी प्रकार से ब्रिटिश दल ने दुर्गापुर कारखाने में स्टोर्स, संगठन, कोयला स्टाक कार्य संगठन तथा प्रबन्ध आदि के सम्बन्ध में शिफारिशें की है। सम्बन्धित परियोजनाओं द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विशेषज्ञों की सेवा के लिये रूसी सरकार को लिख दिया गया है। वहां से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश विशेषज्ञों को विशेषतया फ्रांसीसी विशेषज्ञों को कौन कौन से विशिष्ट मामले सौंपे गये थे ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : उन्हें कौन सा विशेष मामला नहीं सौंपा गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश लोगों को इस्पात उत्पादन के कार्य में पर्याप्त अनुभव प्राप्त है, हिन्दुस्तान स्टील के बारे में उन्हीं से परामर्श लेना अच्छा समझा गया है।

†**श्री मुरारका** : क्या विशेषज्ञ दलों ने केवल प्रबन्ध और लेखा बन्धन के सम्बन्ध में ही सिफारिशें की हैं, या कि उन्होंने इस्पात कारखानों के मूल ढांचे के सम्बन्ध में भी कोई सुझाव दिये हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं और वे हिन्दुस्तान इस्पात निगम के विचाराधीन हैं।

†**श्री मुरारका** : मैंने यह तो पूछा ही नहीं था। मैं यह जानना चाहता था कि क्या उन्होंने कारखानों के मूल ढांचे के सम्बन्ध में भी कोई सिफारिश की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक सरकार इस रिपोर्ट पर विचार नहीं कर लेती तब तक मैं इस के ब्यौरों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री मुरारका** : इस रिपोर्ट को पेश किए हुए बहुत समय हो गया है और यह कहा जाता है कि इन में से एक रिपोर्ट में ब्रिटिश दल ने यह कहा है कि कारखाने के ढांचे में कुछ एक मूल त्रुटियां हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : भले ही इस रिपोर्ट में लाखों बातें कही गई हैं परन्तु जब यह रिपोर्ट हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी को पेश की गई है तो उस द्वारा तथा सरकार द्वारा उस रिपोर्ट पर विचार करना आवश्यक है और विचार करने के बाद मंत्री महोदय उसे सभा पटल पर रख देंगे। माननीय सदस्य सम्भवतः इस मिथ्या भ्रान्ति में हैं कि किसी भी अधिनियम को अन्तिम रूप देने से पहले सरकार को संसद से पहले ही अनुमति ले लेनी चाहिये परन्तु यह विचार गलत है। हम अंग्रेजी रीति का अनुसरण कर रहे हैं अर्थात सरकार पहले स्वयं निर्णय करती है और उस के बाद उस निर्णय को संसद में प्रस्तुत करती है; यदि सभा सदस्यों का इस बारे में कोई मतभेद है तो वे अपने विचार संकल्पों के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं और सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उन संकल्पों को देखते हुए अपनी नीति में संशोधन करें। हम कुछ सीमा तक इस रीति से भिन्न भी कार्य करते हैं परन्तु हर मामले में भिन्नता नहीं अपनाई जा सकती।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : इसमें कुछ अन्तर भी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अन्तर है ? क्या हम अंग्रेजी रीति का पालन कर रहे हैं अथवा अमरीकन रीति का। अमरीकन रीति में सीनेट की अनुमति के पहले कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से अमरीकन रीति तो बिल्कुल भिन्न है। अतः हमारी स्थिति स्पष्ट है जब तक कोई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है तब तक मैं उस के ब्यौरों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने की

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुमति नहीं दे सकता । निर्णय करने के बाद सरकार उसे सभा पटल पर रख देगी उस के बाद सदस्य यदि चाहें तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । इंगलैण्ड के हाउस आफ कामन्स में इसी रीति का पालन किया जाता है । कभी कभी मैं अपनी ओर से रिपोर्ट पेश होने से पहले ही कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दे देता हूं उदाहरणार्थ मैंने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच रेल सम्पर्क के सम्बन्ध में कुछ एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी थी । परन्तु इस रीति को हम एक सामान्य रीति के रूप में नहीं अपना सकते ।

†**श्री मुरारका :** ये रिपोर्टें अभी तक विचाराधीन नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में तो सरकार ने कार्यान्विति भी आरम्भ कर दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि यह रिपोर्ट एक सार्वजनिक रिपोर्ट है और गोपनीय रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें यह कहना चाहिये कि वह रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जाय । और उस के बाद फिर सदस्य उस रिपोर्ट पर चर्चा कर सकते हैं । क्या माननीय सदस्य ने इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए सरकार से कहा है ।

†**श्री मुरारका :** जी हां, गत सत्र में निवेदन किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट सभा पटल पर क्यों नहीं रखी गई ।

†**श्री त्यागी :** मेरा निवेदन है कि आप इस मामले के सम्बन्ध में भी स्वविवेक को रक्षित रखें और किसी निश्चित नीति के सम्बन्ध में कोई वचन न दें क्योंकि कभी कभी कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं जहां आप के स्वविवेक का संसद् के लिए पर्याप्त लाभ हो सकता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं और वह यह है कि क्या किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि वह अध्यक्ष पद को निर्देश दे या उस के सम्बन्ध में तर्क वितर्क करे ।

†**श्री त्यागी :** मैंने तो केवल निवेदन मात्र किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** किसी भी व्यक्ति को व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है । पाकिस्तान रेल सम्पर्क के मामले के सम्बन्ध में मैंने कई प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी थी क्यों कि मैं यह महसूस करता था कि इतने महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई भी निर्णय करने से पहले सभा की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिये परन्तु मैं यह देखता हूं कि उस रियायत का कुछ अधिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है । मैं तो केवल कुछ एक विशेष मामलों में स्वविवेक की अनुमति दूंगा, यदि एक सामान्य रीति बन गई कि जब तक सभा अपनी राय न देवें तब तक सरकार उस बारे में निर्णय नहीं कर सकती तो उससे कई कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी उदाहरणार्थ इन प्रश्नों के सम्बन्ध में सभी सदस्यों में एक मत नहीं हो सकता कि क्या किसी इस्पात कारखाने को इस स्थान पर स्थापित किया जाय या उस स्थान पर कुछ सदस्य किसी स्थान के बारे में सिफारिश करेंगे और कुछ अन्य सदस्य किसी और स्थान के बारे में । अतः मैं इस सम्बन्ध में यह बता देना चाहता हूं कि यह नहीं समझना चाहिये कि मैं उपयुक्त मामलों में स्वविवेक का प्रयोग नहीं करूंगा ।

†**श्री मुरारका :** क्या मंत्री महोदय इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: ये दोनो रिपोर्टें जो कि हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी द्वारा तैयार करवाई गई थी, इस समय उस के विचाराधीन हैं और इस्पात उद्योग की इस विकासशील अवस्था में इस बात का निर्णय हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी को ही करना है कि वह कितना भाग स्वीकार करे अथवा न करे। हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी ही इन सिफ़ारिशों पर विचार करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार और प्रविधिक कर्मचारियों के उपलब्ध हो जाने पर उन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करेगी। अतः इस समय सम्पूर्ण रिपोर्ट को सार्वजनिक परीक्षण के लिये प्रकाशित करने के लिये सरकार उस कम्पनी से नहीं कह सकती क्योंकि यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिस का सम्बन्ध हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी और अन्य देशों के विशेषज्ञों से है और मामला अभी उन दोनों के बीच में ही है। अतः मेरा निवेदन है कि जब तक हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी इस बारे में निर्णय नहीं कर लेती और वह अपना निर्णय सरकार को नहीं बता देती तब तक ऐसे ही रहने दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी द्वारा यह समिति नियुक्त की गई थी या कि यह समिति सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं। हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी द्वारा मूल संगठन तथा उत्पादन योजना के सम्बन्ध में कुछ एक मामलों पर विचार करने के लिये फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। और उन्हीं विशेषज्ञों ने जिन्हें इस सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त है, इन मामलों पर विचार किया था। वास्तव में इस विकासशील अवस्था में हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी अधिक अनुभवी लोगों के अनुभव से लाभ उठाना चाहती थी। यह सभी मामले वास्तव में साधारण प्रक्रिया के मामले हैं इसलिये उन पर विचार करने का काम हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी का ही है, वह इन रिपोर्टों पर विचार करने के उपरान्त इस बारे में अपना निर्णय सरकार को बता देगी। उस समय हम यह निर्णय करेंगे कि क्या हम उन सिफारिशों को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं अथवा हम उस कम्पनी से कह देंगे कि वह अपनी रिपोर्ट सभा पटल पर रख दे।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : ऐसे मामलों में होता यह है कि प्रेस को सारी रिपोर्ट नहीं जाती परन्तु संसद्-सदस्य उस जानकारी से वंचित रह जाते हैं। इस में कोई भी सरकारी नीति अथवा गोपनीय बात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में कोई सरकारी नीति नहीं है। इस सभा के प्रत्येक सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि यह कारख़ाना कैसे चल रहा है। पर, यदि उस में कोई बात गोपनीय है, तो उस स्थिति में स्वयं माननीय मंत्री को यह कहने की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि अमुक अमुक भाग गोपनीय हैं। मैं इसी बात पर जोर दूंगा कि इस प्रकार की प्रत्येक रिपोर्ट को सभा-पटल पर अवश्य रखा जाये। ताकि माननीय सदस्य भी इन रिपोर्टों का अध्ययन कर सकें अतः माननीय मंत्री से मेरा यही कहना है कि वह इन रिपोर्टों को शीघ्र अति शीघ्र सभी पटल पर रक्खे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : माननीय मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि यह विशेषज्ञ दल कुछ एक सामान्य प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सुझाव दे रहे हैं। परन्तु दुर्गापुर कारखाने के सम्बन्ध में सिफारिश करने वाला यह दल कोलम्बो योजना के अधीन एक ब्रिटिश दल था और मैं नहीं समझता कि उस दल ने केवल सामान्य प्रक्रिया के सम्बन्ध में जांच की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का निर्णय सभा करेगी ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : पिछले सत्र में उस प्रश्न के उत्तर में बड़ा अजीब सा जवाब दिया गया था । उस समय यह कहा गया था कि इन रिपोर्टों पर विचार करना और उन्हें कार्यान्वित करना एक निरन्तर जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है । क्या उन विशेषज्ञों को कोई विशेष मामले सौंपे गये थे या कि वह एक ऐसी स्थायी समिति है जोकि सदा ही इन मामलों पर परामर्श देती रहेगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं यह इस समय नहीं बता सकता कि क्या उन्हें कोई विशेष मामले सौंपे गये थे या नहीं, परन्तु क्योंकि उन्हें इस्पात उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ अधिक अनुभव प्राप्त था, इसीलिये उन्हों ने दुर्गापुर में जा कर कई बातों की जांच की थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं इस समय वह तिथि नहीं बता सकता ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : पिछले साल के अन्तिम दिनों में संभवत: तीसरे या चौथे सप्ताह में वह रिपोर्ट हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी के हाथों में पहुंच गई थी । उस के बाद वह कम्पनी उस रिपोर्ट पर विचार कर रही है और उसे कार्यान्वित करने का यत्न कर रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे २५ अप्रैल तक उस रिपोर्ट को सभा-पटल पर रख दें ताकि माननीय सदस्य भी उसे पढ़ सकें और अपने सुझाव दे सकें । जब तक इस में कोई बहुत अधिक गोपनीय बात न हो, उस स्थिति में यदि माननीय सदस्यों द्वारा भी उस रिपोर्ट पर विचार किया जाये तो उस में कोई आपत्ति नहीं है । वह रिपोर्ट आ जाने के बाद मैं माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा । माननीय मंत्रियों को यह चाहिये कि वे सभा को विश्वास में लिया करें । मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के सभी मामलों में सभा को ज्ञात होना चाहिये कि सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है ।

इस्पात पुनर्बेलन कारखाने

\+

†*११३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों में, जहां पुनबलन कार खाने नहीं हैं अथवा कम हैं, नये कारखाने खोलने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां अभी तक पुनर्बेलन कारखाने नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : श्री नथवानी :

†श्री नाथवानी : इन पुनर्बेलन कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गय हैं !

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : इस समय देश के विभिन्न भागों में कुल १७० पुनबलन कारखाने हैं । उन में से कुछ एक बिलट के द्वारा चल रहे हैं । बिलट के संभरण की स्थिति के सुधार के संबंध में कोई आशा नहीं इसलिये लक्ष्य इस संबंध में निर्धारित नहीं किया गया है । यह तो बिलट और इस्पात के टुकड़ों की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

†श्री रामी रेड्डी : इन नये पुनर्बेलन कारखानों में किस प्रकार की सामग्री के उत्पादन की आशा है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं ने पहले ही बता दिया है कि मामला अभी विचाराधीन है । जब तक यह निर्णय न कर लिया जाये कि पुनर्बेलन कारखानों की क्षमता को बढ़ाना है या नहीं तब तक तैयार की जाने वाली वस्तुएं के सम्बन्ध में बताना मुश्किल है । इन पुनर्बेलन कारखानों में इस समय किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है यह तो माननीय सदस्यों को ज्ञात है ।

†श्री मुरारका : माननीय सभा सचिव ने यह बताया है कि बिलट के संभरण की स्थिति के सुधार की कोई आशा नहीं है और इसलिये सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया । परन्तु वास्तव में कुछ समय पहले हम ने स्वयं जर्मनी को यहां से लोहे का निर्यात किया था क्योंकि उस समय हमारे यहां पुनर्बेलन संबंधी अधिक क्षमता नहीं थी अतः माननीय सभा सचिव यह कैसे कहते हैं कि यहां पर इस समय बिलट संभरण में वृद्धि की कोई आशा नहीं है जबकि देश में तीन इस्पात कारखाने चल रहे हैं और चौथा अभी स्थापित किया जा रहा है ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : पुनर्बेलन मिलों की वर्तमान निर्धारित क्षमता के अनुसार हम बिलट की मांग को पूरा नहीं कर सकते । इस समय पुनर्बेलन मिलों को एक चद्दर के हिसाब से बिलट का संभरण किया जा रहा है । और इन मिलों की निर्धारित क्षमता बिलट के संभरण की क्षमता से बहुत अधिक है ।

†श्री तिरुमल राव : विभिन्न राज्यों को आवंटन के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है । क्या सरकार राज्यों की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लेती है या कि इस संबंध में यही दिल्ली में ही निर्णय किया जाता है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : सरकार की यही इच्छा होती है कि अर्ध विकसित राज्यों को अधिक से अधिक सहायता दी जाये, परन्तु वह भी बिलट या इस्पात के टुकड़ों के संभरण की स्थिति पर निर्भर करता है ।

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : जिन राज्यों में अभी तक कोई भी पुनर्बेलन मिल नहीं हैं, उन में कुछ एक पुनर्बेलन कारखाने लगाने का विचार है । उन राज्यों के परामर्श से वहां वे कारखाने स्थापित किये जायेंगे ।

†श्री बालकृष्णन : किन किन राज्यों में और किन किन स्थलों पर पुनर्बेलन कारखाने लगाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : इसके उत्तर के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय मेरे पास वह जानकारी नहीं है ।

†श्री मुहम्मद इलियास : कच्ची सामग्री की कमी के कारण कलकत्ता और हावड़ा क्षेत्र में कई छोटे पैमाने के कारखाने बन्द हो रहे हैं । सरकार की नीति छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता करना है, अत: इन उद्योगों को कच्ची सामग्री संभरण के करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहां कुछ एक ऐसी पुनर्वेलन मिलें हैं जो कि बिलट के द्वारा चल रही हैं । दूसरी मिलें वे हैं जो कि पुनर्वेलन इस्पात टुकड़ों के द्वारा चलती हैं । मेरे पास इस समय वह जानकारी नहीं है जोकि माननीय सदस्य द्वारा मांगी जा रही है । परन्तु ऐसी अनेक पुनर्वेलन मिलें हैं जो कि स्थानीय उपलब्धि पर निर्भर करती हैं । यदि इस्पात के टुकड़े उपलब्ध हों तो वे अच्छी प्रकार से चल सकती हैं । और सम्भरण की कमी है तो उन्हें उत्पादन कम कर देना पड़ेगा ।

†श्री थानू पिल्ले : क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य को १०० टन की क्षमता का पुनर्वलन कारखाना निर्धारित किया गया है और क्या उस बारे में स्थिति वैसी ही है या कि उस विचार को बदल दिया गया है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि भविष्य में पुनर्वेलन मिलों की स्थापना का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री रघुनाथ सिंह : अब ११७ मिलों में से करीब आधी मिलें सिर्फ एक सूबे में हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र और सी ० पी० में सिर्फ ३ या ४ मिलें हैं जबकि थर्ड फाइव ईयर प्लान में आप कैपेसिटी इनक्रीज करने के वास्ते नहीं जा रहे हैं, तो यहां पर इनको खोलने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैंने ११७ नहीं कहा था, १७० कहा था ।

श्री रघुनाथ सिंह : १७० ही सही । यह भी खराब बात है ।

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को यह जानना चाहिये कि कुछ ऐसी रीरोलिंग मिल्स हैं जो बिलेट से चलती हैं और दूसरी स्क्रेप से चलती हैं । लेकिन बहुत सी ऐसी मिलें खड़ी हो गई हैं, जिनको चलाने की रिसपांसिबिलिटी हमारी नहीं है । हमने यह तय भी किया है कि पचास आदिमयों से कम.....

†श्री रघनाथ सिंह : परन्तु मेरा प्रश्न तो इससे भिन्न था ।

कई माननीय सदस्य उठे—

†प्रध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था इसलिये मैंने बहुत से अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है । माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में उस समय विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकेंगे जब माननीय मन्त्री यहां पर उपस्थित होंगे ।

दूसरी बात यह है कि यहां पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं । योजना के प्रभारी मन्त्री इसके जिम्मेवार हैं । अत: यदि योजना पूरी हो गई है तो वह सभी सदस्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

को परिचालित कर दी जायें ताकि वह बार बार इसके सम्बन्ध में प्रश्न न पूछें। योजना की एक प्रति अवश्यमेव परिचालित की जाये और उसे सभा पटल पर रख दिया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना को तय कर लिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : योजना को तय करने में एक महीने से कुछ अधिक समय लग जायेगा। उसके बाद उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे सत्र की समाप्ति से पहले सभा-पटल पर रखा जा सकेगा ताकि माननीय सदस्य उसके आधार पर प्रश्न पूछ सकें।

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम निश्चित रूप से वैसा ही करने का यत्न करेंगे।

अध्यापक

†*११३९. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यापन कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन कम होने के कारण प्रायः मध्यम और निम्न श्रेणी की योग्यता वाले व्यक्ति अध्यापन व्यवसाय अपनाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवासाय में ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सफलताएं प्राप्त की हों, सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) वेतन आदि ऐसे बढ़िया नहीं हैं कि सर्वोत्तम व्यक्ति सामान्यतया अध्यापन व्यवसाय को अपनायें।

(ख) निम्न कार्रवाई की गई हैं

(१) सब स्तरों पर वेतन में वृद्धि।

(२) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक और सैकेण्डरी स्कूल के अध्यापकों के वेतन आदि में वृद्धि के कारण होने वाला व्यय के ५० प्रतिशत तक राज्य सरकार की सहायता करना।

(३) काम की शर्तों को अधिक सन्तोषजनक बनाना;

(४) शिक्षा तथा व्यावसायिक सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ाने के लिये अधिक अवसर देना।

(५) सामाजिक दर्जे में वृद्धि अध्यापकों के लिये राष्ट्रीय पारितोषक और राज्यों के उत्सवों में उन्हें निमन्त्रण दिया जाना।

(६) तीसरी योजना में प्राथमिक और सैकेण्डरी के अध्यापकों के योग्य बच्चों को मैट्रिक से अधिक अध्ययन करने के हेतु छात्र वृत्तियां देने के लिये उपबन्ध किया गया है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वज़ारते तालीम ने ऐसा कोई सरवे किया है, जिससे यह जाहिर हो जाये कि पिछले चन्द सालों में हमारे कितने ही अच्छे उस्ताद और प्रोफ़ेसर बहुत मामूली तनख्वाह होने की वजह से इस काम को छोड़ कर और कामों में लग गये हैं और अगर यह बात ठीक है, तो हुकूमत ने इस को रोकने के लिये क्या काम किया है।

डा० का० ला० श्रीमाली : जो काम किया है, उसका ब्यौरा हाउस के सामने रख दिया गया है। यह सच है कि इस प्रोफ़शन में लोग लम्बे अरसे तक नहीं रहते हैं और जब उनको कोई अच्छी जगह मिलती है, तो वे वहां चले जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वी० चं० शर्मा:** भारत के कितने राज्यों ने ५० प्रतिशत वृद्धि का लाभ उठाया है जो सरकार ने प्राथमिक और सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ाने के लिये राज्यों को दी है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** प्राम: सभी राज्यों ने, किन्तु मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** मा० मन्त्री के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश राज्यों ने ५० प्रतिशत वृद्धि का लाभ उठाया है । तथापि, चूंकि प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के वास्तविक वेतन राज्यों के दूसरे अध्यापकों की अपेक्षा बहुत कम हैं, विशेष कर जहां स्थानीय प्राधिकारों के अध्यापक हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में इस ५० प्रतिशत का क्या अभिप्राय है और वह कितना वास्तविक धन खर्च कर रहे हैं और आपके ५० प्रतिशत से कितनी राशि का अभिप्रेत है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं सब राज्यों के बारे में विस्तृत सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखूंगा और मा० सदस्य स्वयं उसे देख सकते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब भारतसरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के चपरासियों तक की तन्ख्वाह और प्रदेशों में चपरासियों और रेलवे में खलासियों और पैट्रोलमैनों की तनख्वाह भी प्राइमरी अध्यापकों की तनख्वाह से ऊंची है, तो क्या भारत सरकार प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को उनसे भी निम्न श्रेणी का समझती है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : इस में दोनों का मुकाबला करना ठीक नहीं है । चपरासियों का काम भी ज़रूरी है और अध्यापकों का काम भी महत्वपूर्ण है, इसमें सन्देह नहीं है । गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की है । अगर माननीय सदस्य देखें, तो उनको मालूम होगा कि पिछले पांच छः सालों में सब रियासतों में तनख्वाहें काफ़ी बढ़ाई गई हैं । जब कोई अच्छा काम हो, तो उसकी सराहना भी होनी चाहिये ।

†**श्री तंगामणि :** क्या विभिन्न राज्य सरकारें प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को राज्य पारितोषिक देती हैं और कितने राज्यों ने यह पहले से दिये हैं, क्योंकि एक ऐसी सूचना थी कि मद्रास राज्य सरकार ने इस महीने की २४ तारीख को प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को पारितोषिक दिये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं देता । मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध अध्यापकों के वेतन आदि से है ।

†**श्री तंगामणि:** एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया है कि प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को भी पारितोषिक के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है । क्या उन अध्यापकों को विशिष्ट राज्य पारितोषिक दिये जाते हैं । यह प्रोत्साहन का एक सत्र है, क्योंकि अच्छे अध्यापक अध्यापन का व्यवसाय छोड़ रहे हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे पास यह सूचना नही है । मुझे राज्य सरकारों से यह सूचना प्राप्त करनी होगी ।

†**श्री तिम्मय्या:** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार तीसरी योजना में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा जारी करना चाहती है, क्या सरकार तीसरी और चौथी योजनायें भी बराबर के ये अनुदान देगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : तीसरी योजना बनाई जा रही है और अन्तिम रूप में तैयार होने वाली है। चौथी योजना का अभी विचार भी नहीं किया गया और माननीय सदस्यों को उसके बारे में तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्राथमिक शिक्षा के लिये राज्य सरकारों को वह सब राशि दे दी गई है जो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिये मांगी है।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवास की सुविधा अध्यापकों के लिये बड़ी आकर्षक होती है, क्या सरकार इस आशय के लिये कोई कार्रवाई कर रही है कि स्कूलों के समीप अध्यापकों के लिये रहने की बस्तियां बना दी जायं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार स्त्री अध्यापकों के लिये क्वार्टर बनाने के लिये विशेष अनुदान दे रही है। दूसरे क्वार्टरों के लिये कुछ ऋण दिये जाते हैं परन्तु इस मामले में प्रत्येक राज्य में तरीका भिन्न भिन्न है।

†डा० सुशीला नायर : जनगणना के आंकड़ों से जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ जाने का पता चलता है, इसे ध्यान में रखते हुए क्या तीसरी योजना के अन्त तक प्राथमिक श्रेणियों के सब बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव अभी मान्य है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : हां, श्रीमान्।

पिछड़े वर्ग

+

*११४०. श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों की कल्याण योजनाओं को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिये, एक केन्द्रीय समिति स्थापित करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, क्या इस बीच उस के बारे मे कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति के सदस्यों के नाम, इस के कार्य-क्षेत्र व कार्य प्रणाली आदि पर प्रकाश डालने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६]

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बध में अभी तक पिछड़े वर्गों के लिये जो कार्य होता रहा है, इस नई समिति के द्वारा वह काम किस तरह से होगा और उस की क्या विशेषता होगी।

†श्रीमती आल्वा : यह समस्या बहुत देर से मंत्रालय के सामने थी। जब प्राक्कलन समिति ने अपनी सिफारिश संख्या ४ में सुझाव दिया था कि एक से अधिक समिति होनी चाहिये। अब पिछले

†मूल अंग्रेजी में

सप्ताह ही केन्द्रीय समिति बना दी गई है और इस में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं। अतः अब समिति की बैठकें होगी और वह समन्वय का जितना काम कर सकेगी, करेगी।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी मुझे क्षमा करें, मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक जो कार्य हो रहा है, इस कमेटी के बन जाने से उसमें क्या विशेष सहूलियत होगी।

†श्रीमती आल्वा : समिति की स्थापना २२ मार्च को की गई थी, अतः मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं।

†श्री तिम्मय्या : इस समिति के ठीक क्या काम हैं ?

†श्रीमती आल्वा : समिति पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण की श्रेणी में आने वाली सब सेवायें प्रदान करेगी, जैसे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सरकार का ध्यान पिछड़े वर्गों के समारोह की ओर दिलाया गया है और रविवार को मद्रास में हुआ था और जिसमें संकल्प पारित किय गये थे ?

†श्रीमती आल्वा : अभी तक नहीं। यह पिछले रविवार को ही तो हुआ था।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या यह समिति अपना प्रतिवदन देगी यह स्थायी होगी ?

†श्रीमती आल्वा : समिति के काम करने तथा प्रतिवेदन देने के योग्य होने के पश्चात् ही हम प्रतिवेदन की बात सोचेंगे।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या सरकार ने अन्तिम रूप से फैसला कर लिया है कि अमुक प्रकार की जातियां पिछड़ी श्रेणियों में शामिल की जानी चाहियें और यदि हां, तो उनकी जन संख्या कितनी है तथा इस समिति को प्रतिवेदन पेश करने में कितना समय लग जायगा ?

†श्रीमती आल्वा : यह प्रश्न पूरक प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। तो भी, राज्य सरकारें इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं कि किन को पिड़ी श्रेणी में शामिल किया जाय।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : चूंकि सरकार पिछड़ी श्रेणियों के लि कुछ करने जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जातियां पिछड़े वर्गों में शामिल की गई हैं। हमें पता होना चाहिये कि किन को पिछड़े वर्ग माना जाता है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों की सूची बना ली है या —

†श्रीमती आल्वा : जी, नहीं। हम ने सूची नहीं बनाई।

†अध्यक्ष महोदय : क्या पिछड़े वर्गों की सूची की सिफारिश करना समिति का उत्तरदायित्व है ?

†श्रीमती आल्वा : जी, नहीं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या कोई सूची है। यदि यह समिति केवल सुविधायें प्रदान करने और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये सिफारिशें करने के लिये बनाई गई है, तो मा० सदस्य जानना चाहते हैं क्या पिछड़े वर्गों की सूची बनाई जा चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा** : यह समिति निम्न कार्य के लिये बनाई गई है । मैं वक्तव्य पढ़ दूंगी—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं । इस समिति को पिछड़े वर्गों को सुविधा यें प्रदान करने के प्रश्न पर अपने आपको प्रश्न करना होगा । जब तक समिति को यह पता नहीं होगा कि पिछड़े वर्ग कौन से हैं, तो यह कैसे काम कर सकती है ? विभिन्न पिछड़े वर्गों को विभिन्न प्रकार की उन्नति या सहायता की जरूरत होगी । यह जाने बिना कि कौन पिछड़े वर्ग में है समिति अपनी सिफारिशें कैसे दे सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर क्या है ?

†**श्रीमती आल्वा** : पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग आते हैं । पिछड़ेपन की परिभाषा अभी होनी बाकी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या पिछड़े वर्गों की कोई सूची बनाई गई है । अथवा केवल माननीय मंत्री का अनुमान है ।

†**श्रीमती आल्वा** : अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सूची है परन्तु पिछड़े वर्गों की कोई सूची नहीं है । संबंधित राज्यों ने अपने राज्यों के पिछड़े वर्गों की सूची बना ली है और उनको वे सहायता दे रहे हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या श्री विश्वनाथन् के सभापतित्व में बनाई गई समिति,समन्वय करने की स्थाई समिति है जो विभिन्न मत्रालयों द्वारा किये गये कल्याण कार्यों का समन्वय करने को लगातार बैठेगी ।

†**श्रीमती आल्वा** : सभापति के निर्णय के अनुसार ही समिति की बैठक समय समय पर होगी । समिति विशेषज्ञों को भी बैठक में बुला सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि समिति सरकार को परामर्श देने के लिये स्थायी समिति है अथवा एक तदर्थ समिति है ।

†**श्रीमती आल्वा** : जी हां, यह एक स्थायी समिति है ।

†**श्री थानू पिल्ले** : माननीय मंत्री के उत्तर में एक गलती स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । मैं समझता हूं कि पिछड़े वर्गों की सूची बनाई हुई है और हम उसी के आधार पर छात्रवृत्ति देते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या पिछड़े वर्गों की कोई केन्द्रीय सूची है ?

†**श्रीमती आल्वा** : जी, नहीं । पिछड़े वर्गों की कोई केन्द्रीय सूची नहीं है । अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सूची अवश्य है ।

†**श्री थानू पिल्ले**: क्या अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं और यदि हां, तो यह छात्रवृत्तियां किस सूची के आधार पर दी गई हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : विभिन्न राज्यों की सिफारिशों के आधार पर ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : पिछड़े वर्ग कौन से हैं इसका निर्णय किस आधार पर किया जाता है ? क्या उन अनुसूचित जाति के लोगों को जो हाल में ही बौद्ध हुए हैं, पिछड़े वर्गों में रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बहुत ब्योरे पूछ रहे हैं ?

†**श्री भक्त दर्शन** : पिछड़े वर्गों के बारे में बहुत वर्ष पहले काका साहेब कालेलकर जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और उस ने जो सिफारिशें की थीं उन पर इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्णय नहीं हो पाये हैं और इस बारे में अब एक समिति बनाई जा रही है। मैं जानना चाहता कि क्या जो रिपोर्ट उस समिति ने दी थी, उस को समाप्त कर दिया गया है ?

†**श्रीमती आल्वा** : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से भिन्न है। मुख्य प्रश्न केवल समिति की स्थापना के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या काका कालेलकर साहब के सभापतित्व में पिछड़े वर्गों की सूची बनाने के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था ।

†**श्रीमती आल्वा** : जी हां । परन्तु पिछड़े वर्गों का अभी आधार निश्चित नहीं किया गया है ।

†**श्री रंगा** : आपने कई बार सभा में आदेश दिया है कि राष्ट्रीय महत्व के आयोगों के महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जान चाहियें और सरकार को यह बताना चाहिये कि सरकार ने उस पर कोई निर्णय किया है अथवा नहीं । कई वर्ष हो जाने के बाद भी प्रतिवेदन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है और उस को सभा पटल पर नहीं रखा गया है। क्या सरकार उस को अब सभा पटल पर रखेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । पिछड़े वर्गों के लिय आयोग कुछ समय पहले नियुक्त किया गया था । प्रतिवेदन सर्व सम्मत नहीं था। स्वयं सभापति समिति की सिफारिशों से असहमत थे और भारत सरकार भी उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकी । इसलिये उन्होंने प्रतिवेदन के साथ साथ एक ज्ञापन भी दिया जिस में बताया गया था कि प्रतिवेदन को किस लिये स्वीकार नहीं किया जा सकता है । सरकार अब नये सिरे से विचार कर रही है कि पिछड़ेपन का निर्णय किस आधार पर किया जायेगा । सरकार ने दो तीन योजनाओं पर विचार किया और अब यह मामला राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया है । राज्य सरकारों ने अपनी सूची स्वयं बना ली है और हम कल्याण योजनाओं तथा मैट्रिक के बाद के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिए राज्य सरकारों की सूची को स्वीकार कर रहे हैं। वर्तमान समिति केवल केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के संबंध में है ।

†**श्री रंगा** : आप ने यह निर्णय कब किया था कि यदि आयोग के सदस्यों को मतैक्य न हो तो उस के प्रतिवेदन को सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिये ?

†**श्री दातार** : यह सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैसूर सरकार की सूची के अनुसार वहां की ९० प्रतिशत जनता पिछड़े वर्गों में आ जाती है, क्या सरकार इस बात को जानती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा मालूम होता है कि बहुत माननीय सदस्यों की रुचि इस प्रश्न में है । केन्द्र ने पिछड़ेपन के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं किया है । वह राज्य सरकारों की सिफारिशों के अनुसार काम करते हैं । श्री रघुनाथ सिंह माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहते हैं कि केवल ब्राह्मणों को छोड़ कर और सभी सम्प्रदायों को एक राज्य में पिछड़े वर्ग घोषित कर दिया गया है। क्या सरकार ऐसा जानते हुए भी राज्य सरकारों की सिफारिशों को स्वीकार करती रहेगी अथवा कुछ स्वयं भी विचार करेगी ?

†**श्री दातार** : मैं बताना चाहता हूं कि श्री रघुनाथ सिंह ने जो कुछ बताया है वह अंशत: सही है। मैसूर राज्य निश्चय ही एक ऐसा राज्य था जहां पर अधिकांश समुदायों को पिछड़ा हुआ मान लिया गया था। परन्तु राज्य सरकार ने अब एक समिति नियुक्त की है जो मामले पर विचार कर रही है। इस समिति का प्रतिवेदन मिल जाने पर मैसूर सरकार पिछड़ेपन का निर्णय करने के बारे में विचार करेगी।

†**श्री त्यागी** : क्या इसका निर्णय करने के बारे में पिछड़ेपन की परिभाषा प्रत्येक राज्य में अलग अलग है और केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा नहीं दी जा सकती थी ? बड़ी अजीब बात है।

†**श्री दातार** : श्री त्यागी द्वारा बताई गई बात अंशत: ठीक है क्योंकि पिछड़ेपन के बारे में विभिन्न राज्यों को विचार करना है। इस समय भी राज्यों में पिछड़े वर्गों की अलग अलग सूची है। हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जब सहायता का प्रश्न आता है तब हमारा सम्बन्ध उससे होता है और हम राज्य सरकारों का अनुकरण कर लेते हैं।

†**श्री त्यागी** : मैं यह कहना चाहता था कि पिछड़ेपन की परिभाषा अखिल भारतीय होनी चाहिए। परन्तु उनके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : आपने पिछले सत्र तथा उससे भी पिछले सत्र में कहा था कि आप इस प्रतिवेदन पर एक अनियमित दिन के प्रस्ताव को ग्राह्य करेंगे। परन्तु सरकार ने इस प्रतिवेदन पर चर्चा करना स्वीकार नहीं किया। क्या आप सरकार को बाध्य करेंगे कि इस प्रतिवेदन पर चर्चा हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : बड़ी कठिनाई है। माननीय सदस्यों के दो विचार हो जाते हैं। आय-व्ययक पर चर्चा के समय मैंने कहा था कि किसी शनिवार को बैठ कर इन प्रतिवेदनों पर चर्चा कर ली जाये।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं। शनिवार को हम बैठना नहीं चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब माननीय सदस्य शनिवार को नहीं बैठना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। छ: बजे के बाद बैठना असंभव है। ५ बजे के बाद भी ऐसा होता है कि केवल अध्यक्ष और मंत्री यहां रह जाते हैं शेष सदस्य धीरे धीरे उठ कर चले जाते हैं।

†**श्री त्यागी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री 'नहीं' कह चुके हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या सरकार पिछड़ेपन का निर्णय करने के लिए आर्थिक दशा पर भी विचार करेगी।

†**श्रीमती आल्वा** : जी हां, इसको भी एक आधार माना जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

+

१४१. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा चालू वर्ष के दौरान जो २२.१२ करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) एक वर्ष में इतनी बड़ी रकम व्यय करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अब तक क्या सफलतायें प्राप्त हुई हैं और निकट भविष्य में क्या सफलता प्राप्त होने की सम्भावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) मार्गोपाय स्थिति के हाल के मूल्यांकन के फलस्वरूप निगम ने अनुमान लगाया कि चालू वर्ष में १६.८३ करोड़ रुपये होगा और २२.१२ करोड़ रुपये नहीं होगा जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था। सभा पटल पर एक तुलनात्मक विवरण रखा जाता है जिसमें पहले और वर्तमान प्राक्कलन का ब्योरा है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ख) लगभग ८० प्रतिशत व्यय मशीनों और उपकरणों की खरीद के बारे में है जो कि नई खानों के तेजी से विकास के लिये आवश्यक है।

(ग) फरवरी, १९६० में उत्पादन के आधार पर, निगम द्वारा प्राप्त उत्पादन की वार्षिक दर १३०.७ लाख टन है। मार्च, १९६१ में यह आशा की जाती है कि १३५ लाख टन का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

†**श्री मुरारका** : विवरण से पता चलता है कि निगम द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष में मशीनों और उपकरणों पर १३.७० करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। ये मशीनें और उपकरण समूची योजना-वधि के लिये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि इन मशीनों और उपकरणों को योजना के अन्तिम वर्ष में खरीदने का क्या लाभ है और इन मशीनों और उपकरणों से उन नई खानों के विकास में किस प्रकार सहायता मिलेगी जो द्वितीय योजना काल में खोली जाने वाली थीं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: १३.७० करोड़ रुपये की रकम जो कुल व्यय का ८० प्रतिशत है, मशीनों और उपकरणों की खरीद के बारे में है। इन मशीनों और उपकरणों के लिये पहले के वर्षों में विदेशों को क्रयादेश दिये गये थे। ये मशीनें और उपकरण इस वर्ष प्राप्त हुईं **(अन्तर्बाधा)** अतः इसका भुगतान करना पड़ा। हमारी व्यवस्था के अनुसार इसका पहले भुगतान न किया जा सका। इस १३.७० करोड़ रुपये की रकम में ३.७ करोड़ रुपये की वह रकम भी शामिल है जो वर्ष १९६१–६२ में प्राप्त होने वाली मशीनों के लिये पेशगी दी गयी है।

†**श्री मुरारका** : प्रश्न यह नहीं है। जब कि इन मशीनों की समूची दूसरी योजना की अवधि के लिये आवश्यकता थी, इनको योजना के अन्तिम वर्ष में लेने का क्या लाभ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह बता दिया है कि इन्हें पहले प्राप्त करना असम्भव था।

†**श्री मुरारका** : जी, नहीं। इन्हें पहले लेना कैसे असम्भव था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने ऐसा ही कहा है ।

†**श्री मुरारका** : उन्होंने यह नहीं कहा । उन्होंने यह कहा है कि इस रकम का ८० प्रतिशत मशीनों और उपकरणों के आयात पर खर्च हो रहा है । प्रश्न यह है कि इसके पहले आयात करने का आयोजन था ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : इसका पूर्व के वर्षों में आयोजन था और करार के अनुसार, मूल्य का भुगतान तब करना था जब पूरा सामान आ जाये । अब उस करार के अनुसार मूल्य वर्ष १९६०–६१ में चुकाया जाना था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मूल्य के बारे में नहीं पूछ रहे हैं । वह यह पूछ रहे हैं कि इन मशीनों और उपकरणों की समूची द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यकता थी, तो वह केवल योजना के अन्त में क्यों हासिल की गयीं ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मशीनें और उपकरण यहां उस व्यवस्था के अनुसार प्राप्त हुयीं जो सम्भरणकर्ता कर सकते थे । अब मेरे पास उस व्यवस्था का ब्यौरा नहीं है जो योजना बनाने के समय से लेकर मशीनों के प्राप्त होने और उनका मूल्य चुकाने तक के समय तक की गयी । यदि वह ब्यौरा मेरे पास होता तो संभवत: माननीय सदस्य को यह संतोष हो जाता कि इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : विवरण से पता चलता है कि पिछले वर्ष रेलवे साइडिंग के लिये १ करोड़ रुपया अलग रखा गया था परन्तु वास्तव में हमने खर्च किया कुल ५ लाख रुपया, अर्थात् केवल ५ प्रतिशत खर्च किया गया । इसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेवार है और इस कमी के क्या कारण हैं क्योंकि रेलवे साइडिंग एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसके बगैर परिवहन में गतिरोध उत्पन्न हो जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : ऐसी बात नहीं है जैसा कि मेरे मित्र समझ रहे हैं । तथ्य यह है कि १ करोड़ रुपये की राशि जो छोड़ी गयी है उसकी कोयला खादानों में रेलवे साइडिंग के लिये पूर्व प्राक्कलनों में बचत की सम्भावना है जो कि अब रेलवे स्वयं बनायेगी । हिन्दुस्तान स्टील ने जिस रकम का हिसाब लगाया था वह अब रेलवे को हस्तांतरित कर दी गयी है और वे ही सहायता प्राप्त साइडिंग के खर्च का बोझ उठायेंगे । अत: इसमें यह कमी की गयी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट पढी है या नहीं जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि उत्पादन में कमी साइडिंग न बनने के कारण है । यदि सहायता प्राप्त साइडिंग भी हो, तो कोयला खानों को सहायता प्राप्त साईडिंग की लागत का ७०–८० प्रतिशत तक देना पड़ता है । अत: १ करोड़ में से कम से कम ८० लाख रुपये तो खर्च किये ही जाने चाहियें ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैंने केवल यह बात कही है कि साईडिंग सम्बन्धी खर्च को 'सहायता-प्राप्त साइडिंग' नामक शीर्ष के अन्तर्गत रेलवे को हस्तांतरित कर दिया गया है और इसलिये प्राक्कलनों में यह सब कमी की गयी है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : ये मशीनें और उपकरण किस देश से और किस सार्थ से आयात की गयीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : यह आयात विभिन्न देशों से किया गया । यह अमरीका, ब्रिटेन और कुछ जर्मनी से भी हुआ ।

†**श्री नथवानी** : प्रत्येक कोयला खान से जितना उत्पादन करने का सरकारी लक्ष्य था क्या वह पूरा कर लिया गया है, यदि नहीं, तो कौनसी कोयला खानों में यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : प्रश्न के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि जहां तक उत्पादन के लक्ष्य का सम्बन्ध है, मार्च, १९६१ के उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार हमने उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ।

†**श्री नथवानी** : मैं पृथक पृथक कोयला खदानों के बारे में पूछ रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पृथक पृथक कोयला खदानों की अनुमति कैसे दे सकता हूं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : कई कोयला खदाने हैं और उन खदानों के उत्पादन के आंकड़ों का ब्यौरा देना संभव नहीं है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या उन निर्माताओं ने, जिनको क्रयादेश दिये गये थे, संभरण का कोई समय बताया था और यदि हां, तो क्या सभी मशीने समय पर राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद् को दे दी गयीं अथवा उन्होंने संभरण के समय का कोई उल्लंघन किया ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : यह बात बहुत विस्तृत है और इस समय मेरे पास वह जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य यह सब ब्यौरा जानना चाहते हैं, तो यदि एक पृथक प्रश्न की सूचना दी जाय तो मैं उन्हें बता दूंगा ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल**: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने संभरण के समय का पालन नहीं किया क्योंकि ऐसे मामलों में भारी दण्ड की व्यवस्था है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा । अगला प्रश्न ।

ओजारी और धातुमिश्रित इस्पात

†*११४२. { **श्री नथवानी** :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** २० दिसम्बर, १९६०, के तारांकित प्रश्न संख्या १०१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओजारी और धातुमिश्रित इस्पात की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) कुल कितनी क्षमता का लाइसेंस दिया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

औजारी और धातुमिश्रित इस्पात की एक किस्म है। अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने आयोजन के लिये न्यूनतम मात्रा में क्रोमियम, निकल, मोली बडीनम और अन्य धातुमिश्रित तत्वों के साथ, जिनके लिये विशेष संयंत्र की आवश्यकता है, केवल धातुमिश्रित इस्पात सेक्शनों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है। ऐसे इस्पात के लिये वर्तमान अथवा लाइसेंस-प्राप्त क्षमता लगभग १०,००० टन है। यह अनुमान लगाया गया है कि तृतीय योजना के अन्त तक यह आवश्यकता लगभग २००,००० टन होगी। क्यों इस क्षमता तक उत्पादन को पहुंचने में समय लगता है, आरम्भ में प्रति वर्ष २००,००० टन उत्पादन के लिये आवश्यक क्षमता के लिये लाइसेंस देने की प्रस्थापना है। केन्द्रीय धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र लगभग ५०,००० टन का अंशदान करेंगे। आयुध कारखाने ३५,००० टन का अंशदान करेंगे। कई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से बाकी १००,००० टन के उत्पादन के लिये आवश्यक अतिरिक्त क्षमता के लिये छांटना पड़ेगा। इस बारे में शीघ्र ही निर्णय किये जान की आशा है।

ऐसे धातुमिश्रित इस्पात के ढांचे और धातुमिश्रित इस्पात बनाने के लिये, जिनके लिये विशेष मशीनों की आवश्यकता नहीं है, लगभग ५०,००० टन की वृद्धि करने की क्षमता है। इसके लिये ५०,००० टन का और लाइसेंस दिया गया है। १००,००० टन का और लाइसेंस देने का प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री नथवानी** : केन्द्रीय धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र स्थापित करने में क्या प्रगति की गयी है। आपने अपने उत्तर में इस केन्द्रीय धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र का जिक्र किया है। इस में क्या प्रगति की गयी है?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है, हमारी दुर्गापुर में एक केन्द्रीय धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र स्थापित करने की प्रस्थापना है। स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है। इस समय हमने ५०,००० टन की क्षमता का मूल्यांकन किया है जिसको भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। इस समय हम जानकारी के लिये विभिन्न देशों से बातचीत कर रहे हैं और इस बाद और प्रगति की जायगी।

†**श्री मुरारका** : विवरण से पता चलता है कि केन्द्रीय धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र ५०,००० का योगदान देगा। मूलतः यह विचार था कि इस संयंत्र की ८०,००० टन की क्षमता हो। क्या सरकार ने इस क्षमता का पुनरीक्षण कर इसको घटा दिया है जब कि वह इसको बढ़ा कर १६०,००० टन करना चाहते थे?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : वास्तव में धातुमिश्रित इस्पात अथवा अन्य किसी बड़े संयंत्र को पूरे उत्पादन में पहुचने के लिय दो से पांच वर्ष तक लग जाते हैं। अतः मैंने जो ५०,००० टन का जिक्र किया है उसका मतलब है कि तृतीय योजना के अन्त तक हम इतना उत्पादन कर सकेंगे।

†**श्री मुरारका** : तृतीय योजना के अन्त तक आवश्यकता का मूल्यांकन २००,००० टन का किया गया है और सभा-सचिव महोदय का कहना है कि यह परियोजना ५०,००० टन का अंशदान देगी। तृतीय योजना की समूची मांग को पूरा करने के लिये सरकार और परियोजनाओं अथवा संभरण के बारे में क्या व्यवस्था कर रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : सरकार के पास गैर-सरकारी क्षेत्र से कई आवेदन-पत्र पड़े हैं और वे विचाराधीन हैं। हमने बताया है कि तृतीय योजना के अन्त तक अपेक्षित उत्पादन २००,००० टन होना चाहिये और उसके अनुसार भविष्य में मंजूरी दी जावेगी।

†**श्री दासप्पा** : क्या मैं जान सकता हूं कि पुरानी योजना का क्या हुआ जो मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने में धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र लगाने के बारे में थी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इस समय मेरे पास वह जानकारी नहीं है। इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री नथवानी** : अब वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता क्या है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इस समय उत्पादन और अधिष्ठापित क्षमता लगभग १०,००० टन है।

सिसली से घोड़ों और खच्चरों की खरीद

†***११४३. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने स्थल सेना के लिए सिसली से घोड़े और खच्चर खरीदे हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : सरकार ने सेना के लिये आवश्यक कई खच्चर और कुछ टट्टू के संभरण के लिये अक्तूबर, १९६० में इटली के एक सार्थ से संविदा किया है। सार्थ ने, जिसने संभरण पूरा कर दिया है, ये जानवर सिसली से लिये बताते हैं। इनसे कोई घोड़ा नहीं खरीदा गया है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : खच्चरों की खरीद के लिये सिसली को कितनी रकम दी गयी ? घोड़ों और खच्चरों के लिये प्रसिद्ध स्थान कच्छ, राजस्थान, काश्मीर और पंजाब में अच्छी नस्ल क्यों नहीं पैदा की जाती।

†**सरदार मजीठिया** : तोप आदि चढ़ाने के लिये विशेष किस्म के खच्चरों की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश यह नस्ल उन स्थानों पर नहीं होती जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। सरकार, आत्म-निर्भरता की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश और पंजाब के जिलों में कुछ फार्म चालू किये हैं परन्तु व्यस्क खच्चर पैदा करने में वहां कुछ समय लगेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

श्री रघुनाथ सिंह : आपको एक म्यूल की कितनी कीमत देनी पड़ी थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। खच्चरों को अकेला छोड़ दीजिये।

दुगदा और भोजूडीह के कोयला धोने के कारखाने

†***११४४. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुगदा और भोजूडीह के कोयला धोने के कारखानों की, जिनका आजकल निर्माण हो रहा है, क्षमता को दुगना करने की कोई योजना है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर क्या लागत आयेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) कोयला धोने के कारखानों का विस्तार किया जाना है ।

(ख) विस्तार की सीमा और अतिरिक्त सुविधाओं के स्वरूप के बारे में केवल तब ही पता लगगा जब विभिन्न कोयला खदानों से कोयले के अतिरिक्त उत्पादन और इन कोयले की धुलने योग्य मात्रा के लिये योजना का निर्धारण कर लिया जाये ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इन दो कोयला धोने के कारखानों की क्या क्षमता है ? क्या वे निर्धारित क्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं ?

†**गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं प्रश्न के प्रथम भाग को समझ नहीं सका हूं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इन दो कोयला धोने के कारखानों की क्या क्षमता है और क्या वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं ? क्या उनका फिर विस्तार किया जायेगा?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : दुगदा और भोजूडीह की वर्तमान क्षमता के बारे में मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं परन्तु यह लगभग २६ लाख अथवा २८ लाख टन है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या मूल प्राक्कलनों की तुलना में, जब ये कोयला धोने के कारखाने बन रहे थे तो इनको दुगना करने के लिये क्या कोई अतिरिक्त खर्च करना पड़ा और जब इन कारखानों के नक्शे बनाये जा रहे थे तब तब क्या यह सुझाव दिया गया था कि उनकी क्षमता दुगुनी होनी चाहिये ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्षमता के विस्तार का प्रश्न धुलने वाले कोयले की उपलब्धता पर निर्भर है । जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, इस समय मेरे पास इन नये कारखानों पर आयी लागत का ब्योरा नहीं है ।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** : पाथर डीह, दुगदा और भोजूडीह ये कारखाने कब से चालू हो जायेंगे ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्ह** : कार्य जारी है और जहां तक दुगदा का सम्बन्ध है, यह अन्तिम प्रावस्था में है । यह आशा की जाती है कि जल्दी ही उत्पादन आरम्भ हो जायेगा । जहां तक भोजूडीह का सम्बन्ध है, कार्य जारी है ।

†**श्री प्र० च० बरुआ** : क्या ये कारखाने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे हैं और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : निर्धारित कार्यक्रम में कुछ विलम्ब हो सकता है परन्तु इन समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि वास्तव में कितना विलम्ब हुआ है ।

†**श्री कमल सिंह** : ऐसा लगता है कि उत्तर बड़ा विस्तृत है । इस तिथि का कोई अनुमान तो होना ही चाहिये कि कारखानों में उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा परन्तु सभा सचिव महोदय के उत्तर से ऐसा लगता है कि इस बारे में मंत्रालय को निश्चित रूप से पता नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है, जल्दी ही ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : समय समय पर कारखानों की लागत के बारे में सदन को बताया जाता रहा है। इस समय मैंने यह कहा है कि इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न की सूचना दें तो मुझे उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में हर मिनट महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछने में पूरा घंटा ले लेते हैं।

वे जल्दी से प्रश्न पूछें और सोच-सोच कर प्रश्न न पूछें। मुझे आशा थी कि माननीय सदस्य उठेंगे परन्तु उन्होंने इतना समय ले लिया।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : विलम्ब के क्या कारण हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह बता चुके हैं कि वे निर्धारित कार्यक्रम से पीछे हैं (**अन्तर्बाधा**)। प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोयला खानों में खनन इंजीनियरों की कमी

†***११३७. श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कोयला खानों में खनन इंजीनियरों की कमी है ; और

(ख) क्या यह सच है कि प्रथम कोटि के इंजीनियरों के उपलब्ध न होने के कारण आसाम की कुछ कोयला खानों को बन्द करना पड़ा है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) खनन इंजीनियरों की सामान्य रूप से कोई कमी नहीं है परन्तु किसी समय कुछ कोयला खानों में पर्याप्त रूप से अनुभवी और प्रथम श्रेणी में खान मनेजर का प्रमाण-पत्र वाले इंजीनियरों की कमी का अनुभव होता है।

(ख) वर्ष १९६० में आसाम में अस्थायी समय के लिये दो कोयला खानों के बन्द होने का पता चला क्योंकि उन के पास अर्हता-प्राप्त मनेजर नहीं थे। बाद में वे फिर चालू हो गयीं। इन में से एक ने ८ जनवरी, १९६१ से फिर खनन कार्य बन्द करने की अधिसूचना दी है क्योंकि जो मनेजर वहां नियुक्त किया गया था, वह काम छोड़ कर चला गया है।

सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी

†***११४५. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये छुट्टी लेना अनिवार्य कर दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्यों और कब से ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पी० टी ओ० रियायत

†*११४६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री माने :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० टी० ओ० रियायत की सुविधा पर लगे प्रतिबन्धों में अभी हाल में कुछ बातों के बारे में और ढील दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ये नई सुविधाएं क्या हैं और इन का किन व्यक्तियों को लाभ होगा ;

(ग) इस से कितना अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है ;

(घ) क्या यह सच है कि जिन लोगों के घर २५० मील से अधिक दूर है, यह सुविधा अब भी केवल उन्हीं के लिये है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन के मामलों में ऐसा प्रतिबन्ध लगाने का औचित्य क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) आदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ग) अभी इसका हिसाब नहीं लगाया गया है ।

(घ) जी, हां । प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियो के लिये । यह रियायत चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों को मिलती है जिन के घर १०० मील दूर हैं ।

(ङ) मितव्ययता ।

कावेरी पूमपतनम् में खुदाई

†११४८. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मद्रास राज्य में कावेरीपूमपतनम में, जिसे पूमपुगर भी कहा जाता है, खुदाई कराने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस की जांच करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायेंगे ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार देश में खुदाई की जाती है । इसके अतिरिक्त पहले किये गये इस स्थान के प्राथमिक सर्वेक्षण से कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता नहीं चला है ।

कांगो को सैनिक टुकड़ियां

†*११४९. श्री नरसिहन् :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगो में भेजी गयी भारतीय सैनिक टुकड़ियों का खर्च संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से उठाया जायेगा ; और

(ख) क्या इस बारे में कुछ तय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उप मंत्री (श्री रघुरामैय्या)**: (क) और (ख). कांगो में भेजी गयी सैनिक टुकड़ियों पर सामान्य वेतन और भत्ते का खर्च भारत सरकार करेगी और उन पर बाकी सब अतिरिक्त व्यय संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा । जब भारत में कांगों भेजे गये सैनिको के बदले और सैनिक रखे जाते हैं तो उन का खर्च भी संयुक्त राष्ट्र सघ वहन करेगा । कांगो भेजी जा रही तीन सैनिक टुकड़ियों के स्थान पर और व्यक्ति रखने का हमारा विचार है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना लिये ब्रिटेन की सहायता

†*११५०. श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ब्रिटेन से १५ करोड़ पौंड की सहायता की आवश्यकता है ; और

(ख) क्या ब्रिटेन से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिये ३ करोड़ पौंड की प्रारम्भिक राशि निर्धारित की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक बाह्य सहायता का मूल्यांकन २७०० करोड़ रुपये किया गया है । देश-वार सहायता का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये आरम्भ में सहायता देने के लिये ब्रिटेन योजना की कार्यान्विति के लिये अपेक्षित वस्तुओं के लिये ब्रिटेन में क्रयादेशों पर धन लगाने के लिये ३ करोड़ पौंड की रकम का ऋण देने को तैयार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में भारतीय प्रतिनिधि

†*११५१. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को इस बात के लिये प्रेरित करने के प्रयत्नों को तेज किया जा रहा है कि बजाय इसके कि वे विदेशों में नौकरी करें उन्हें अपने देश में लौटना चाहिये जहां पर उन के ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान १० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६० के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

उड़ीसा विधान सभा के लिये निर्वाचन

†*११५२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा विधान सभा के लिये निर्वाचनों के बारे में विचार किया है और कोई निर्णय किया है ; और

(ख) क्या इस बात की कोई मांग है कि आम चुनाव से पहले निर्वाचन कराये जायें ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस) :** (क) और (ख). सरकार ने फैसला किया है कि उड़ीसा विधान सभा के लिये चुनाव जून, १९६१ के आरम्भ में किये जायें ।

भारत और चीन के बीच विद्यार्थियों का आदान-प्रदान

†*११५३. **श्री कुन्हन :** क्या **शिक्षा** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच विद्यार्थियों के आदान-प्रदान की योजना के अन्तर्गत भारत से ६ छात्र चीन के लिये रवाना हो चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनके नाम और अर्हताएं क्या हैं ; और

(ग) इनका चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उन अभ्यर्थियों के नाम और अर्हतायें लिखी हैं जिन के चुनाव को अन्तिम रूप दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९]

(ग) चुनाव समिति द्वारा इन्टरव्यू लेकर।

कांगों को सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल

†*११५४. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कलाकारों के एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल को कांगो भेजने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल में कितने कलाकार शामिल हैं ;

(ग) क्या सरकार समझती है कि इन्हें सफलता मिलेगी ; और

(घ) यह दल और किन देशों में जायेगा ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कोयले की ढुलाई

†*११५५. श्री ब्रज राज सिंह :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या इस्पात खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई के प्रश्न पर हाल ही में सरकार ने विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवो की एक समिति नियुक्त की है जो उपरोक्त प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के गठन का स्वरूप क्या है और समिति ने इस बीच किन-किन प्रश्नों पर विचार किया है, तथा यदि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि अभी तक निर्णय नहीं किया गया तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) इस विषय में सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक कितने समय में कोयले की ढुलाई की स्थिति में संतोषजनक परिवर्तन होने की संभावना है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). भारत सरकार की यह सामान्य कार्य प्रणाली है कि सामान्य हितों के प्रश्न पर अन्तर-मन्त्रालियक परामर्श किये जाते हैं और इस लिए कोयले की ढुलाई के सम्बन्ध में यही प्रणाली अपनाई गई है। इन परामर्शों के परिणामों के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि विषेश रूप से बंगाल/ बिहार प्रदेश से कोयले के प्रेषण में तेजी करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाए :—

(१) दक्षिणी और पश्चिमी भारत के तटीय राज्यों को बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों से प्रतिवर्ष कोयले की समधिक १० लाख टन की मात्रा को रेल एवं समुद्री मार्ग द्वारा भेजना।

(२) (कोयले खदानों से) थोड़ी दूर पर स्थित स्थानों को सड़क द्वारा कोयला भेजना।

(३) सारे कोयला खदानों में सप्ताह (सात-दिनों) में कोयले के लदान कार्य को चालू करना।

(४) समुचित उपभोक्ता केन्द्रों पर राशिपातों (Dumptd) का निर्माण।

(५) जुलाई १९६१ से आगे उपरिकथित मुगलसराय दिशा में प्रतिदिन में वर्तमान समय के १९०० वैगनों के स्थान पर २१०० वैगनों के प्रेषण की क्षमता में वृद्धि करना।

इस वर्ष के लगभग मध्य तक इन उपायों द्वारा परिवहन की स्थिति में सुधार होने की आशा है। दीर्घ-कालीन उपाय के रूप में केन्द्रीय-भारत-कोयला-क्षेत्रों में उत्पादन को बढाने का प्रस्ताव है ताकि पश्चिमी भारत के उपभोक्ताओं (उदाहरणतया महाराष्ट्र और गुजरात के उपभोक्ताओं) को इस प्रदेश से अधिकतर कोयले का प्रदाय प्राप्त हो सके और बंगाल/ बिहार से रेल द्वारा लम्बी ढुलाई से बचा जाए।

उड़ीसा का वेतन आयोग

†*११५६. { श्री महन्ती :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री कुम्भार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य की सरकार को उड़ीसा के वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने की सलाह दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सूचना सेवा

*११५७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सूचना सेवा वर्ग २ की २६ रिक्तियों को भरने के लिए ३ और ४ अप्रैल, १९६१ को एक लिखित परीक्षा ली जा रही है;

(ख) क्या आयोग ने उम्मीदवारों को सूचना दी थी कि उन्हें समान अंकों वाले तीन पत्र हल करने होंगे और सफल उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा ;

(ग) क्या आयोग ने केवल अंग्रेजी के दो पत्रों के कुल अंकों पर विचार करने और भारतीय भाषा के तीसरे पत्र को वैकल्पिक पत्र मानने का निश्चय किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इससे अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रकारों में भेदभाव पैदा नहीं होगा ; और

(च) क्या आयोग के लिए अपने पहले निश्चय पर स्थिर रहना संभव नहीं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) से (च). इस प्रश्न का उत्तर सूचना व प्रसारण मन्त्री द्वारा बाद में किसी और दिन दिया जाएगा ।

दिल्ली में जनगणना

*११५८. श्री नवल प्रभाकर :
श्री आसर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनय नगर, कोटला मुबारकपुर और दिल्ली की अन्य बस्तियों के निवासियों ने शिकायत की है कि जनगणना करने वाले उन बस्तियों में नहीं गये और उनकी गणना नहीं हुई ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) जनगणना करने वालों द्वारा अपने काम के प्रति उपेक्षा भाव दिखाने के कारण क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अप्रत्यक्ष करों का आपात[1]

†*११५९. श्री हेमराज : क्या वित्त मंत्री २० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ के लिए अप्रत्यक्ष करों के अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Incedence.

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) और (ख). कर अनुसन्धान यूनिट ने वर्ष १९५८-५९ में अप्रत्यक्ष करों के अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया है। उनकी उपपत्तियों पर मंत्रालय विचार कर रहा है ।

भिलाई इस्पात परियोजना के पदाधिकारी

†*११६०. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात परियोजना के कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध जो जांच की जा रही थी, वह पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच की गयी और उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो जांच कार्य कब से लम्बित है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). कुछ मामलों में जांच पूरी हो गयी है और कुछ में चल रही है। इस समय इस जांच का ब्यौरा बताना उचित नहीं समझा जाता ।

तेल की खोज के लिये लाइसेंस

†*११६१. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी:
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रमाणित तेल क्षेत्रों में तेल की खोज करने के अधिकार प्राप्त करने के लिए, ठेके अथवा साझेदारी के आधार पर किये गये वास्तविक करार की शर्तों के अतिरिक्त लाइसेंस फीस की एकमुश्त अदायगी की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तेल उद्योग सम्बन्धी विदेशी मुद्रा स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). सरकार को अन्य देशों में बोनस के भुगतान का पता है । क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, ब्यौरा नहीं बताया जा सकता और न ही विदेशी मुद्रा स्थिति पर इसके प्रभाव के बारे में कुछ कहा जा सकता है।

इण्डो-स्टेनवाक पैट्रोलियम परियोजना

†*११६२. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडो-स्टेनवाक पेट्रोलियम परियोजना के विघटन सम्बन्धी ब्यौरे को इस बीच अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है, और हानि का अनुमान लगा लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). इंडो-स्टैनवाक पेट्रोलियम परियोजना १५ दिसम्बर १९६० को समाप्त हो गयी थी। परियोजना के विघटन के बारे में सभी बातों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उनकी कार्यान्विति के लिए, कार्यवाही की जा रही है। परियोजना की अधिकांश आस्थियों को बेच दिया गया है। तथापि कुछ आने वाले, और देने वाले दावे हैं और इसलिए परियोजना के लेखों को उस बारे में विभिन्न बातें दर्ज करने के लिए खुला रखा गया है। हानि का पता बकाया बातों के तै होने पर और लेखों के बन्द होने और उनके लेखापरीक्षित होने के बाद पता चलेगा।

सीमावर्ती जिले

†*११६३. श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री २१ नवम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी सीमान्त क्षेत्र में जिन छः नये जिलों की स्थापना की गयी थी उनमें से प्रत्येक में विशेष विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) उन जिलों के लिए जो धन स्वीकृत किया गया था, उसमें से कितने रुपये अब तक वस्तुतः खर्च किये जा चुके हैं ; और

(ग) उन स्वीकृत धन राशियों के बाद उन जिलों में किन-किन विकास कार्यों के लिए कौन-कौन-सी अतिरिक्त धन राशियां इस बीच और स्वीकृत की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) से (ग). पांच विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिये गये हैं। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०]

कोयला धोने के कारखाने

†*११६४. श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुगदा, पथरडीह और भोजूडीह में कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है ;

(ख) यदि इसमें कोई विलम्ब हो रहा है, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विलम्ब के लिए किसी को जिम्मेवार ठहराया गया है ; और

(घ) इस विलम्ब के कारण कितनी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हानि हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) भोजूडीह में कोयला धोने का कारखाना संविदा के अनुसार चालू हो जायेगा । पाथरडीह कोयला धोने के कारखाने के लिये संविदा समाप्त नहीं हुआ है परन्तु विचाराधीन प्रस्तावों से यह आशा बलवती हो गयी है कि यह लगभग अप्रैल, १९६३ तक बन जायगा ।

दुगदा में कोयला धोने का कारखाना जिसके वर्ष १९६१ के आरम्भ में तैयार हो जाने की आशा थी, अब सितम्बर, १९६१ तक चालू होगा ।

(ख) से (घ). यह विलम्ब ठेकेदारों को अपने उप-ठेकेदारों से समय पर इस्पात न मिलने के कारण हुआ । अब इस बात को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने ठेकेदार के साथ उठाया है ।

कुद-बनिहाल सड़क

†*११६५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री वी० बं० शर्मा :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर सरकार ने सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड से यह अनुरोध किया है कि वह कुछ कुद और बनिहाल के बीच ६४ मील लम्बे जम्मू तथा काश्मीर राजपथ के लगभग ६० मील लम्बे टुकड़े के संधारण का कार्य अपने हाथ में ले ले ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) पठानकोट-जम्मू-श्रीनगर सड़क के संधारण की कुल जिम्मेवारी सीमान्त सड़क विकास बोर्ड ने ले ली है ।

स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन

†*११६६. **श्री तंगामणि** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के अतिरिक्त और भी कुछ राज्यों ने स्कुलों में बच्चों को मध्याह्न के समय भोजन देने की योजना अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने;

(ग) मद्रास सरकार द्वारा १९६०–६१ में इस योजना पर कितना व्यय किया गया है ;

(घ) क्या भारत सरकार मद्रास सरकार को इस योजना के लिए सहायता प्रदान कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो १९६०–६१ में कितनी सहायता दी गयी?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, केरल, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) वर्ष १९५८–५९ में लागू की गयी केन्द्रीय सहायता देने की पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को दल-वार, और योजना-वार नहीं, एक मुश्त मार्गोपाय पेशगियां मंजूर की जाती हैं। अत: यह बताना संभव नहीं है कि मद्रास सरकार को इस विशेष योजना के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है । उन राज्य सरकारों को किये गये खर्च के ५० प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो योजना आ ोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन अपने शिक्षा विकास कार्यक्रमों में मध्याह्न भोजन की योजना शामिल करते हैं ।

'पूर्वधारणा से मुक्ति' आन्दोलन[1]

†*११६७ श्री बी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संस्था में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मानव अधिकार आ ोग को यह सुझाव दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संस्था के तत्वावधान में 'पूर्वधारणा से मुक्ति' आन्दोलन चलाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मानव अधिकार आयोग (यूनेस्को में नहीं) में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव रखा कि निकट भविष्य में सभी सदस्य राज्य 'पूर्वधारणा और भेदभाव से मुक्ति' वर्ष मनाये और उसके बाद प्रतिवर्ष 'पूर्वधारणा और भेदभाव से मुक्ति दिवस' मनाने पर विचार करे। मानव-अधिकार आयोग ने यह प्रस्ताव मान लिया है ।

(ख) सरकार संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव से औपचारिक रूप से प्रस्ताव के बारे में समाचार की प्रतीक्षा कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१"Freedom from projudic" Campaign.

"दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क"

†*११६८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने यह निश्चय किया है कि दिल्ली 'स्कूल आफ सोशल वर्क' विश्वविद्यालय के एक विभाग के रूप में नहीं बल्कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्था के रूप में कार्य करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह निश्चय किन कारणों से किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का विचार है कि 'दिल्ली स्कूल आफ़ सोशल वर्क' को, इसका पृथक अस्तित्व बनाये रखने के विचार से, विश्वविद्यालय के अधीन संस्था के रूप में रखा जाये जैसा कि स्कूल के प्रबन्धकों की इच्छा थी ।

जमीन के नीचे कोयले की गैस बनाना

†*११६९. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की कोयला परिषद् ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् से विद्युत् उत्पादन के लिए जमीन के नीचे कोयले की गैस बनाने की संभावनाओं की जांच प्रारम्भ करने की सिफारिश की है ; और

(ख) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर):** (क) भारत की कोयला परिषद् ने इस प्रश्न की जांच के लिये एक प्राविधिक समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है ।

(ख) समिति नियुक्त कर दी गयी है और इसकी प्रथम बैठक २४ मार्च, १९६१ को हुई थी ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारियों को स्थायी बनाना

†*११७०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हर किस्म के प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारियों को स्थायी बनाने से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया):** (क). कुछ मामलों की जांच की जा चुकी है और अतिरिक्त स्थायी पदों की मंजूरी दी जा चुकी है जब कि बाकी मामलों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ख) आयुध कारखानों में ४१४९ अतिरिक्त स्थायी पद, राष्ट्रीय सेना छात्र दल में २२६, सेना भूमि और छावनी सेवा में ४२ और सशस्त्र बल सूचना कार्यालय में ५ की मंजूरी दी जा चुकी है । इन पदों का स्थायीकरण करने का कार्य किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में पुरातत्वीय खुदाई

†*११७१. **श्री तंगामणि :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में १९६१–६२ में अग्रेतर पुरातत्वीय खुदाई का कार्य हाथ में लेने की प्रस्थापनायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर खुदाई करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उप-मंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) और (ख). वर्ष १९६१–६२ के लिये अभी कार्य-क्रम तैयार नहीं किया गया है ।

अमृतसर में ऊन और रेशम के छोटे पैमाने के कारखाने

†*११७२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क में दी जाने वाली छूट को समाप्त कर देने की सरकारी प्रस्थापना के परिणामस्वरूप अमृतसर में ऊन और रेशम के ६०० से अधिक छोटे पैमाने के कारखाने बन्द होने वाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त उप-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, नहीं ।

( ) रेयन अथवा कृत्रिम रेशम/रंश्म/ऊनी कपड़े बनाने वाले छोटे पैमाने के एककों को भारत सरकार की दिनांक १८ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या ६६–७५, ७७ और ७८/६१ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधीन १ मार्च १९६१ के भूतलक्षी प्रभाव से सहायता दी जा चुकी है । अब तक छूट वाले क्षेत्र में जो एकक थे उनको शुल्क के ५० प्रतिशत तक सहायता मिलेगी ।

दिल्ली में भिक्षावृत्ति की रोकथाम

†*११७३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १४ मार्च, १९६१ के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित स समाचार की ओर ध्यान दिया है कि बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप दिल्ली में जमना बाजार की कोड़ियों की बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों की भुखमरी की सी स्थिति हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सच है ; और

(ग) सरकार ने इन लोगों के समुचित पुनर्वास के लिए और इन लोगों को शोषण से बचाने तथा इन लोगों को अपराधी बनने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) से (ग). मैंने यह समाचार पढ़ा है । वह स्थिति ठीक नहीं है । दिल्ली प्रशासन ने आवश्यक चिकित्सा और भोजन व्यवस्था का प्रबन्ध किया है और उनको कपड़े, बिस्तर और अन्य सुविधायें दी हैं । दिल्ली पर लागू बम्बई भिक्षावृत्ति निरोध अधिनियम की धारा १३ के अन्तर्गत जमुना बाजार में कोड़ियों की बस्ती को प्रमाणित संस्था के रूप में घोषित करने का प्रश्न शासन के

†मूल अंग्रेजी में

विचाराधीन है जहां निवासियों को सामान्य शिक्षा और कृषि, औद्योगिक और अन्य प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला

†२३७४. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०२ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला को पूरा करने के कार्य में कितनी प्रगति की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : प्रारम्भिक कार्य अभी तक किया जा रहा है ।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में खुली नाट्यशालायें

†२३७५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री ६ सितम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और दिल्ली में चार खुली नाट्यशालायें बनाने में अब तक कितनी प्रगति की गयी है;

(ख) ये नाट्यशालायें कहां बनाई जा रही हैं; और

(ग) ये कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ।

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)**: (क) से (ग). रिज़र्व एक स्थान में एक खुले नाट्यशाला का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है । बाकी के बारे में मामला अभी विचाराधीन है ।

विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

†*२३७६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक की अवधि में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के कितने मामलों में बारे में निर्णय किये गये;

(ख) क्या उन को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिस में उन का ब्यौरा, व्यक्तियों के नाम और उन पर किया जुर्माना बताया गया हो ?

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) अगस्त, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक की अवधि में परिपालन निदेशक द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के २१७ मामलों का न्याय-निर्णयन किया गया ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संभवत : प्रश्नकर्ता यह जानना चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है। विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के मामलों की बहुत ध्यानपूर्वक जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो उन को हतोत्साहित करने वला दण्ड दिया जाता है। इस कार्यवाही से उल्लंघन के मामलों में कमी होने की आशा है।

(ग) सम्बन्धित सार्थों के व्यक्तियों पर कुल १,१९,३९२ रुपये का जुर्माना किया गया। यह समझा जाता है कि इन २१७ मामलों के ब्यौरे सम्बन्धी वृहत्त विवरण से कोई लाभ नहीं होगा । तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले में जानकारी चाहें जिस में जुर्माना किया गया है तो वह दी जावेगी ।

महाराष्ट्र को कोयले का आवंटन

†२३७७. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष १९६०–६१ में महाराष्ट्र को कोयले के अधिक आवंटन के बारे में कहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) वर्ष १९६०–६१ में अब तक वास्तव में उन को कितना कोयला दिया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नवम्बर, १९६० में राज्य कोयला नियंत्रक ने महाराष्ट्र में कुछ उद्योगों के कोटे में ४९८ वैगन प्रति मास की वृद्धि करने को कहा था।

(ख) अन्य राज्यों के आवंटन में कमी किये बगैर इस को मंजूर नहीं किया जा सकता था।

(ग) मई १९६० से (जब से महाराष्ट्र बना) जनवरी, १९६१ तक कुल ४८१६९ वैगन भेजे गये ।

बिहार में भूमिगत जल के संसाधन

†२३७८. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भूमिगत जल के संसाधनों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). बिहार के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण तथा एक्स्प्लोरेटरी ट्यूबवेल्स आर्गेनाइजेशन ने संयुक्त रूप से भूमिगत जल के संसाधनों का ठीक ठीक ढ़ंग से सर्वेक्षण किया था। जांच पड़ताल का ब्यौरा इस प्रकार है :—

जिला	परीक्षणात्मक छिद्रों की संख्या	उत्पादन कुओं की संख्या
शाहबाद	६	३
गया	६	२
भागलपुर	४	१
	१६	६

†मूल अंग्रेजी में

उपरोक्त परीक्षणात्मक कार्य के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों की उन के भूमिगत संसाधनों से पानी निकालने के लिये सिफारिश की गयी है :—

१. बीछिया-रामपुर-मोहनिया क्षेत्र—जिला शाहाबाद

यह क्षेत्र एक समतल मैदान है । इस के पश्चिम की ओर करमनाशा नदी, दक्षिण की ओर ग्रैन्ड ट्रंक रोड, उत्तर में गंगा नदी और पूरब में सोन नदी है । इस क्षेत्र में पहले से ही अनेक सिंचाई नलकूप हैं ।

२. तंगरा थूम्बी क्षेत्र—गया जिला

यह क्षेत्र सोन नदी के समानान्तर समतल मैदानी पट्टे में है और उत्तर में नबीनगर तक है । इस क्षेत्र की चौड़ाई करीब ५ मील (८ किलोमीटर) है । इस की पूर्वी सीमा थूम्बी के पूर्व में लगभग ३ मील (४.८ किलोमीटर है) ।

३. महेशी अकबर नगर क्षेत्र—जिला भागलपुर

यह क्षेत्र लगभग १४ मील लंबा (२२.५ किलोमीटर) और दो (३.२ किलोमीटर) से चार मील (६.४ किलोमीटर) तक चौड़ा है । अकबर नगर के पूर्व में ४ मील (६.४ किलोमीटर) से यह क्षेत्र पश्चिम की ओर महेशी के पश्चिम ७ मील (११.३ किलोमीटर) तक है । गंगा नदी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है ।

धोगा, सरदारपुर और सबौर के आस पास भूमिगत जल संसाधन बहुत आशाजनक नहीं हैं ।

इन क्षेत्रों के जल में रासायनिक तत्वों की छानबीन की गयी और वह जल सिंचाई के लिये उपयुक्त पाया गया । घोघा परीक्षण कुएं से पानी का तापमान तुलनात्मक दृष्टि से ऊंचा था (१०४ डिग्री फायरनहाइट) और एक्वीफर को भूमिगत उष्ण स्रोत से अंशतः पानी मिल सकेगा ।

मध्य प्रदेश में स्कूल होस्टल

†२३७९. **श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को स्कूल होस्टल बनाने के लिये १९६०–६१ में अब तक कोई ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था के लिये कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है ;

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१)	गवर्नमेंट नार्मल स्कूल फार वीमेन, लश्कर	७५,००० रुपये
	वीमेन ट्रेनिंग कालिज, भोपाल	७५,००० रुपये

(२) मध्य प्रदेश सरकार को अपने क्षेत्राधिकार में सेकेन्डरी स्कूलों और ट्रेनिंग कालिजों को ऋण देने के लिये १९६ .—६१ में १,५०,००० रुपये की रकम भी नियत की गयी है । इस में से कितना

†मूल अंग्रेजी में

खर्च हुआ है और किन किन संस्थाओं को ऋण दिया गया है इस संबंध में ब्यौरा अभी राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया है ।

त्रिपुरा और मनीपुर में हाईस्कूल और कालेज

†२३८०. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा और मनीपुर में १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक कितने और कहां कहां हाई-स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल और कालेज खोले गये ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :—

शिक्षा संस्था का प्रकार	१९५९–६०		१९६०–६१		टिप्पणी
	संख्या	स्थान	संख्या	स्थान	
त्रिपुरा					
(क) हाई स्कूल	१	खोवाई	१	अमरपुर	
(ख) हायर सेकेन्डरी स्कूल	कोई नहीं		कोई नहीं	..	
(ग) ट्रेनिंग कालेजों सहित कालेज	१	ककराबन	१	अगरतल्ला	
मनीपुर					
(क) हाई स्कूल	११	नंबोल, लिवाछांगनिंग मलोम, सांगशाक, तुंगम, फाईसात, ओयनम्, कौंग-बाबाजार, निंगथा-डरवोंग, पोरोम्पत और हुंगडुंग	८	खामनम बाजार, मोइरंग खूनीऊ, थोड़बल, थंगा, ककछिंग खूनोउ, सिरारूखोंग और एन. सी. सी.	
(ख) हायर सेकेन्डरी स्कूल	कोई नहीं	..	कोई नहीं	..	
(ग) कालेज	कोई नहीं	..	*१	इम्फाल	*गैर मान्यता प्राप्त

त्रिपुरा में शिक्षक

†२३८१. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अभी हाल ऐसे कितने शिक्षक और प्रिन्सिपल हैं जो मुअत्तल किये गये हैं; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या इन सभी मामलों में कोई निर्वाह-भत्ता दिया जा रहा है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दो शिक्षक ।

(ख) जी, हां ।

गाज़ा में भारतीय

†२३८२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजा में कुल कितने भारतीय नौकरी कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को वहां काम करने वाले हमारे आदमियों से कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो उन की शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(घ) भारतीयों की कम से कम माहवार तनख्वाह क्या है और उन्हें अपना राशन कैसे मिलता है;

(ङ) वहां पर चीजों की ऊंची कीमतों के अनुपात में उन के वेतन होने के संबंध में कोई जांच पड़ताल की गयी है;

(च) क्या उन्हें अपनी डाक नियमित रूप से मिलती है और उन के मनोविनोद के लिये क्या व्यवस्था है,

(छ) किसी व्यक्ति को संभवत: कितनी देर तक वहां नौकरी करनी होती है; और

(ज) क्या उन का स्वास्थ्य अच्छा है और उन की सामान्य मानसिक स्थिति कैसी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) १,२५५ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) न्यूनतम मासिक वेतन ७८ रुपये ५० नये पैसे है । गाजा में हमारे सैनिकों को राशन संयुक्त राष्ट्र संघ से मुफ्त मिलता है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) जी हां, उन्हें अपनी डाक नियमित रूप से मिलती है । उन के मनोविनोद के लिये निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान हैं :—

(१) भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकायें भारत से भेजी जाती हैं ।

(२) भारतीय संगीत के रिकार्ड और चलचित्र उन्हें उपलब्ध हैं ।

(३) गणतन्त्र दिवस पर गिफ्ट पार्सल भेजे जाते हैं ।

(४) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी गयी सुविधायें दूसरों के साथ साथ उन्हें भी मिलती हैं ।

(५) संयुक्त राष्ट्र संघ आपात बल की विभिन्न टुकड़ियों के बीच खेल कूद प्रतियोगितायें अक्सर होती रहती हैं और हमारे सैनिक उन में हिस्सा लेते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(छ) एक साल ।

(ज) उन का स्वास्थ्य अच्छा है और उन की मानसिक स्थिति भी अच्छी है ।

इंजीनियरिंग कालेजों और प्रौद्योगिकी संस्थाओं (इस्टिट्यूट्स ऑफ टेक्नोलाजी) का निर्माण

†२३८३. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग कालिजों तथा प्रौद्योगिकी शालाओं के निर्माण के निरीक्षण कार्य में जिस के लिये केंद्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता दी है, वास्तुकला विशारदों की एक फर्म का एकाधिकार बढ़ता जा रहा है; और

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय के केवल एक ही पदाधिकारी ने इन संस्थाओं के प्रशासी निकायों या प्रबन्ध बोर्डों या भवन-समितियों की बैठकों में भाग लिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर):** (क) जी नहीं । ग्यारह संस्थाओं के लिए दस भिन्न भिन्न वास्तुकला विशारदों की सेवाएं ली गई हैं ।

(ख) जी नहीं ।

त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता

†२३८४. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के मुख्यायुक्त ने १९५९–६० और १९६०–६१ में सरकार से यात्रा भत्ते के तौर पर कुल कितनी रकम ली ; और

(ख) उक्त वर्षों में त्रिपुरा से त्रिपुरा क्षेत्र के बाहर के स्थानों तक यात्रा के लिए यात्रा भत्ते के तौर पर कितनी रकम ली ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार):** (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में फौजदारी के मामलें

†२३८५. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस ने १९५७ से त्रिपुरा में हस्तक्षेप्य अपराधों के अधीन कितने मामले दायर किये ;

(ख) खोवाल और अगरतल्ला न्यायालयों में ऐसे कितने मामले दायर किये गये ;

(ग) कितने मामलों में अभियुक्तों पर आरोप लगाये गये हैं ; और

(घ) कितने मामलों में न्यायालयों ने दंड दिया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सूचना सेवा के सदस्यों के वेतन क्रम

†२३८६. **श्री राजेश्वर पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सूचना सेवा के सदस्यों के वेतन के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक देर के क्या कारण हैं जब कि खास कर दूसरी सेवाओं में लोगों को वेतन की बकाया रकमें भी मिल चुकी हैं ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां। केन्द्रीय सूचना सेवा के सदस्यों के लिए संशोधित वेतन क्रम ५ जनवरी, १९६१ को घोषित किये गये थे ।

(ख) चूंकि यह सेवा १ मार्च, १९६० से बनायी गयी है जो कि वेतन आयोग द्वारा सुझाये गये वेतन क्रम लागू करने की तारीख (१ जुलाई, १९५९) के बहुत बाद है, वेतन क्रम अन्तिम रूप से निर्धारित करने से पहले कुछ प्रशासनिक तथा प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां दूर करनी थीं ।

आदिम जाति ग्राम कल्याण विभाग, उड़ीसा के कर्मचारी

†२३८७. **श्री कुंभार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के आदिम जाति और ग्राम कल्याण विभाग में प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी कितने हैं ;

(ग) क्या सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ङ) कितने कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं और कितने कर्मचारी प्रतीक्षा सूची पर हैं ; और

(च) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी कितने हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (च). उड़ीसा राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग, उड़ीसा द्वारा सिलाई की मशीनों का वितरण

†२३८८. **श्री कुंभार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कई सिलाई मशीनें बांटी थीं ;

(ख) यदि हां, तो उस अवधि में अब तक उड़ीसा राज्य के हर जिले में कितनी सिलाई मशीनें दी गयीं ; और

(ग) उस अवधि में प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को कितनी सिलाई मशीनें दी गयीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). उड़ीसा राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

जिला बोलंगीर, उड़ीसा के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां

†२३८९. **श्री कुंभार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला बोलंगीर, उड़ीसा में अनुसूचित जाति के मैट्रिक के बाद और मैट्रिक से पूर्व के छात्रों को १९६०-६१ के लिए राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी छात्रवृत्तियां अभी तक नहीं मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे छात्र किन किन कालेजों और स्कूलों के हैं और उन छात्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) भुगतान में देर होने के क्या कारण हैं ;

(घ) ठीक समय से और ठीक ढंग से भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ङ) उक्त अवधि के लिए राज्य तथा केन्द्रीय सरकार ने इस जिले को कितनी रकम नियत की थी ; और

(च) अब तक कितनी रकम दी जा चुकी है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (च). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]**

सर्कस को लोकप्रिय बनाना

†२३९०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनता के और खास कर बच्चों के लिए मनोरंजन तथा उन्हें शारीरिक व्यायाम की जानकारी देने के सम्बन्ध में सर्कस का महत्व मानती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने अभी तक सर्कस को लोकप्रिय बनाने तथा भारतीय सर्कस के कलाकारों का स्तर ऊंचा करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सरकार ने अभी तक इस विषय पर जांच पड़ताल नहीं की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सर्कस के प्रशिक्षण के लिये संस्था

†२३९१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने सर्कस के कलाकारों और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेल आदि की उन्नति

†२३९२. **श्री वें० प० नायर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल कूद और शारीरिक व्यायाम आदि पर भारत सरकार ने १९६०–६१ में कुल कितनी रकम खर्च की ;

(ख) उसमें से कितनी रकम, यदि कोई हो तो, भारत में सर्कस की उन्नति पर उस वर्ष खर्च की गयी ; और

(ग) यदि कोई रकम न खर्च की गई हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) ६४,३५,७९९ रुपये ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) सर्कस की उन्नति के लिए १९६०–६१ में कोई वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना नहीं प्राप्त हुई थी ।

विदेशों के लिये सर्कस दल

†२३९३. **श्री वें० प० नायर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विदेशों को एक सर्कस दल भेजने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) क्या भारत सरकार को मालूम है कि आज भारतीय सर्कस का स्तर तुलनात्मक दृष्टि से ऊंचा है और उससे देश को काफी बड़ी रकम मिल सकती है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार ने अभी तक इस विषय पर छानबीन नहीं की है ।

सर्कस का विकास

†२३९४. **श्री वें० प० नायर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सर्कस के विकास को प्रोत्साहन देने की कोई योजनाएं भारत सरकार के पास है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उचित प्रोत्साहन की कमी के कारण हाल के वर्षों में सर्कस शो कम होते जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को जानकारी नहीं है ।

पंजाब में हिन्दी के विकास के लिये अनुदान

†२३९५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में हिन्दी भाषा के विकास के लिए पंजाब सरकार ने अनुदान मांगा था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितना अनुदान दिया गया ; और

(ग) इस अनुदान का उपयोग किस प्रकार किया गया ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) १९६०–६१ के लिए राज्य की आयोजना में हिन्दी के प्रचार तथा विकास की दो मुख्य योजनाएं शामिल हैं । आयोजना में शामिल होने के कारण इन योजनाओं के लिए पंजाब सरकार केन्द्रीय सहायता ले सकती है ।

(ख) नयी प्रक्रिया के अनुसार अनुदान योजनाओं के अनुसार नहीं दिये जाते ।

(ग) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी यह बताया जा सकता है कि निम्न-लिखित कार्यों के लिए खर्च की व्यवस्था की गई है :—

हिन्दी के शिक्षकों का प्रशिक्षण, साहित्यिक वाद-विवाद तथा नाटकों का संगठन, हिन्दी पांडुलिपियों का सम्पादन तथा मुद्रण, हिन्दी साहित्य के विभिन्न अंगों पर अनुसन्धान-लेख तैयार कराना, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार देना, राज्य भाषा विभाग की मासिक हिन्दी पत्रिका में सामान्य पाठकों के अनुभाग में लेख लिखवाना, स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायक अनुदान तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते ।

मद्रास विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोहों के लिये अनुदान

†२३९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक समारोह संगठित करने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय को कोई अनुदान दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए मद्रास विश्वविद्यालय को १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में अलग अलग कितनी रकम का अनुदान दिया गया ; और

(ग) विश्वविद्यालय ने किस प्रकार उसका उपयोग किया ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में आयकर आदि की बकाया रकमें

†२३९७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९६१ को पंजाब में करदाताओं से आयकर, दानकर और सम्पत्तिकर आदि से कुल कितनी रकम बकाया थी ;

(ख) वह कब से बकाया थी ; और

(ग) यह रकम वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में संस्कृत के संगठनों को अनुदान

†२३९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में चल रहे संस्कृत के ऐच्छिक संगठनों अथवा संस्थाओं को १९५९-६० और १९६०-६१ में कोई अनुदान दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी संस्थायें हैं तथा प्रत्येक को कितनी राशि दी गई ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). पंजाब में चल रहे ऐच्छिक संस्कृत संगठनों अथवा संस्थाओं को १९५९-६० और १९६०-६१ में निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं :

१. विश्वेश्वरानन्द वैदिक गवेषणा संस्था होशियारपुर :

१९५९-६० . . .	६८,३२५ रुपये
१९६०-६१	८९,००० रुपये

२. श्री सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय, खन्ना (जिला लुधियाना) :

१९६०-६१	३०,००० रुपये (राज्य सरकार के माध्यम से)

३. गुरुकुल विद्यापीठ हरयाना, भेंसवालकलां (रोहतक) :

१९६०-६१	५,००० रुपये (राज्य सरकार के माध्यम से)

पंजाब में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाइयां

†२३९९. **श्री दी०चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में १९६०-६१ और १९६१-६२ में पुरातत्व सम्बन्धी अग्रेतर खुदाईयों के प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर खुदाई की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). १९६०-६१ के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है। १९६१-६२ का कार्यक्रम अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है ।

दिल्ली मे बाल भवन

†२४००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बाल भवन के केन्द्रीय लोक कर्म विभाग द्वारा निर्माण में और क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : कर्मशाला भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है और उस का ३० प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है । अभी केवल यही कार्य चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में पिछड़े वर्गों के मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†२४०१. **श्री कुम्भार** : क्या शिक्षा मंत्री १५ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा उड़ीसा राज्य को अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये भारत में मैट्रिक के बाद अध्ययन की योजनाओं के अन्तर्गत १९६०-६१ में दी गई ७८,३०० रुपये और ७१,००० रुपय की राशियों का अभी तक पूरी तरह उपयोग किया जा चुका है ;

(ख) ये राशियां कितने विद्यार्थियों और किन किन संस्थाओं के लिये उपयोग में लाई जा रही हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या २२]**.

उड़ीसा में सांस्कृतिक विकास

†२४०२. **श्री कुम्भार** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सांस्कृतिक विकास के लिये कोई सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी सहायता, वर्षवार दी गई है ;

(ग) उस अनुदान में से राज्य में कितनी राशि जिला-वार और मद-वार खर्च की गई ;

(घ) यदि कोई राशि खर्च न हुई हो तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख)	१९५८–५९	१,००,००० रुपये
	१९५९–६० . .	२,०३,५०० रुपये
	१९६०–६१ . .	४,६२,९६७ रुपये

(ग) इन आंकड़ों के संग्रह में जितना समय और श्रम लगेगा उस की तुलना में परिणाम नगण्य होंगे ।

(घ) राज्य को आवंटित समस्त राशियों के व्यय न किये जाने के कारण हमें ज्ञात नहीं हैं ।

(ङ) इस प्रयोजन के लिये तीसरी योजना के लिये कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है ; निर्दिष्ट अनुमोदित मदों के लिए आवंटन तदर्थ आधार पर प्रतिवर्ष किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा संस्थापनों में असैनिकों का प्रशिक्षण

†२४०३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असैनिक कर्मचारियों को अपने देश के प्रतिरक्षा संस्थापनों में प्रशिक्षण देने के लिये कोई निश्चित निर्णय कर लिया है ; और

(ख) कितने असैनिकों को प्रतिवर्ष प्रतिरक्षा संस्थापनों में प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरामैया)**: (क) हां, श्रीमान्। प्रतिरक्षा संस्थापनों में नियोजित मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारियों और इंजीनियरों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत) की पार्षद्य सदस्यता परीक्षा के भाग 'क' और 'ख' का अध्ययन करने वाले बाह्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना मंजूर की जा चुकी है। इस प्रशिक्षण के लिये, जो प्रारंभ में ३ $^{1}/_{2}$ वर्षों की अवधि के लिये होगी, १२ प्रतिरक्षा संस्थापन चुने गये हैं ।

(ख) अनुमान है कि ३ $^{1}/_{2}$ वर्षों में लगभग १००० इंजीनियर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगें।

अमेरिका के एशिया फाउण्डेशन से पुस्तकें

†२४०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के एशिया फाउंडेशन से प्राप्त पुस्तकों के वितरण का तरीका और मानदंड निश्चित किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या निकले ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). चूंकि प्राप्त पुस्तकों का वर्गीकरण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है इसलिये उन के वितरण का तरीका और मानदंड अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार ऊंचे दर्जे की पुस्तकों का वितरण विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को और शेष का कालेज पुस्तकालयों में उपयुक्त ढंग से और प्रायः समान संख्या में करने का है ।

त्रिचूर में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज

†२४०५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिचूर में एक हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज की स्थापना के लिये पुनरीक्षित योजना पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ; परन्तु अब कालेज के रामवरम्पुरम् में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) योजना में प्रतिवर्ष १६० अध्यापकों के प्रशिक्षण का उपबन्ध है जिन में से ८० डिप्लोमा कोर्स करेंगे और ८० सर्टिफिकेट कोर्स। डिप्लोमा कोर्स हाई स्कूल के अध्यापकों के लिये होगा और सर्टिफिकेट कोर्स अपर प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिये। ये दोनों कोर्स एक-एक वर्ष के होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

परियोजना के लिये अनुमानित व्यय, जैसाकि राज्य सरकार ने बताया है, निम्न प्रकार है :

(१) अनावर्तक	.	२,०६,००० रुपये
(२) आवर्तक	. . .	७४,२९६ रुपये

रूरकेला में भूमि अर्जन

†२४०६. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला में भूमिअर्जन से विस्तथापित हुए कितने व्यक्तियों को रूरकेला इस्पात संयंत्र में रोजगार दिया गया है ; और

(ख) ऐसे कितने विस्थापित व्यक्ति हैं जिन्हें इस्पात नगर क्षेत्र में दुकानें दी गई हैं ।

†**इस्पात खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ३१ जनवरी, १९६१ तक १०९० व्यक्तियों को ।

(ख) ४७ ।

आय कर तथा सम्पदा शुल्क की बकाया राशि

२४०७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९६१ तक आय-कर और सम्पदा शुल्क की किन-किन राज्यों में कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) बकाया आय-कर और सम्पदा शुल्क को शीघ्र से शीघ्र वसुल करने के लिये सरकार कौन-से उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ग) क्या करापवंचन की रोकथाम के लिये कोई विशेष योजना बनाई जा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सभा की मेज़ पर एक विवरण रख दिया गया है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३] जिस में कमिश्नरों के अधीन क्षेत्रों के अनुसार आय-कर (इनकम टैक्स) और मृत-सम्पत्ति-शुल्क (एस्टेट ड्यूटी) की, ३१ दिसम्बर, १९६० तक की वास्तविक बकाया रकमें दिखाई गई हैं । सभी राज्यों में रकमें बकाया हैं ।

(ख) कर वसूल करने की व्यवस्था पर बराबर नज़र रखी जाती है और बदलती हुई आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उचित उपाय किये जाते हैं ।

(ग) प्रत्यक्ष कर प्रशासन समिति (डाइरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी) ने कर-अपवंचन (टैक्स इवेज़न) के बारे में बहुत-सी सिफारिशें की हैं । ९ सितम्बर १९६० और २३ दिसम्बर १९६० को सभा की मेज़ पर विवरण रखे गये थे जिन में बताया गया था कि समिति की सिफारिशों के बारे में क्या कारवाई की गयी ।

गांजे का अवैध व्यापार

२४०८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांजे का अवैध व्यापार करने की कितनी घटनायें सरकार की दृष्टि में सन् १९६० में आई; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इस प्रकार के अवैध व्यापार के कारण प्रति वर्ष अनुमानतः सरकार को कितना नुकसान होता है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ८२४७

(ख) केन्द्रीय सरकार को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि गाजा राज्यों का विषय है।

प्रशासकीय कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज, हैदराबाद

†२४०९. **श्री दामानी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद स्थित प्रशासकीय कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज का सरकार के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संस्था को उसके प्रादुर्भाव के समय से कितनी सहायता अथवा राज-सहायता दी गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) प्रशासकीय कर्मचारी शिक्षण कालेज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसे केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है।

(ख) कालेज को उसके प्रादुर्भाव के समय से १८.६२ लाख रुपये सहायतार्थ अनुदान के रूप में और ९ लाख रुपए ब्याज-मुक्त ऋणों के रूप में दिये गये हैं।

गणराज्य दिवस

२४१०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में १९६१ के गणराज्य दिवस समारोह पर कितना खर्च किया गया ?

प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरामैया) : गणतन्त्र दिवस समारोह १९६१ से सम्बन्धित हिसाब अभी किया जा रहा है। जभी हिसाब सम्पूर्ण हुआ, समारोह पर आए खर्च सम्बन्धी एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

मुरादाबाद में अग्नेयस्त्र बनाने का गैर कानूनी कारखाना

†२४११. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुरादाबाद में २५ जनवरी, १९६१ को एक गैर कानूनी छोटे हथियारों का कारखाना पाया गया है जो अग्नेयस्त्र, पिस्तौल तथा रिवाल्वर बनाया करता था ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

गणतन्त्र दिवस परेड

†२४१२. **श्री साधन गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष २६ जनवरी को गणराज्य दिवस परेड के दर्शनार्थियों के बैठने की एक गैलरी टूट गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरामैया) :** (क) से (ग). बैठने की गैलरी का एक तख्ता आमन्त्रित व्यक्तियों के भार से बोल्ट निकल जाने से २६ जनवरी, १९६१ को टूट गया था जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं ।

नागार्जुनकोंडा की खुदाईयां

†२४१३. **श्री नरसिंहन् :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री २० दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष कार्य अधिकारी को केवल नागार्जुनकोंडा की खुदाईयों और खुदाई में निकले सामान के बारे में प्रतिवेदन तैयार करने के लिए रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो खुदाई कार्य का संचालन किसने किया था ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जब तक विशेष कार्य अधिकारी ने पद भार नहीं सम्भाला था, कार्य का संचालन मुख्यालय के अधिकारियों के सामान्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत परियोजना के प्रभारी अधीक्षक ने किया था ।

पंजाब में कोयले की कमी

†२४१४. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कोयले की कमी अभी भी जारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) राज्य में कुछ उद्योगों को, विशेषकर उनको जिन्हें रेल यातायात में कम अग्रिमता प्राप्त है, कोयले का पूरा कोटा नहीं पहुंचाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) (१) राज्य में प्रमुख केन्द्रों को विशेषकर कम अग्रिमता प्राप्त उपभोक्ताओं के लिये कोयला भेजने की व्यवस्था की गई है।

(२) अत्यावश्यक मामलों में कोयले का विशेष आवण्टन और अन्य उपभोक्ताओं से, जिनके पास अतिरिक्त स्टाक हो, व्यपवर्तन के रूप में सहायता की जाती है।

(३) जुलाई, १९६१ के बाद मुगलसराय, जो पंजाब की सेवा करता है, से ऊपर की दिशा में अधिक माल-डिब्बे उपलब्ध किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

२४१५. श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को पहले जो छात्रवृत्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती थीं अब वे परोक्ष रूप में राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसके फलस्वरूप सम्बन्धित व्यक्तियों से बहुत-सी शिकायतें आयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला भेजा जाना

†२४१६. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री सै० अ० मेहदी :
डा० विजय आनन्द :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९६० से फरवरी, १९६१ तक कितने कोयले का निर्यात (देशवार) किया गया;

(ख) पिछले वर्ष के निर्यात की तुलना में यह कैसा है; और

(ग) यह निर्यात क्यों किया जा रहा है जबकि भारतीय उद्योगों को कोयले का पूरा सम्भरण नहीं हो रहा है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ग) देश के विकासशील लोहा तथा इस्पात उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की दृष्टि से धातुकार्मिक कोयले के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई है। जहां तक अधातुकार्मिक कोयले का सम्बन्ध है, अपने पुराने विदेशी बाजारों को सम्भरण अपनी समय समय की आवश्यकताओं के अनुरूप कायम रखा जाएगा। स्थिति के सम्बन्ध में निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता रहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल का विपणन

†२४१७. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल के सरकारी उद्योग क्षेत्र मे विपणन के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना का वर्तमान आवण्टन कितना है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (१) विदेशों से (२) गोहाटी के तेल शोधन कारखाने और (३) बरौनी के तेल शोधन कारखाने से कितने तेल उत्पादों की आशा है; और

(ग) क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय ने कुछ समय से अतिरिक्त आवण्टनों की मांग की है और यदि हां तो कितने की ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तेल के सरकारी उद्योग क्षेत्र में विपणन के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के आवण्टन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। जून १९६० में प्रकाशित तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सरकारी उद्योग क्षेत्र में तेल वितरण संगठन के लिये अस्थायी तौर से ५ करोड़ रुपए का उपबन्ध दिखाया गया है।

(ख) इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड ने चार वर्षों की अवधि में १५ लाख मीट्रिक टन घटिया पेट्रोलियम उत्पादों के लिये जुलाई, १९६० में सोवियत निर्यात संगठन के साथ एक करार किया है। तीसरी योजना अवधि में रूस तथा अन्य देशों से अतिरिक्त मात्रा के आयात किए जाने की भी सम्भावना है।

गौहाटी के तेल शोधन कारखाने में १९६१ तक पूर्ण उत्पादन होने लगने की सम्भावना है। इसकी प्रारम्भिक क्षमता ७.५ लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। बरौनी तेल शोधन कारखाने का पहला एकक, जिसकी क्षमता १० लाख टन होगी, १९६२ में चालू होने की आशा है और इतनी ही क्षमता का दूसरा एकक १९६३ में। बरौनी तेल शोधन कारखाने की १९६३ मे कुल क्षमता २० लाख मीट्रिक टन होगी। सरकार का विचार सरकारी उद्योग क्षेत्र के तेल शोधन कारखाने का विस्तार करने का है परन्तु यह स्थानीय संसाधनों से अपरिष्कृत तेल की अधिक मात्रा की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ग) तेल के सरकारी उद्योग क्षेत्र में विपणन के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिखाये गये ५ करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है। इन अतिरिक्त राशियों की मात्रा के सम्बन्ध में खान और ईंधन विभाग में योजना आयोग के साथ मिलकर विचार किया जा रहा है।

भिलाई में चौथी रोलिंग मिल

†२४१८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र की चौथी रोलिंग मिल——मर्चेण्ट मिल——में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) मिल की रोलिंग क्षमता कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मर्चेण्ट मिल २ फरवरी, १९६१ को चालू हुई थी ।

(ग) मर्चेंट मिल में २५५,००० टन प्रतिवर्ष रोल किये जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयला उत्पादन

†२४१९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा निगम के प्रादुर्भाव के समय से प्रति वर्ष कितने कोयले का उत्पादन किया गया है ;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तगत उत्पादन का लक्ष्य क्या है ; और

(ग) क्या वास्तविक कार्य लक्ष्य से कम रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :

(क)	१९५६–५७	३१.१ लाख टन
	१९५७–५८	३३.६ लाख टन
	१९५८–५९	३८.२ लाख टन
	१९५९–६०	४८.६ लाख टन
	१९६०–६१	६७.६ लाख टन
		(फरवरी, १९६१ के अन्त तक)

(ख) दूसरी योजना अवधि के अन्त तक १३५ लाख टन की वार्षिक गति प्राप्त करना ।

(ग) जी, नहीं । फरवरी, १९६१ में हुए उत्पादन के आधार पर निगम के उत्पादन की वार्षिक दर १३०.७ लाख टन है जो उसके लक्ष्य के पर्याप्त निकट है ।

भारत और पाकिस्तान के बीच प्राध्यापकों आदि का आदान-प्रदान

†२४२०. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विद्वानों और प्राध्यापकों के आने जाने के बारे में पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत शुरू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). बातचीत शुरू नहीं की गई है परन्तु भारत में वैज्ञानिक और विद्युत सभाओं में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के विद्वानों तथा प्राध्यापकों को आमंत्रित किया जाता है । इसी प्रकार पाकिस्तान में भारतीय विद्वान और प्राध्यापक जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

हिन्दी में सरकारी संकल्प

२४२१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने १९५५ में अन्य सभी मंत्रालयों को यह आदेश दिये थे कि सभी सरकारी संकल्पों को अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सन् १९६० में प्रकाशित हुए कुल संकल्पों में से कितने हिन्दी में भी प्रकाशित किये गये ?

गृह-कार्यमंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). १९५५ के आदेश में यह कहा गया था कि यथासंभव सरकारी संकल्पों को हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाये। अब तक हिन्दी में कोई भी संकल्प नहीं प्रकाशित हुए हैं। परन्तु संकल्पों को हिन्दी में छापने का इन्तज़ाम किया जा रहा है ।

मन्त्रालयों के प्रकाशनों के हिन्दी रूपान्तर

२४२२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह कार्य मंत्रालय ने १९५५ में सभी मन्त्रालयों को ऐसे आदेश दिये थे कि वे संसद् में पेश की जाने वाली अपनी प्रशासनिक रिपोर्टें, पत्र-पत्रिकायें आदि अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित करने की व्यवस्था करें ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आदेशों का अब तक विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किस समा तक पालन हुआ है ; और

(ग) जिन मंत्रालयों ने अभी तक इन आदेशों के अनुसार उचित व्यवस्था नहीं की है वहां उन आदेशों के सही ढंग से पालन कराने के लिये क्या किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) (क) १९५५ के आदेश में यह कहा गया था कि प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्र पत्रिकाएं और संसद् को दी जाने वाली रिपोर्टों को यथा-संभव अंग्रेज़ी के अलावा हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाये।

(ख) और (ग). प्राय: सभी मंत्रालय अपने वार्षिक रिपोर्टों को हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में प्रकाशित करते हैं। बहुत से सरकारी पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य रिपोर्टों को भी हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में प्रकाशित किया जाता है। समय समय पर स्थिति की जांच की जाती है और इस दिशा में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिये समुचित उपाय किये जाते हैं।

"हिन्दी पढ़ाओ" योजना

२४२३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ज) "हिन्दी पढ़ाओ" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कितने कर्मचारियों ने प्राज्ञ परीक्षा पास की है और हिन्दी का कार्य निबटाने के लिये उनकी सेवाओं से लाभ उठाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ख) उक्त प्रबन्ध के अन्तर्गत इन कर्मचारियों से क्या काम लिया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). ७९० कर्मचारियों ने प्राज्ञ परीक्षा पास की है। इनमें संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं। यथासम्भव इन कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग हिन्दी के काम में लिया जाता है, जैसे हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों तथा हिन्दी के प्रश्नों का उत्तर तैयार करना इत्यादि।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

†२४२४. **श्री कालिका सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने स्थापना के बाद से अब तक क्या काम किए हैं ;

(ख) निदेशालय ने अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी के प्रचार के लिए क्या योजनायें लागू की हैं तथा उसके द्वारा क्या योजनायें लागू की जा रही हैं ;

(ग) क्या निदेशालय हिन्दी में एक पत्रिका निकालने का विचार कर रहा है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद ३५१ में बताई गई हिन्दी को नमूने के रूप में दिखाया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या २५]**

अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता

†२४२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार तथा अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर १९६० और जनवरी तथा फरवरी १९६१ महीनों में कितना धन अतिरिक्त समय के काम के लिए भत्ता दिया गया है ;

(ख) दो पहले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या क्लर्कों आदि की भर्ती पर प्रतिबन्ध के कारण अतिरिक्त समय के काम के भुगतान बढ़ गये हैं ; और

(घ) अनुशासन का कठोरता से पालन करा कर और काम के सामान्य घंटों में काम करा कर क्या अतिरिक्त समय के काम के भुगतानों को कम कराने के कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). कुछ कार्यालयों के बारे में उपलब्ध जानकारी का विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या २६]** अन्य कार्यालयों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

(घ) जो कर्मचारी स्वयं अपनी इच्छा से अतिरिक्त समय तक काम करते हैं उनको अतिरिक्त समय के काम का भत्ता नहीं दिया जाता है। यह भत्ता तभी दिया जाता है जब अतिरिक्त समय

---

†मूल अंग्रेजी में

का काम सक्षम अधिकारी के विशिष्ट आदेशों से किया गया हो। सक्षम अधिकारी ऐसे आदेश देने से पहले, स्वयं को सन्तुष्ट कर लेते हैं कि काम निश्चित रूप से इतना आवश्यक है कि उसको अगले दिन के लिए लम्बित नहीं किया जा सकता है और उसको अतिरिक्त समय के काम का भत्ता दिए बिना पूरा नहीं कराया जा सकता है।

छावनी बोर्ड के कर्मचारी

†२४२६. {श्री रामकृष्ण गुप्त :
ज्ञानी गु० मु० सिंह मुसाफिर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले सात वर्षों से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी का कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) और (ख). १९५९ में पुनरीक्षित न्यूनतम मजूरी अधिसूचित होने से पहले छावनी बोर्डों तथा उनके कर्मचारियों के बीच मजूरी समेत सेवा की शर्तों के बारे में विवाद उठा था। यह विवाद फैसले के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा गया था। मार्च १९६० में न्यायाधिकरण का पंचाट प्रकाशित किया गया था और मजूरी के बारे में इसमें की गई सिफारिशों के लिये स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) जब तक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट लागू रहेगा तब तक न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजूरी अधिसूचित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

छावनी बोर्ड के कर्मचारी

†२४२७. {श्री रामकृष्ण गुप्त :
ज्ञानी गु० मु० सिंह मुसाफिर :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड के कुछ श्रेणियों के कर्मचारी अब तक छावनी बोर्ड के अनुसूचित कर्मचारी नहीं हैं;

(ख) यह श्रेणियां कौन कौन सी हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर के राज्य में बादामी बाग तथा जम्मू छावनी के सभी कर्मचारी क्योंकि उस राज्य में न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू नहीं है और भारत की अन्य छावनियों में अधीकरण पद वाले कर्मचारी।

(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने एक वर्ष पहले पंचाट दिया था जिसमें कहा जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अतिरिक्त अन्य सभी छावनियों के कर्मचारियों के वेतन क्रम निर्धारित किये

---

†मूल अंग्रेजी में

गये थे। जम्मू तथा काश्मीर उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसलिये बाद में, अनुसूचित अथवा अनुसूचित, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजू ी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने की आवश्यकता तब तक के लिये नहीं रही जब तक न्यायाि करण का यह पंचाट लागू है।

भारत के राज्य बैंक की शाखायें

†२४२८. **{शेख मुहम्मद अकबर / श्री दामानी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद से ३१ दिसम्बर, १९६० तक भारत के राज्य बैंक ने कितनी अतिरिक्त शाखायें खोली हैं; और

(ख) तीस ी चवर्षीय ोजना अवधि में कितनी शाखा ें खोलने का विचार है।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ४२९ शाखायें।

(ख) इस वर्ष के लिये तथा बाद के वर्षों के लिये शाखा विस्तार का ंक्रम के प्रश्न पर भारत का स्टेट बैंक विचार कर रहा है।

मनीपुर में सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रम

†२४२९. **श्री लैं० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री ८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के संघ क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ते को मिलाने के प्रश्न पर सरकार ने निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, ो क्या यह वेतन क्रम आसाम के समान ही हैं; और

(ग) नये वेतन कब से लागू किए गए थे अथवा कब से लागू किये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) यह निर्णय किया गया है कि मनीपुर प्रशासन के कर्मचारियों को मिलने वाला सभी महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों के वेतन में, जो २५० रुपये मासिक से कम पाते हों, शामिल कर दिया जाये। जिन कर्मचारियों को इससे अधिक वेतन मिलता है उनके वेतन में महंगाई भत्ता स शर्त पर शामिल किया जाता है कि जो महंगाई भत्ता शामिल हो वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को १ जुलाई १९५९ से पहले मिलता रहा हो। शेष महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ते के रूप में ही मिलता रहेगा।

(ख) आसाम के समान ही महंगाई भत्ता दिया जाता है परन्तु जो मंहगाई भत्ता वेतन में शामिल किया जायेगा उसकी राशि २५० रुप े पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में आसाम सरकार के कर्मचारियों की तुलना में अधिक होगी।

(ग) १ अक्तूबर १९५६ को आसाम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये जो वेतन क्रम लागू किया हैं उसके आधार पर मनीपुर प्रशासन के कर्मचारियों के ेतन क्रम बदल गये हैं और सामान्यत: आसाम में उसी पद के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन क्रम के अनुसार कर दिये गये हैं यह परिवर्तन वतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। सलिये और कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर के कर्मचारियों के लिए चावल का भत्ता

†२४३०. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में स्वीकृत चावल भत्ता मनीपुर के कर्मचारियों को देने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भत्ता भूतलक्षी प्रभाव से दिया जायेगा; और

(ग) इस भत्ते को देने के लिये प्रति वर्ष कुल कितने व्यय का प्राक्कलन किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां। १ जनवरी १९६० से।

(ग) २५० रुपये मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये आवश्यक समायोजन के द्वारा भत्ता स्वीकार किया गया है। ३०० रुपये मासिक वेतन पाने वाले वालों को यह रियायत देने के बारे में विचार किया जा रहा है। दूसरे प्रस्ताव पर निर्णय कर लेने के बाद कुल व्यय का प्राक्कलन किया जायेगा।

मनीपुर प्रशासन में प्राथमिकता क्रम[1]

†२४३१. **लै० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** ८ मार्च १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन के मुख्य सचिव को प्राथमिकता क्रम में न्यायिक आयुक्त से ऊपर रखने के बारे में कोई अभ्यावेदन अथवा शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है ;

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी हां।

नागा विद्रोहियों की नजरबंदी

†२४३२. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या यह **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में जिन नागाओं ने नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियों में भाग लिया था उनमें से कुछ निवारक निरोध के अधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने मनीपुर में हैं और कितने आसाम जेल में हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इस समय आसाम जल में केवल एक ऐसा व्यक्ति नजरबन्द है।

उखरूल डिवीजन में बम विस्फोट

†२४३३. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के उखरूल सब-डिवीजन में फुन्यार फाइसार में हुए बम विस्फोट की जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Order of Precedence.

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) . जी हां । जिम्मेदार व्यक्तियों को पकड़ना सम्भव नहीं है ।

मनीपुर में बाल उपचार[1]

†२४३४. श्री लै० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मन्त्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर में बाल उपचारियों से निपटने के लिये प्रोशेशन अफसर नियुक्त करने में क्या प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : अपराधी परिवीक्षा अधिनियम १९५८ के अ ीन बनाये गये मनीपुर अपराधी परिवीक्षा नियम ११ जनवरी १९६१ को त्रिपुरा गजट में, जनता के सूचनार्थ तथा उनके सुझाव अथवा आपत्तियां जानने के लि प्रकाशित कर दिया गया था । नियमों पर निर्णय कर लेने के बाद प्रोबेशन अफसरों की नियुक्ति का प्रश्न लिया जायेगा ।

नागा विद्रोहियों द्वारा अपहरण

†२४३५. श्री बी० चं० शर्मा क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में जनवरी और फरवरी १९६१ में नागा विद्रोहियों द्वारा कितने अपहरश के मामले हुए हैं ?

(ख) १९६० में सी अवधि में यह आंकड़े क्या थे ;

(ग) क्या ऐसे मामले बढ़ गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) . जनवरी और फरवरी ६१ में नागा विद्रोहियों द्वारा छः व्यक्तियों का अपहरण किया गया था । १९६० की इसी अवधि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ ।

(घ) सशस्त्र सेनायें (आसाम और मनीपुर) विशेषाधिकार अधिनियम, १९५८ की धारा ३ के अधीन उखरूल सब-डिवीजन, माओ माराम सर्किल और तामेंगलांग सब-डिवीजन का पुरानी कछार सड़क के उत्तर का अंश गड़बड़ वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है क्योंकि यहां पर नागा विद्रोही कार्यकलाप हो रहे हैं । इस प्रदेश में सुरक्षा सेनाओं की संख्या बढ़ा दी गई है ।

नेफा और मनीपुर के बीच सीमायें

†२४३६. श्री लै० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री २४ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में तुंगजोई गांव और नेफ़ा (उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण) में खेजा खुनाम गांव के बीच जिले की सीमाओं के सर्वेक्षण का काम सर्वेक्षण निदेशालय आसाम ने आरम्भ कर लिया है और पूरा भी कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीमाओं को चिन्हित कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Juvenile Delinquency.

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आइ० ए० एफ० स्टेशन के कर्मचारी

†२४३७. {श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६० में पदच्युत आइ० ए० एफ० स्टेशन चकेरी के ६ असैनिक कर्मचारियों ने पुनः स्थापन के लिए अपील की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपील पर निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि भविष्य निधि आदि का धन अभी इन्हें नहीं दिया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(च) धन के भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कुछ मामलों में अपील अपूर्ण थी और व्यक्तियों को पुनः देने के लिए लौटा दी गयी थी । पुनरीक्षित अपील अब मिल गई है और विचाराधीन है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) लेखों पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि उन व्यक्तियों ने वस्तुयें नहीं लौटाई ी तथा इनसे कुछ धन भी लेना था । इसलिए उनकी अनुपस्थिति में इस पर निर्णय किया गया था ।

(च) उनके लेखे अभी लेखा परीक्षा अधिकारियों को नहीं सौंपे गये हैं । लेखा परीक्षा पूर्ण हो जाने के बाद भुगतान किया जायेगा ।

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था कानपुर

†२४३८. {श्री स० मो० बनर्जी
श्री अरविंद घोषाल :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की कुछ सामाजिक संस्थाओं ने यह अनुरोध किया है कि भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर का नाम पंडित बालकृष्ण शर्मा (नवीन) के नाम पर कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) मंडल कांग्रेस समिति के सभापति तथा नगर कांग्रेस समिति, कानपुर के महासचिव से ऐसे सुझाव मिले हैं ।

(ख) खड्गपुर, बम्बई, मद्रास और कानपुर की यह संस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से स्थापित की जा रही हैं । इसलिए यह निर्णय किया गया कि यह भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था ही कहलाई जानी चाहिए ।

उड़ीसा में बाढ़

†२४३९. श्री बै० च० मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९६० की बाढ़ से टूटी सड़कों, पुलों, बांधों आदि की मरम्मत पर उड़ीसा में अब तक कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या सहायता दी है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) व्यय के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु राज्य सरकार ने कुल सहायता कार्यों के लिए ३५.७१ का प्राक्कलन किया था जिसमें से बाढ़ द्वारा टूटी सड़कों, पुलों, बांधों आदि की मरम्मत के लिए १९६०-६१ में १७६.५३ लाख रुपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाया था ।

(ख) १९६० में बाढ़ के कारण नष्ट हुई सड़कों, पुलों आदि के व्यय समेत उड़ीसा सरकार को एक करोड़ रुपये का ऋण तथा एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था । क्योंकि केन्द्रीय सहायता, सहायता कार्यों पर किए गए कुल व्यय के आधार पर दी जाती है इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि बाढ़ से नष्ट-भ्रष्ट सड़कों और पुलों पर व्यय के लिए कितनी सहायता दी गई है ।

मद्रास राज्य में छोटी बचत संग्रह

†२४४०. श्री इलयापेरूमाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ में मद्रास राज्य में छोटी बचत योजना के अधीन कुल कितनी रकम इकट्ठी की गयी ?

†वित्त मंत्री(श्री मोरारजी देसाई): १९५९-६० में मद्रास राज्य में वास्तविक ६५ लाख रुपये इकट्ठा हुए । चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में वास्तविक वसूली लगभग ३.१९ करोड़ रुपये की हुई ।

मनीपुर में हिन्दी संगठनों को अनुदान

†२४४१. श्री ले० अचौ सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के प्रचार के लिए मनीपुर में हिन्दी संगठनों को अलग-अलग १९६०-६१ में अब तक कितना-कितना आवर्तक तथा अनावर्तक सहायक अनुदान दिया गया ;

(ख) क्या आवर्तक सहायक अनुदान देने के मामले में इन संगठनों द्वारा चलाये गये स्कूलों के साथ बराबरी का बर्ताव किया जाता है ; और

(ग) उन्हें किस दर से सहायक अनुदान दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). शिक्षा मंत्रालय ने १९६०-६१ में मनीपुर के किसी भी हिन्दी संगठन को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। यदि मनीपुर प्रशासन ने कोई अनुदान दिये हों तो उनके बारे में जानकारी मांगी गयी है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आन्ध्र प्रदेश के शिक्षकों के लिए पेन्शन योजना

†२४४२. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी शिक्षकों के लिए पेन्शन योजना लागू करने के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार की कोई योजना है यदि केन्द्रीय सरकार उस खर्च का कुछ हिस्सा देना मंजूर करती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह योजना मंजूर कर ली गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) राज्य सरकार ने प्राइमरी और सेकन्डरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए पेन्शन योजना लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी थी। उससे कहा गया था कि वह इस योजना को शिक्षा सम्बन्धी विकास आयोजना में शामिल कर ले।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्रसंघ

†२४४३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के लिए एक इमारत बनाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(ग) वह किस तरह पूरा किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) लगभग २ लाख रुपया।

(ग) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों ने इस प्रयोजन के लिए ४२,७४१ रुपये इकट्ठे किये हैं। विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी १ लाख रुपये का अनुदान मांगा था लेकिन धन की कमी के कारण आयोग ने वह मांग मंजूर नहीं की। अगले वित्तीय वर्ष में आयोग से पुनः प्रार्थना करने का विश्वविद्यालय का विचार है।

मैसूर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश

†२४४४. **श्री मुहम्मद इमाम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर उच्च न्यायालय में कितने स्थायी न्यायाधीश हैं ;

(ख) वहीं पर कितने अतिरिक्त न्यायाधीश हैं ; और

(ग) अतिरिक्त न्यायाधीश कब नियुक्त किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सात।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीन ।

(ग) पहले अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति १४ मार्च, १९५८ से दो साल की अवधि के लिए हुई थी और १४ मार्च, १९६० से और आगे दो साल के लिए उनकी फिर नियुक्ति की गयी।

दूसरे अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति पहली बार १ अगस्त, १९५८ से दो साल के लिए और बाद में १ अगस्त, १९६० से और आगे दो साल के लिए की गयी थी ।

तीसरे अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति १४ सितम्बर, १९५९ से दो साल के लिये की गयी थी ।

पाकिस्तान को जीवन बीमा निगम की सहायता

†२४४६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम पाकिस्तान में बीमा व्यवसाय के संबंध में उस देश की सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार; और

(ग) क्या पाकिस्तानियों को बीमा व्यवसाय के प्रशिक्षण की सुविधायें दी गयी हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). बीमा नियंत्रक, पाकिस्तान की प्रार्थना पर भारतीय जीवन बीमा निगम ने १९६० में उन के तीन नाम निर्देशित व्यक्तियों को विकास प्रशिक्षण दिया था। पाकिस्तान बीमा निगम के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास कर्मचारियों को दिये गये प्रशिक्षण के ढंग से अभी हाल में परिचित कराया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये खेलकूद का मैदान (स्टेडियम)

†२४४७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में खेल कूद के लिये कोई मैदान (स्टेडियम) बनाने की कोई योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक स्टेडियम, एक पैविलियन, ओवलट्रैक, एक स्विमिंग पूल और एक योग केन्द्र बनाने के लिये ७,५०,००० रुपये की अनुमानित लागत की इकट्ठी व्यवस्था दिल्ली विश्वविद्यालय ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपनी विकास योजनाओं में की है जिन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभी विचार करना है।

हिमाचल प्रदेश में वर्षा आदि से नुक्सान

†२४४८. { **श्री शि० न० रामोल** :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल की वर्षा और हिमपात से हिमाचल प्रदेश में सम्पत्ति को कितना नुकसान पहुंचा;

(ख) कितने मकान बिल्कुल पूरी तरह धराशायी हो गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पीड़ित व्यक्तियों को ऋण आदि के तौर पर वित्तीय सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) पुराने जुब्बल में चार हजार रुपये, ससकिर, तहसील जुब्बल में तीन हजार रुपये और डाशोग, तहसील रामपुर में छत्तीस हजार रुपये।

(ख) उपर्युक्त गांवों में नौ मकान गिर गए और कई मकानों को नुकसान पहुंचा।

(ग) नौ पीड़ित परिवारों में से प्रत्येक को सौ रुपये की दर से नौ सौ रुपये की रकम और मुफ्त लकड़ी कृपापूर्ण सहायता के तौर पर मंजूर की गई थी। अन्य तीन परिवारों को भी मुफ्त लकड़ी दी गयी थी।

हिमाचल प्रदेश में 'घराट'

†२४४९. **श्री शि० न० रामौल :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में घराट (पानी से चलने वाली आटे की चक्कियां) पर कर लगाने की क्या पद्धति है;

(ख) क्या वे किसी निश्चित अवधि और रकम पर पट्टे पर दी जाती हैं या वह स्थान या परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है;

(ग) जिन लोगों को पट्टे पर दी जाती हैं क्या उन से पट्टे में निर्धारित रकम से अधिक रकम ली जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जिला सिरमौर में घराट पर कर सिरमौर पनचक्कियां (घराट) विनियम, २००२ बी के० के अनुसार लगाया जाता है।

(ख) उपर्युक्त विनियम से अधीन, तहसीलदार घराट का खुला नीलाम करते हैं और सब से ऊंची बोली वाले को पट्टा दिया जाता है जो अगले बन्दोबस्त तक लागू होता है। चूंकि घराटों का नीलाम होता है इसलिये कर अलग-अलग होता है।

(ग) और (घ). पट्टेदारों से सालाना बिक्री मूल्य पर २५ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त रकम जिसे स्थानीय दर और उपकर कहते हैं, ली जाती है। इस में से २० प्रतिशत हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९५२ की धारा १०७ के अधीन लोकल रेट के तौर पर और ५ प्रतिशत विलेज आफिसर्स सेस के तौर पर जो लम्बरदार को वसूली खर्च के रूप में देना होता है, लिया जाता है।

दिल्ली के स्कूलों में फीस

†२४५०. **श्री बाजपेयी :**
श्री आसर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों से जिनके माता पिताओं को सालाना ५,००० पये से अधिक मिलता है, दूनी फीस ली जाती है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रहन सहन के ऊंचे खर्च को देखते हुए यह सीमा बढ़ाने की कोई योजना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी नहीं। जिन-जिन छात्रों के माता पिता की आय ५००० पये साल से ज्यादा है उन से सिर्फ ऊंची दर से फीस ली जाती है लेकिन यह दर दूनी नहीं है। जिन लोगों की आमदनी ५,००० रुपये से कम है, उनकी आमदनी कम होने के कारण उन के लिये फीस की कम दर निर्धारित की गयी है।

(ग) सभी के लिये फीस की एक ही दर निर्धारित करने या ५००० रुप े ी वर्तमान सीमा और ऊंची करने के विषय पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।

उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति

†२४५१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की उड़ीसा शाखा ने उड़ीसा राज्य में अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिये एक ोजना भारत सरकार को पेश की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का, जो भारत सरकार ने मंजूर कर ली है; ब ौरा क्या है; और

(ग) किन-किन जगहों में अनुसूचित आदिम जातियों के बुनकरों की १२ सामुदायिक समितियों े अब तक काम करना शुरू कर दिया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियो, दोनों के ही हित के लिये यह मंजूर की गई है। इसमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था है :—

(१) करघे और अन्य सहायक वस्तुओं की सप्लाई;

(२) बुनी हुई चीजों की बिक्री के लिये सुवि ायें ;

(३) प्रदर्शन टोलियां ;

(४) कार्यका ी पूंजी की व्यवस्था ; और

(५) प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र ।

(ग) आवश्यक जानका ी राज्य सरकारों से मांगी गई है और वह प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में नौकाओं की खरीद के लिये अनुसूचित आदिम जातियों को सहायता

†२४५२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को नावें खरीदने के लिये ३.८९ लाख रुपये की वित्तीय सहायता देना मंजूर कर लिया है;

(ख) उड़ीसा में किन क्षेत्रों के अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को यह सहायता मिलेगी; और

मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में अब तक इस प्रयोजन के लिये कितनी रकम वास्तव में बांटी जा चुकी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) कटक, पुरी, बालासोर और मयूरभंज जिले ।

(ग) आवश्यक जानकारी राज्य सरकार से मंगायी गयी है और वह मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

†२४५३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों के जो लोग राज्य में १९६० में बाढ़ के कारण बेघरबार हो गये उन्हें मकान दिलाने के लिए १०·७६ लाख पये का खर्च मंजूर किया गया है;

(ख) कितने व्यक्ति बेघरबार हो गये थे; और

(ग) उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में अब तक प्रत्येक क्षेत्र में कितनी-कितनी रकम दी जा चुकी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी राज्य सरकार से मांगी गयी है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्वाचन याचिका

†२४५४. **श्री कुन्हन** : क्या **विधि** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौधरी बलबीर सिंह बनाम चौधरी अमरसिंह के नाम में निर्वाचन याचिका का जो न्यायाधिकरण के पास विचाराधीन पड़ी है, अंतिम रूप से निर्णय हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ है; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया, है तो उस में कितना समय लगेगा ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ३० मार्च से ४ अप्रैल तक इस मास मामले की अन्तिम सुनवाई अब निर्धारित हुई है और अनुमान है कि निर्वाचन न्यायाधिकरण मई, १९६१ के मध्य तक इसका फैसला कर देगा ।

कार का उपहार

†२४५५. **श्री कुन्हन** : क्या **वित्त** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में उपहार के तौर पर दी गयी बनायी जाने वाली एक कार के मामले में मद्रास सीमा शुल्क विभाग के न्यायनिर्णयन का क्या परिणाम निकला; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस मामले में संबंधित व्यक्ति या फर्म का नाम क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) उपर्युक्त कार कलेक्टर आफ़ कस्टम्स, मद्रास ने, सी कस्टमस एक्ट १८७८ की धारा १६७(८), आयात और निर्यात (नियंत्रण) एक्ट, १९४७ की धारा ३(२) के साथ पठित, के अधीन ज़ब्त कर ली थी। उसके मालिक को यह छूट दी गयी थी वह आपात शुल्क के अलावा ९५०० रुपये का जुर्माना दे कर घरेलू उपयोग के लिये अपनी कार छुड़ा सकता है।

(ख) डा० आर० एम० के० शिवसुब्रह्मण्यम् ।

उप-निर्वाचन

†२४५६. **श्री सम्पत :**
श्री तंगामणि :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मध्य अवधि निर्वाचनों के अतिरिक्त दूसरे सामान्य निर्वाचन में प्रत्येक राज्य में संसद् तथा राज्य विधान मंडलों की सीटों के लिये क्रमशः कुल कितने उप-निर्वाचन हुए;

(ख) प्रत्यक मामले में उप-निर्वाचन करने के क्या कारण थे और उनपर कितना खर्च किया गया; और

(ग) चुने गये सदस्य उप-निर्वाचनों से पहले और बाद में किन किन पार्टियों में थे ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बैंक कर्मचारियों को सुविधायें

२४५७. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ऐसे कोई आदेश दिये हैं कि जिन बैंकों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाये उन बैंकों के कर्मचारियों को वे सुविधायें जो स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं तीन साल के उपरान्त दी जायेंगी ;

(ख) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया के सहायक बैंकों के कर्मचारियों को भी वे सुविधायें प्राप्त नहीं जो स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों को प्राप्त हैं ;

(ग) जिन बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं है उन बैंकों के कर्मचारियों को सरकार क्या सुविधायें देने को तैयार है ; और

(घ) सहायक बैंको के कर्मचारियों को वे सुविधायें क्यों नहीं दी जा रही हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं । जिन बैंकों का पुनर्गठन किया जाता है और जिन्हें दूसरे बैंकों में मिला दिया जाता है उन के सम्बन्ध में कानून के मुताबिक उन दूसरे बैंकों के लिये जिन में भारतीय राज्य बैंक भी शामिल है, यह आवश्यक हो जाता है कि वे पुनर्गठित और मिलाये जाने वाले बैंक के कर्मचारियों को तीन साल की अवधि बीतने पर वही वेतन-मान (पे स्केल्स) और सेवा की शर्तें प्रदान करें जो मिलाने वाले बैंकों के उसी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये लागू हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, हां ।

(ग) बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के हाल के संशोधनों में की गई व्यवस्थाओं के अलावा, जिन का जिक्र ऊपर भाग (क) में उस बैंक के सम्बन्ध में किया गया है जिस का पुनर्गठन किया जाता है या जिसे दूसरे बैंक में मिलाया जाता है, विशेष सुविधायें देने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता

उड़ीसा में छोटे सिक्के

†२४५८. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के अनेक बाज़ारों से छोटे सिक्के अभी हाल में गायब हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विभिन्न मूल्य के छोटे सिक्के पर्याप्त मात्रा में उड़ीसा को दिये जाते हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). भारत सरकार को उड़ीसा में छोटे सिक्कों की कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है । फिर भी राज्य सरकार को इस मामले में जांच करने के लिये कहा गया है ।

जाली नोट

†२४५९. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में जाली और खोटे नोट काफी बढ़ गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कोरापुट जिले में बहुत अधिक संख्या में आदिवासियों को इस कारण धोखा दिया जाता है कि वे ये जाली और खोटे नोट पहचान नहीं पाते ;

(ग) इस आतंक से सरल आदिवासियों को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार आदिवासियों के सरल स्वभाव को देखते हुए वर्तमान निरोधात्मक उपायों को पर्याप्त समझती है या कुछ विशेष उपाय करने का उस का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं । फिर भी उड़ीसा सरकार को इस मामले में जांच करने के लिये कहा गया है ।

कारागार कल्याण समिति

२४६०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कोई कारागार कल्याण समिति है ;

(ख) इस की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं ;

(ग) इस समिति ने अब तक कितने सुझाव दिये हैं ; और

(घ) इन सुझावों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं ; किन्तु दिल्ली में एक जेल सलाहकार समिति है ।

(ख) से (घ) . जेल सलाहकार समिति की बैठकें दो बार १९५७ में, एक बार १९५८ मे, दो बार १९५९ में और तीन बार १९६० में हुईं । इस ने २५ सुझाव दिये हैं, जिनमें से २१ दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं और शेष ४ विचाराधीन हैं ।

युवक कल्याण सम्बन्धी गतिविधियां

†२४६१. **श्री वासुदेवन् नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक युवक कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों पर कुल कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ;

(ख) खर्च की मुख्य मुख्य मदें क्या हैं और प्रत्येक मद पर अलग अलग कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(ग) कौन कौन से अखिल भारतीय स्वयंसेवी युवक संगठनों को युवक कल्याण कार्यवाहियों के लिये सरकार से सहायता या अनुदान मिलता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ३,१५,९६,९७४.१४ रुपये ।

		रुपये
(ख)	(१) श्रमिक तथा समाज सेवा शिविर .	१,४४,६२,८०५.००
	(२) कैम्पस वर्क प्रोजेक्ट्स	१,१०,६०,६३१.००
	(३) भारत स्काउट और गाइड्स	१२,१७,२९९.००
	(४) छात्रों की यात्राएं .	१७,०७,४०२.६४
	(५) युवक समारोह . . .	१२,४८,६८९.४९
	(६) युवक नेतृत्व तथा नाट्यशास्त्र प्रशिक्षण शिविर	१,२९,१३४.४५
	(७) युवक कल्याण बोर्ड और समितियां	७०,९६९.९८
	(८) युवक छात्रावास .	१,८०,०७९.८३
	(९) छात्रेत्तर ुवक कलब और केन्द्र .	३१,५०३.००
	(१०) बाल भवन	१४,८८,४५९.७५

गंजम में लोक सभा के लिए उपनिर्वाचन

†२४६२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गंजम में लोक सभा के उपनिर्वाचन की तारीख अब निश्चित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उपनिर्वाचन के लिये कौन सी तारीख तय की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या मतदान चिन्ह-प्रणाली से होगा ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सरकारी कम्पनियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का सुरक्षित रखा जाना

†२४६३. **श्री सिद्धय्या** : क्या **गृह कार्य** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन सरकारी उपक्रमों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद सुरक्षित रखना मंजूर कर लिया है ;

(ख) दूसरे उपक्रमों ने उन के लिये पद सुरक्षित न रखने के क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) प्रत्येक सरकारी उपक्रम में प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने कर्मचारी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अधिकतर सरकारी कम्पनियों ने कार्यक्षमता को कायम रखते हुए यथा संभव संरक्षण आदेशों का पालन करना मंजूर कर लिया है । कुछ उपक्रम ऐसा नहीं कर सके हैं क्योंकि आवश्यक तकनीकी और विशिष्ट योग्यता तथा अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को ही भर्ती करना आवश्यक था ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है और उसे इकट्ठा करने में लगाये जाने वाला समय और परिश्रम उस से प्राप्त परिणाम के अनुरूप नहीं होगा ।

कलकत्ते में पटसन की वस्तुओं का जब्त किया जाना

†२४६४. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री राम सेवक यादव :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह व की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में कलकत्ते में सीमाशुल्क अधिकारियों ने ५० लाख रुपये से अधिक कीमत की पटसन की वस्तुयें जब्त की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वह मामला कैसा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) पांच नौकाओं से समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के कारण पटसन की चीजों की करीब ५७७५ गांठें जब्त की गई हैं । निर्यातकों द्वारा तत्सम्बन्धी जहाजी बिलों के आधार पर बताई गई उन की वास्तविक कीमत करीब ७० लाख रुपये थी । फिर भी उन के द्वारा बताया गया जहाज भाड़ा सहित मूल्य, जिस के आधार पर भारत को इनके निर्यात से विदेशी मुद्रा मिलती, बहुत कम था । उपयुक्त वैद्य अधिकारी, कलेक्टर आफ कस्टम्स, कलकत्ता, कानून के मुताबिक इस मामले में फैसला करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही कर रहा है और कुछ 'शो-काज' नोटिसें पहले ही जारी की जा चुकी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बकाया सम्पत्ति कर

†२४६५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० के लिये सम्पत्ति-कर की काफ़ी बड़ी रकम दिल्ली में अभी वसूल करना बाकी है ;

(ख) यदि हां, तो वह रकम कितनी है ; और

(ग) उस की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख).दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों से १९५९-६० के लिये सम्पत्ति कर की १५४.६ लाख रुपये की रकम अभी वसूल करना बाकी है ।

(ग) विभिन्न उपायों से जनता से बकाया कर वसूल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सरकार से बकाया कर के सम्बन्ध में, सरकार ने हाल ही में यह तय किया है कि २६ जनवरी, १९५० से पहले बनाई गई सम्पत्तियों पर कर किस आधार पर निर्धारित किया जा । सरकार द्वारा दी जाने वाली रकम निर्धारित करने का काम जारी है और वह पूरा हो जाने पर अदायगी की जायगी । २६ जनवरी, १९५० के बाद बनाई गई सम्पत्तियों के सम्बन्ध में, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ११९ के कारण निगम को कोई सम्पत्ति कर देय नहीं होगा और यह तय किया गया है कि सम्पत्ति कर के ७५ प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार (सर्विस चार्जेज़) सेवाओं के लिये दिये जाये । इन निर्णयों के अनुसार देय वास्तविक रकमों का हिसाब लगाया जा रहा है और अदायगी शीघ्र ही की जायेगी ।

पुलिस अफसरों की सेवावधि बढ़ाना

२४६६. **श्री मोतीलाल मालवीय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० और १९६१ में दिल्ली प्रशासन के कितने अप्रविधिक (नान-टैक्निकल) पुलिस अफ़सरों की सेवावधि बढ़ाई गई ; और

(ख) उनकी सेवावधि बढ़ाने के क्या विशेष कारण थे जबकि वे सेवानिवृत्त होने वाले थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

करनपुर क्षेत्र में खानों पर कोयले का जमा हो जाना

†२४६७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सरकार को यह सूचित किया है कि करनपुर क्षेत्र में कोयला खानों पर कोयला जमा होने की खतरनाक रफ्तार के कारण अगले महीने से वे खानें बन्द कर दी जायें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने करनपुर क्षेत्र में अपनी खानों को सामान्य रूप से बन्द करने की कोई योजना नहीं बनायी है। फिर भी यह ठीक है कि खानों पर जमा स्टाक हटाने के लिये परिवहन साधन अभी उपलब्ध नहीं हैं। यदि यह जमा स्टाक बराबर बढ़ता ही जायेगा तो या तो माल उठाने की रफ्तार तेज करना या उत्पादन कम करना जरूरी हो जायगा क्योंकि एक सीमा के बाद खानों पर कोयला जमा नहीं होने दिया जा सकता।

(ख) कोयला ले जाने के लिये परिवहन के प्रश्न पर छानबीन करने के लिये सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की है और वह आजकल परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्यवाही करने के काम में लगी हुई है।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ढिलवा में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लग जाने से बर्बादी

†श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

'ढिलवा में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लग जाने से करोड़ों रुपये की लकड़ी का नष्ट हो जाना।'

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : २३ मार्च, १९६१ को शाम के लगभग ५ बजे ढिलवां के रेलवे स्लीपर ट्रीटमेंट प्लान्ट में, जो ब्यास नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है, अचानक आग लग गई। आग के खतरे की सूचना तुरन्त दे दी गई और ब्यास, अमृतसर, बटाला, जालन्धर, लुधियाना कपूरथला आदि से सैनिक, असैनिक और पुलिस अधिकारियों से सहायता मांगी गई। उस समय प्लान्ट में लगभग तीन सौ रेलवे कर्मचारी थे। उन्होंने नालियों से पानी लेकर तथा रेत के ढेरों से रेत लेकर आग को दबाने के सभी सम्भावित प्रयत्न किये। डिपो के दक्षिणी किनारे से ६ अथवा ७ स्थानों पर आग एक साथ लगी और तेज हवा के कारण शीघ्र बढ़ गई। व्यास और जालन्धर स्थित मिलिटरी फायर ब्रिगेड और अमृतसर, बटाला, जालन्धर लुधियाना और कपूरथला आदि के पुलिस और असैनिक अधिकारियों ने भी तुरन्त सहायता की। ब्यास से आने वाले पहले फायर ब्रिगेड ने ६—३० बजे अपना काम शुरू कर दिया था और आधी रात से पहले ही वहां ८ और फायर ब्रिगेड पहुंच गए। डिपो के अन्दर स्थित कुएं से और व्यास नदी से पानी लिया गया। फायर ब्रिगेड द्वारा तथा सैनिकों और असैनिक कर्मचारियों द्वारा बहुत परिश्रम किये जाने पर भी आग पर शीघ्र काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि तेज हवा चारों ओर से चल रही थी। केवल डिपो के पूर्वी किनारे के स्लीपरों को जलते हुए स्लीपरों तथा इन स्लीपरों में अन्तर करके और इनको पानी से भिगों कर बचाया जा सका। इस प्रकार ३० लाख रुपये के डेढ़ लाख स्लीपर बचाये गये। अगले दिन सुबह लगभग ६-३० बजे आग पर काबू पा लिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सें० व० रामास्वामी]

डिपो के बीच में स्थित एक ड्राइवर का क्वार्टर आग से नष्ट हो गया। स्लीपर डिपो के नजदीक के अन्य स्टाफ क्वार्टरों में थोड़ी सी टूट फूट हुई परन्तु प्रसन्नता यही है कि किसी कर्मचारी के चोट नहीं आई और उनकी सम्पत्ति भी नष्ट नहीं हुई।

स्लीपर ट्रीटमेंट प्लाण्ट और मशीनों को आग से बचाने के सभी सम्भावित प्रयत्न किये गये थे। इन्हीं के फलस्वरूप अधिक हानि को रोका गया और केवल चार्जिग सिलिण्डर और क्रिओसोट टैंक को ही हानि हुई। अन्य मशीनों में भी कुछ टूट फूट हुई है परन्तु आशा है कि लगभग ३ महीने में प्लाण्ट पुनः चालू हो जायेगा। क्रिओसोट तेल के टकों को बचा लिया गया था।

आग लग जाने के परिणामस्वरूप अनुमानतः कुल १२७ लाख रुपये की हानि हुई जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

१. आग में जले लगभग ५,७५,००० स्लीपर . . .	११५ लाख रु०
२. डिपो के अन्दर रेलवे साइडिंग की क्षति	६ लाख रु०
३. वैगनों की क्षति . .	२ लाख रु०
४. प्लाण्ट और मशीनरी की क्षति . .	२ लाख रु०
५. इमारत, बिजली और टेलीफोन के सामान की क्षति	२ लाख रु०]
कुल हानि . . .	१२७ लाख रु०

विभागों के तीन प्रमुख अधिकारियों की एक समिति दुर्घटना की जांच कर रही है। उन्होंने अभी जांच पूरी नहीं की है और आग लगने के कारणों के बारे में उनकी राय अभी उपलब्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : एक सप्ताह से १० दिन के अन्दर।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): यह नहीं बताया गया कि भाण्डारों की जांच की गई थी अथवा नहीं। सम्भव है भाण्डार में कमी के कारण आग लगा दी गई हो।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जब इस आग की सूचना मुझे मिली थी, मुझे भी यही सन्देह हुआ था जो माननीय सदस्य का है। इसीलिये मैंने इसका पता लगाया। मुझे बताया गया कि दो महीने पहले ही भाण्डार की जांच की गई थी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : यह बताया गया कि एक उच्चस्तरीय समिति जांच के लिये नियुक्त की गई है जिसके सदस्य उत्तर रेलवे के तीन विभागाधिकारी हैं। सरकार ने बताया है कि हानि १२७ लाख रुपये की हुई है तो क्या यह सम्भव नहीं है कि इस समिति में कोई रेलवे अधिकारी अथवा रेलवे बोर्ड का सदस्य भी शामिल किया जाये ?

†**श्री जगजीवन राम** : हमें अपने अधिकारियों पर पूरा विश्वास है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों का यह सुझाव है कि क्या समिति के सभापति संसद् सदस्य नहीं हो सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति के सभापति को इस समिति का सभापति बनाया जाये। माननीय मन्त्री ने भी स्वयं बताया कि उन्हें सन्देह था।

†**श्री जगजीवन राम** : मैंने यह नहीं कहा कि मुझे सन्देह था। यदि सभा को कुछ ऐसा आभास हो गया है तो मुझे उसका खेद है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार ही इस पर विचार करेगी कि इस सुझाव को स्वीकार किया जाये अथवा नहीं। जब तक सभा इस प्रकार का संकल्प पारित नहीं कर देती है तब तक सरकार इस सुझाव को स्वीकार भी कर सकती है तथा अस्वीकार भी कर सकती है।

†**श्री जगजीवन राम** : जब आप कोई सुझाव देते हैं तो उसको 'न' करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक करोड़ रुपये से ऊपर की हानि हुई है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों ही इस पर विचार करेंगी। इसीलिये मेरा विचार था कि यदि पहले ही इन दोनों समितियों के सभापतियों में से किसी एक सभापति को इस समिति में रखा जाये तो उसको हानि के कारणों का ठीक ठीक पता लग जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अशोक होटल लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होन वाले वर्ष के लिये अशोक होटल्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी-२७८०/६१]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा २३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

(दो) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १८ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल टी-२७७९/६१ और २७८१/६०]

भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०८ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-२७८२/६१]

विज्ञान मन्दिरों सम्बन्धी मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: मैं विज्ञान मंदिरों संबंधी मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन (खण्ड १ और २) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी-२७८३/६१]

नौसेना (सेना और वायुसेना कमान) विनियमन अधिनियम

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं नौसेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत दिनांक २५ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १०६ द्वारा शोधित दिनांक ११ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ८० में प्रकाशित नौसेना सेवायें (सेना और वायु सेना कमान) विनियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी-२७८४/६१]

मध्य प्रदेश चावल समाहार (शुल्क) संशोधन आदेश

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १० मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४५ में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल समाहार (शुल्क) संशोधन आदेश, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी-२७८५/६१]

प्राक्कलन समिति

एक सौ बारहवां तथा एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन

†**श्री वासप्पा (बंगलौर)** : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

(एक) डाक तथा तार विभाग—भाग ३—दूरसंचार के बारे में एक-सौ- बारहवां प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) डाक तथा तार विभाग--भाग ४--वर्कशाप्स एण्ड स्टोर्स संगठनों के बारे में एक-सौ-तेरहवां प्रतिवेदन ।

रुद्रसागर में तेल के कुएं के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): मैं ने आसाम स्थित रुद्रसागर में नम्बर १ के कुऐं की कथित खराबियों के बारे में श्री मालवीय द्वारा १४ मार्च, १९६१ को दिए गए वक्तव्य को पढ़ा और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भूतत्व के निदेशक श्री एल० पी० माथुर द्वारा 'हैजार्डस आफ टेस्ट ड्रिलिंग" पर १६ मार्च, १९६१ की सुबह एक भाषण में दी गई जानकारी को बड़े ध्यान से पढ़ा । उससे कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि इन दोनों वक्तव्यों में कितना अन्तर है और माननीय मंत्री ने इस प्रतिष्ठित सभा को रुद्रसागर के तेल के कुएं के बारे में जानकारी नहीं दी है ।

एक स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में श्री मालवीय ने बताया था कि समाचार एकदम गलत है और कोई दुर्घटना नहीं हुई है ।

श्री माथुर ने बताया है कि "रेत के साथ साथ छेद में पानी आने लगा जिससे तेल का बहाव रुक गया । जो सीमेंट लगाया गया वह इतना ठोस नहीं था कि पानी रोक सके । इसके बाद एक दूसरे स्थान पर सीमेंट लगाया जिसके कारण तेल वाणिज्यिक मात्रा में मिलने लगा ।'

यदि श्री माथुर का यह कथन सत्य है तो मैं नहीं जानता कि श्री मालवीय ने यह किस प्रकार कहा है कि कूवें की क्षमता की जांच करना अभी शेष था ।

श्री मालवीय ने बताया कि मुख्य 'रिग' के स्थान पर एक 'वर्क ओवर रिग' लगाया जायेगा। श्रीमान्, मैंने तेल के कूवें की ड्रिलिंग के बारे में एक पुस्तक पढ़ी है । उसमें दिया है कि 'वर्क ओवर रिग' तभी लगाई जाती है जब कोई टूट फूट हो गई हो । इससे पता लग जाता है कि इस कूवें में कोई टूट फूट अथवा गड़बड़ हो गई थी जिसको श्री मालवीय ने नहीं बताया अपितु श्री माथुर ने स्पष्ट किया और श्री मालवीय ने जानकारी जानने के सभा के अधिकार को भंग किया । मैंने यह बात सभा में किसी शत्रुभाव से नहीं बताई है केवल इसलिए बताई है कि सभा का अधिकार भंग नहीं किया जाना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: जी हां, क्योंकि यह मामला सदन के सामने है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संबंध में प्रकिया इस प्रकार है । जब कभी कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री पर या कोई मंत्री किसी सदस्य पर कोई आरोप लगाता है तो मैं संबंधित सदस्य या मंत्री से एक वक्तव्य देने को कहता हूं और मैं उसे दूसरे पक्ष को दे देता हूं । यदि दूसरा पक्ष इसका कोई उत्तर देना चाहता है तो उसे इसका अवसर दिया जाता है । मैंने माननीय मंत्री की ओर देखा था तथापि वे चुप रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** मुझे दुख है कि मैं आपका संकेत नहीं समझ सका ।

†**श्री तंगामणि (मदुरै):** मेरे विचार से यह परम्परा नहीं है कि मंत्री भी किसी वक्तव्य के उत्तर में अपना वक्तव्य तैयार करें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस वक्तव्य की एक प्रति मुझे पहिले भेजी गयी थी अतः मैं चाहता हूं कि इसके उत्तर की भी एक प्रति मुझे भेजी जानी चाहिये । आगे से यदि सभा में इस प्रकार का कोई वक्तव्य दिया जाय, जिसकी एक अग्रिम प्रति मुझे भेजी जाय तो दूसरे पक्ष को भी केवल मौखिक उत्तर देने के स्थान में उत्तर की एक प्रति तैयार रखनी चाहिये ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं इनके आरोपों का उत्तर देने को बिल्कुल तैयार हूं । मैंने यह सोचा कि इस वक्तव्य का अभिप्राय मुझ पर यह आरोप लगाना है कि मैंने सभा में गलत वक्तव्य दिया । जब कि नई दिल्ली के एक प्रमुख अंग्रेज़ी पत्र ने कुछ आरोप लगाये । उस पत्र के प्रथम पृष्ठ पर शीर्ष पंक्तियों में सात कालमों के बड़े बड़े अक्षरों में यह संवाद प्रकाशित हुआ कि तेल की खोज बन्द कर दी गई । इस प्रकार ३० लाख रुपयों पर पानी फिर गया । उसमें कहा गया कि यह दुर्घटना असाधारण प्रकार की थी । इससे लोगों में काफी निराशा की भावना आ गयी है । निसंदेह मैंने यह कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं । यदि मेरे उस वक्तव्य में कुछ गलतियां थीं तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिये था । ऐसा न कर मेरे माननीय मित्र ने एक लम्बा वक्तव्य इस आधार का दिया कि मैंने कहां कहां गलत बातें कहीं । मैं केवल तीन या चार बातों का ही उल्लेख करूंगा । उन्होंने श्री माथुर के इस वक्तव्य का उल्लेख किया है कि उस कुएं में कुछ खराबी थी । मेरे विचार से अब वह हिन्दुस्तान टाइम्स की इस बात से सहमत नहीं हैं कि कुआं धंस गया था । श्री माथुर के वक्तव्य में यह कहीं नहीं कहा गया है कि मेरे वक्तव्य में कोई गलत बात कही गयी है । मैं श्री माथुर के संगत अंश का संक्षेप सभा के सम्मुख रखता हूं ।

'उस क्षेत्र में इसे पहिला नया कुआ होने के कारण हमने यह निश्चय किया कि दूसरे स्तरों (होराइजन) का जो कि विद्युत् लेखा (इलेक्ट्रोलोग) के विचार से उतने अच्छे ज्ञात नहीं हो रहे थे, तथापि जिन में कुछ तेल का संकेत मिला था, उनका भी परीक्षण कर लिया जाये । इसके लिये रेतवाली सबसे निचली पैदी जो कि ३७२२–३५ मीटर पर थी उसकी परीक्षा की गयी । तथापि वहां केवल नमकीन पानी निकला उस पर सीमेण्ट प्लग लगा कर हमने ३६२५ मीटर पर दूसरे होराइजन की जांच की । उससे भी यही नतीजा निकला । इसलिये हमने ५–१२–६० को तीसरे होराइजन की परीक्षा की । इससे कुछ तेल निकला तथा वहां भी पानी की अधिकता थी । इसके पश्चात् इसमें भी सीमेंट प्लग लगा दिया । इस सीमेंट प्लग पर हमने ३७०० पौण्ड प्रतिवर्ग इंच का दबाव डाल कर देखा, और जब हमें इसकी मजबूती के प्रति सन्तोष हो गया तब कहीं २७ दिसम्बर, १९६० को चौथे होराइजन में छेद किया गया इससे सन्तोषजनक मात्रा में तेल निकला और हमें विश्वास हो गया कि हमारी खोज सफल हो गयी है । इसके ऊपर दो होराइजन और हैं जिनमें इसी प्रकार के गुण और इतनी ही मोटाई है । रुद्रसागर कूप के सम्बन्ध में जब बड़े बीनों (विशेष प्रकार के नलों) का प्रयोग किया गया तो कुए में कुछ पानी और बालू का जाना प्रारम्भ हो गया जिसके फलस्वरूप नली बालू से बन्द हो गई । जिसे बारी बारी से साफ करना पड़ा । जब छोटे बीनों का प्रयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

किया गया तो कूप पर पानी और बालू का जाना बन्द हो गया। यह संभव है कि इस होराइजन और निचले होराइजन के बीच के सीमेंट प्लग में कोई दरार आ गयी हो, जिसका प्रभाव उस समय नहीं होता हो जब कि उसके ऊपर काफी दबाव पड़ता है तथापि जब उस पर कम दबाव पड़ता है तो वह सक्रिय हो जाती है और नीचे का पानी ऊपर आने लगता है।'

वस्तुतः यह एक कूप के सम्बन्ध में सामान्य बातें हैं। यदि आप तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पर लगाये गये आरोपों की पृष्ठ भूमि में इन छोटी मोटी गलतियों को रखने को कहते हैं तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि ये सारे आरोप मिथ्या हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते तो मैं उन्हें इस सम्बन्ध में सारी जानकारी दे सकता था। प्रत्येक कार्य की अपनी कठिनाइयां होती हैं जिन्हें वे टैक्नीशियन लोग ही जानते हैं जो इस कार्य को करते हैं। सरकार को ये सब बातें बतायी भी नहीं जाती हैं केवल व्यापक सूचना सरकार को दी जाती है। इन विस्तृत बातों को तेल क्षेत्र में ही रखा जाता है। ये बातें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्य कार्यालय तक भी नहीं आती हैं। तथापि मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैंने संसद् से जानकारी छिपायी है। आशा है कि आप इससे सन्तुष्ट हो गये होंगे कि मैंने सभा से कोई जानकारी नहीं छिपायी है, तथापि कुछ छोटी बातें का सदैव उल्लेख नहीं किया जाता है।

†श्री खाडिलकर (अहमदनगर) : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री पर यह गम्भीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सभा से जानकारी छिपायी है, अतः मेरे विचार से इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों को लिखित विवरण सभा के पटल पर रखना चाहिये जिससे कि हम इस बात का निश्चय कर सकें कि वस्तुतः यह आरोप सही है या गलत।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त श्री माथुर कौन हैं? उनके वक्तव्य की प्रति को सभी सदस्यों को परिचालित की जानी चाहिये, जिससे हम यह पता लगा सकें कि सही बात क्या है? साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केवल संवाद पत्र के आधार पर ही किसी मंत्री या सदस्य पर हमें सभा में आरोप नहीं लगाने चाहिये।

†श्री के० दे० मालवीय : डा० माथुर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के भूतत्वीय विभाग के निदेशक हैं। मैं उनके वक्तव्य की पूरी प्रति परिचालित कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा तथा माननीय सदस्य का भी वक्तव्य परिचालित किया जाय।

†श्री हेम बरुआ : वस्तुतः किसी समाचार पत्र में प्रकाशित संवाद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का मेरा अभिप्राय नहीं था मेरा अभिप्राय केवल इतना ही था कि मैं डा० माथुर के भाषण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं। मेरे कहने का आशय था कि कुछ गलतियां हुई हैं, और हमें इस बात को देखना है कि ये त्रुटियां बड़ी हैं या छोटी। माननीय मंत्री ने यह कहा है कि मैं यह जानकारी एकत्र कर सकता था। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने यह जानकारी एकत्र नहीं की। मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारे अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है।

†अध्यक्ष महोदय : यदि किसी संवाद पत्र में इस प्रकार का सनसनीखेज संवाद प्रकाशित हुआ है, तो माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव रख सकते हैं। निस्संदेह माननीय मंत्री यहां आकर कह सकते हैं कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। श्री माथुर के वक्तव्य के सम्बन्ध में कई प्रकार की बातें कही गई हैं। अतः श्री माथुर के वक्तव्य को सभा पटल पर रखा जाना चाहिये, माननीय

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

मंत्री को इस बात के लिये कुछ समय दिया जायेगा कि वे इन बातों का खंडन कर सकें। । मैं माननीय सदस्यों को यह भी सलाह दूंगा कि यदि किसी समाचारपत्र में इस प्रकार के कोई संवाद प्रकाशित हो तो उन्हें चाहिये कि वे मंत्री को उस विषय पर फोन कर लेवें, और यदि मंत्री यह कहते हैं कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है तब स्थगन प्रस्ताव के रखने का कोई लाभ नहीं होगा। वस्तुतः यदि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को कोई जानकारी नहीं थी तो उन्हें कहना चाहिये था कि वे इस सम्बन्ध में जानकारी कल या परसों दे सकते हैं। जहां तक श्री माथुर के वक्तव्य का सम्बन्ध है उन्होंने उनके वक्तव्य का एक ही अंश पढ़ा है उनके वक्तव्य क ा दूसरा अंश इससे भिन्न है। अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस वक्तव्य का विस्तृत उत्तर देवें।

दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों की भूमि के काश्तकारों को सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों की भूमि के काश्तकारों को सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री दातार** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

> "कि अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा का आय-व्ययक--सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय:** सभा अब १९६१–६२ के उड़ीसा के बजट पर सामान्य चर्चा करेगी। हमें आज ही उड़ीसा के लेखानुदान और उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक भी पारित करना है। अत: हम ४.४५ बजे सायं तक इस पर चर्चा समाप्त कर देंगे दस या पन्द्रह मिनट के अन्दर लेखानुदानों पर मतदान हो जायेगा।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा):** दु:ख की बात है कि उड़ीसा की विधान सभा भंग कर दी गयी है और यह भी अधिक दु:ख की बात है कि यहां उड़ीसा के बजट पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय भी नहीं दिया जा रहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

वित्त मंत्री ने बजट के सम्बन्ध में जो भाषण दिया है वह इस प्रकार का है कि उसमें जो कुछ कहा गया है उससे कहीं अधिक छिपाया गया है। वस्तुत: यदि वहां की दशा इतनी आशाजनक होती जैसा कि भाषण में कहा गया है तो हम यह सब इन बजट प्रस्तावों का समर्थन करते, तथापि दु:ख की बात यह है कि ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने राज्य के भूतपूर्व मंत्रिमंडल द्वारा बनाये गये बजट में थोड़े से परिवर्तन किये जिसके फलस्वरूप अब ४,१९,००,००० रु० घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है। पहले बजट के अनुसार यह घाटा १०.२६ करोड़ का था। पद त्याग करने वाले मंत्रिमंडल ने पद त्याग करने से पूर्व मंत्रिमंडल स्तर की एक बैठक में यह निश्चय किया था कि वेतन आयोग की सिफारिशों को मार्च १९६१ से लागू कर दिया जायेगा, तथापि इस के लिये इस बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। मेरा विचार है कि इस संबंध में कम से कम अन्तर्कालीन सहायता अवश्य प्रदान की जाय।

वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि इस घाटे का बहुत बड़ा अंश पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा है कि आगामी वर्ष में राजस्व से ३ करोड़ रुपये की अधिक आय होगी, मेरा विचार है कि उड़ीसा की सामान्य जनता बहुत गरीब है अत: उन को करों के भार से और अधिक दबाना उचित नहीं है। व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह कहा गया है कि भूमि राजस्व से अधिक आय बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने से, इनामदारों का उन्मूलन करने से और नये उपकर लगाने से होगी, जहां तक बंजर जमीन को भूमिहीन किसानों को देने का प्रश्न है अभी इस संबंध में नियम भी नहीं बनाये गये हैं। अत: इस सम्बन्ध में कुछ प्राप्त होने में विलम्ब होगा। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि भूधृति अधिनियम, जो कि उड़ीसा विधान सभा द्वारा तब पारित किया गया था जब कि वहां कांग्रेस और गणतंत्र की मिली जुली सरकार नहीं बनी थी कब क्रियान्वित किया जायेगा। यह कहा गया है कि आबकारी विभाग से अधिक आय होगी। यह अनुमान किया गया है कि यह आय सीमांत क्षेत्रों में शराब की अधिक बिक्री और विदेशी शराब की अधिक बिक्री से आयेगी। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि सरकार शराब के तस्कर व्यापार को प्रोत्साहित करना चाह रही है।

यह अनुमान लगाया गया है कि सिंचाई कर से ४५ लाख रुपये की अधिक आय होगी। मेरे विचार से यह अनुमान बिल्कुल अव्यवहारिक है। मैं जानना चाहता हूं कि यह वृद्धि किस प्रकार होगी। क्या सिंचाई उपकर में वृद्धि की जायेगी या बोलंगीर और सम्बलपुर क्षेत्रों में से जहां से कोई कर नहीं लिया जाता था वहां से भी कर लिया जायेगा यदि हां तो इस कार्य के लिये क्या

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

व्यवस्था की गयी है । यदि करों में वृद्धि की जायेगी तो जनता में इस का विरोध होगा और इस विरोध का प्रभाव खाद्य उत्पादन पर पड़ेगा ।

मुझे दुख है कि ऐसे संसाधनों का उल्लेख भी नहीं किया गया है जहां से राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सकती है । उदाहरणार्थ वनों, खानों और बन्दरगाहों से आय बढ़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। फ्रांस और जापान ने यह प्रस्ताव रखा था कि वे वहां के बन्दरगाहों का विकास करना चाहते हैं, तथापि ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

१९६१-६२ में सम्पदा शुल्क से भी कोई आय नहीं दिखायी गयी है जब कि पिछले वर्षों में इस मद से राज्य को कुछ आय हुई थी। इस प्रकार राज्य के जमींदार वर्ग को पूरी छूट दी गयी है । मेरे विचार से इस मद से राजस्व की प्राप्ति की जानी चाहिये ।

अब मैं बन उत्पादों को लेता हूं। इस से संशोधित अनुमानों के आधार पर १९६०-६१ में ३५ लाख की आय हुई थी। यह केंडू की पत्तियों की बिक्री से होने वाली आय है । तथापि इस वर्ष के बजट में इस आय का कहीं भी उल्लेख नहीं है । इस के प्रतिकूल आपने ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया है जिस से सामान्य जनता पर प्रभाव पड़ेगा ।

जहां तक व्यय का संबंध है मिली जुली सरकार के निर्माण के पश्चात से व्यय में वृद्धि हुई है । यद्यपि माननीय मंत्री राज्य के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिये व्यवस्था करने को इच्छुक नहीं है तथापि भूतपूर्व शासकों के परिवारों को दिये जाने वाले भत्ते में वृद्धि हो गयी है । इसी प्रकार राज्य में उपचुनाव होंगे इस से राज्य को बहुत व्यय करना होगा ।

उड़ीसा में वहां की जनता के विरोध के तथा कठिनाइयों के बावजूद भी जून के प्रारम्भ में चुनाव होने वाला है । मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि इस चुनाव के लिये जो राशि रखी गई है वह राज्य सरकार द्वारा पूरी खर्च कर दी जायेगी ।

राज्य की अतिथि शालाओं तथा पैसा देकर रहने वाले मेहमानों पर व्यय में वृद्धि हुई है । और इस मद में ३५,००० रुपये उधार हो गये हैं । मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि यह राशि किस पर उधार है । उड़ीसा में राज्य भवन पर ३६ लाख रुपये व्यय हुए हैं। राज्यपालों के नाम पर अनाप शनाप धन व्यय हो रहा है । अतः राज-भवन के निर्माण पर हुआ व्यय और ऊंची श्रेणी के पदों का निर्माण भी उचित नहीं है ।

उड़ीसा में आने वाली बाढ़ भी वहां की प्रगति में रुकावट का एक कारण है । सुधार कार्यों भवन निर्माण आदि के लिये तथा शिक्षा आदि के लिये जितनी राशि रखी गई है वह काफी नहीं है । और इस राशि से शायद ही आवश्यकता की पूर्ति होगी। वहां बाढ़ नियंत्रण के लिये लगभग ४४ करोड़ रुपये की जरूरत होगी। बाढ़ को रोकने तथा अन्य रोकथाम के मामलों पर इस वर्ष २½ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इस से निश्चय ही राज्य की आर्थिक प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा । बाढ़ की जांच करने के लिये एक समिति भी बना दी गई है । मैं चाहता हूं कि इस समिति के अध्यक्ष को बदल दिया जाये । इस से जनता में इस समिति के प्रति एवं इस के कार्यों के प्रति विश्वास बढ़ जायेगा ।

राज्य के विकास के लिये विद्युत् एवं सिंचाई भी आवश्यक है । इस आय व्ययक से ही यह स्पष्ट है कि सिंचाई के लिये इस वर्ष कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हीराकुड परियोजना से से जितनी आय हो रही है उस से अधिक हम ब्याज के रूप में दे रहे हैं। इस

इस परियोजना की दूसरी अवस्था पूरी होने पर जो बिजली पैदा होगी उसे किसी कम्पनी को सस्ती दर पर देने के बारे में कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। वालीमेला परियोजना पर २९.६८ करोड़ रुपये व्यय होने को थे। इस परियोजना पर तीसरी योजना में १६० रुपये व्यय किये जाने थे लेकिन इस के लिये तीसरी योजना में कुल ९.५० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। अतः ऐसा दिखाई देता है कि तीसरी योजना में भी वालीमेला परियोजना का काम पूरा नहीं होगा। यही बात तलचर थर्मल स्टेशन की है। यह बताया है कि कुछ परियोजनाओं के लिये तो भारत सरकार से समय पर स्वीकृति ही नहीं मिली कुछ प्राविधिज्ञों की भी कमी है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि वहां अधिक संख्या में इंजीनियरिंग कालेज खोले जायें। वहां अस्पतालों के भी खोलने की आवश्यकता है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि राज्य को प्राविधिक सहायता दी जाये।

उड़ीसा राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। वहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम हो गई है। इस से भी स्थिति में काफी अन्तर पड़ता है। जहां तक कि इस आय व्ययक की बात है यह तो किसी न किसी तरह प्रशासन को चलाने भर के लिये है। इस से वहां की आर्थिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : उड़ीसा एक पिछड़ा कृषि प्रधान राज्य है। यहां के ८० प्रतिशत लोग जो गांवों में रहते हैं कृषि पर निर्भर करते हैं। इस आय-व्ययक में इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि राज्य की स्थिति को सुधारने कर इसे औद्योगिक राज्य बनाया जायेगा। पहले राज्य में तथा बाद में केन्द्र में आय व्ययक की प्रतियां छापने से निरर्थक व्यय हुआ है जिसे रोका जा सकता था। राज्य सभा की बैठक के लिये भी तार द्वारा सूचना देकर सदस्यों को बुलाया गया ताकि इसे पारित किया जा सके इस प्रकार भी निरर्थक व्यय हुआ।

उड़ीसा में दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है। कुछ परियोजनाएं समाप्त होने को थी लेकिन समाप्त नहीं हुई। पिछले चार वर्षों में राज्य योजना के लिये दी गई राशि का केवल ५०.१ प्रतिशत खर्च कर सका है। इस प्रकार वहां योजना की प्रगति कम हो रही है।

आय व्ययक में पुलिस और प्रशासन जैसी मदों के लिये अधिक धन रखा गया है लेकिन जिन मदों से राज्य को आय होती है उन के लिये कम धन रखा गया है। इस से प्रकट होता है कि राज्य की पिछड़ी आर्थिक व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

देश में उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय सब से कम है। वहां प्रति व्यक्ति आय १०० रुपये से भी कम है जब कि दिल्ली तथा पंजाब में यह आय ६०० रुपये बताई गई है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि चावल उगाने के क्षेत्र में ११ प्रतिशत क्षेत्र की कमी हुई है लेकिन चावल की प्रति एकड़ उत्पादन अधिक हुआ है अतः क्षेत्र के कम हो जाने से चावल के कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्षेत्र में कमी किस कारण से हुई है। राज्य को शराब आदि से होने वाली आय भी अधिक हुई है। विदेशी शराब कि बिक्री में भी वृद्धि हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

मध्यावधि चुनाव किये जाने वाले हैं जिन पर लगभग ४८ लाख रुपये व्यय होंगे। लेकिन ये चुनाव वहां की जनता की इच्छा के विरुद्ध किये जा रहे हैं। उड़ीसा एक अर्द्ध विकसित राज्य है और वह केन्द्र से १३५ करोड़ रुपये से भी अधिक ऋण ले चुका है। इस के अनुसार राज्य के प्रति व्यक्ति के पीछे ९० रुपये होते हैं। राज्य के लिये इतना बड़ा ऋण प्रदान करना कठिन होगा और इसलिये केन्द्र को इसे वसूल नहीं करना चाहिये। आशा है कि तीसरा वित्त आयोग भी इस पर विचार करेगा। ऋण पर जिस दर से ब्याज लिया जाता है वह भी घटा कर १½ प्रतिशत या उसके आस पास कर दिया जाना चाहिये। उड़ीसा सरकार ने जो ऋण लिये हैं उनका ब्याज अदा करने के लिये उसे विशेष ऋण दिया जाना चाहिये। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिये भी प्रयत्न करना होगा।

यह समझ में नहीं आता कि जब कि कांग्रेस मंत्रालय ने पहले कह दिया था कि भतपूर्व नरेशों के परिवारों को प्रिवी पर्स और भत्ते देना बंद कर दिया जा गा तो ये सब अब भी उन्हें क्यों दिये जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य की योजना पर काफी धन व्यय किया जा। अतः नरेशों के निजी खर्च को रोक कर इस धन को राज्य की योजनाओं पर व्यय किया जा।

उड़ीसा में आय का साधन खनिज अयस्क तथा जंगलात है। पिछले दस बारह वर्षों से इन्हीं से आय की जा रही है। इसे और भी बढ़ाया जा सकता है तथा केन्दू के पत्तों पर भी कर लगा कर एक करोड़ रुपये से अधिक की आय हो सकती है। किन्तु फिर भी उसे आय व्ययक में नहीं रखा गया है।

कम वेतन पाने वाले लोगों का वेतन बढ़ाने की योजना है। इसका मैं स्वागत करता हूं। इस के लिये केन्द्र से ६२,११,००० रुपये मिले हैं। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि किस वर्ग के कर्मचारियों को इस से लाभ होगा। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये। उड़ीसा वेतन समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारी कर्मचारि ों के वेतन बढ़ाने के लिये १.९७ क ोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में बहुत से अभ्यावेदन आये हैं। लोग वहां बड़े असन्तुष्ट हैं। लेकिन अब सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि सरकार इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करेगी। यदि यह ठीक है तो मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समिति के निर्ण ों में फिर संशोधन करने जा रही है या नहीं। इस प्रकार किये जाने थे किसी भी संशोधन से उन कर्मचारियों को जो सब से कम वेतन पाते हैं, समुचित लाभ होना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हीराकुड परियोजना के द्वारा ७.२ लाख एकड़ भमि की सिंचाई हुई है लेकिन ये आंकड़े गलत हैं। मेरा निवेदन यह है कि खोंडमल में हलों पर लगाया गया कर हटा दिया जाना चाहिये। इस क्षेत्र के लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं। सिंचाई कर के उड़ीसा के किसानों का भला नहीं होगा। इस प्रकार का कोई कर लगाने से पहले किसानों को तीन चार साल तक सिंचाई के साधन को काम में लाने का मौका दिया जाना चाहिये। यात्री किरा और भाड़े पर कर लगाने से साधारण जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अतः इस कर की बात मेरी समझ में नहीं आई। गंजम जिले में बरहामपुर में मेडीकल कालेज बनाने के लि तीसरी पंचवर्षीय योजना में १५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है लेकिन इस वर्तमान आय व्ययक में कालेज के निर्माण के लिये कोई राशि नहीं रखी गई है। पूरी जिले में लोकल बोर्ड और जिला परिषद् में मतभेद उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप तीन सौ से भी अधिक प्राथमिक शिक्षकों को नौकरी से अलग कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उन्हें पुन नियुक्त किया जाना चाहिये।

वंशधारा परियोजना उसी स्थान पर बनाई जानी चाहिए जिस पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारें सहमत हुई हैं।

उड़ीसा में बाढ़ की समस्या बड़ी विकट है । उस के लिये उड़ीसा सरकार ने ४५ करोड़ की योजना रखी थी। लेकिन तीसरी योजना में इस के लिये केवल ७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । आय व्ययक में एक गलत सूचना दी गई है कि हीराकुड बांध १९६० की बाढ़ों को रोकने में समर्थ रहा था। इस के लिये एक समिति बनाई गई है जो अपना प्रतिवेदन मई १९६१ में देगी। तभी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा ।

अंत में मैं माननीय मंत्री महोदय तथा भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि उड़ीसा में अब तक जिस प्रकार नेतृत्व किया गया है उसकी आवश्यकता वहां के निवासियों को अब नहीं है । अब वहां नये तथा उपयुक्त नेतृत्व की आवश्यकता है जो कि उड़ीसा का शीघ्र ही पुनर्गठन कर सके।

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : कल ही घोषण की गई है कि उड़ीसा में जून के प्रारम्भ में चुनाव किये जायेंगे । ऐसी स्थिति में पूरे वर्ष के लिये आय व्ययक प्रस्तुत करना ठीक नहीं है । आगामी सरकार पर भी कुछ छोड़ना चाहिए कि वह किस प्रकार कार्य करती है ।

उड़ीसा में मिली जुली सरकार ने जो आय व्ययक तैयार किया था वह उड़ीसा विधान सभा में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त मंत्री को अपने भाषण में उस आय व्ययक में दिये गये आंकड़ों का उल्लेख नहीं करना चाहिये था । उड़ीसा में शराबबंदी की नीति असफल रही है । इस बारे में एक जांच समिति नियुक्त की गई है जो इस नीति के बारे में जांच करेगी।

केन्द्र के पत्ते से आय के बारे में सभा में कुछ आलोचना की गई है। इस मद से आप मुख्यत: गैर-सरकारी लोगों को एकाधिकार बेचने से हुआ करती थी। यह पत्ता बीड़ी का पत्ता होता है जिसे अधिकांश वे काश्तकार पैदा करते हैं जिन्हें काश्तकारी के पूरे हक प्राप्त हैं। उन के हितों को उसे पहुंचा कर ही एकाधिकार की प्रथा जारी रखी जा सकती है । इन काश्तकारों को पत्तों को इकट्ठा कर के उन्हें खुले बाजार में बेचने का हक दिया गया है ।

उड़ीसा वेतन आयोग की सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से तो यह बात नहीं कही गई है लेकिन इसके लिए उड़ीसा के वित्त मंत्री ने जो राशि थी उसे निकाल दिया गया है । मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि ये सिफारिशें कब तक क्रियान्वित की जायेंगी।

'योजना व्यय' शीर्षक के अन्तर्गत भी २.१ करोड़ रुपये की राशि कम कर दी गई है।

मिली जुली सरकार बनाने से पूर्व कांग्रेस दल की दशा वहां ठीक नहीं थी। हमने कांग्रेस के साथ मिलकर उसकी स्थिति दृढ़ बनाई। भावनगर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के महासचिव ने भी मिली जुली सरकार के काम की प्रशंसा की है ।

लेकिन बाद में चलकर कुछ स्वार्थी लोगों ने इस मिली जुली सरकार के भंग करने के बारे में कार्यवाहियों शुरू कर दीं। और वहां मध्यावधि चुनाव कराने का बीड़ा उठा लिया। मेरा निवेदन है

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

कि वहां मध्यावधि चुनाव कराने का यह निर्णय एक राज नैतिक निश्चय है। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य सभी दलों के विरोध के बावजूद भी वहां जल्दबाजी से चुनाव करा जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कह सकते कि लोकतंत्र इस देश में एक मजाक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : चुनाव कराना तमाशा कराना है ?

†**श्री प्र० के० देव** : हम संवैधानिक आधार पर विरोध नहीं करते । हमारा विरोध व्यव हारिक आधार पर है । गर्मियों में, १२० डिग्री के तापमान के दिनों में उड़ीसा की जनता को मत दान करने आने के लिये कहना अनुचित होगा ।

कांग्रेस के पास तो मनमाना रुपया है। वह चाहे जितने चुनाव करा सकती है। पर विरोधी दल तो बार-बार चुनाव के लिये रुपया नहीं जुटा सकते। जल्दबाजी से चुनाव कराना एक राजनीतिक चाल है कांग्रेस की ।

आज हमारे प्रधान मंत्री रूरकेला में चुनाव आन्दोलन की शुरूआत करेंगे। लेकिन क्या सरकार ने रूरकेला स्थित हिन्दुस्तान इस्पात कारखाने में श्रम-विधियों को लागू करने के सम्बन्ध में मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ? सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार भी किया है ? कारखाने के अधिकारी श्रम-विधियों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिये सरकार को इस प्रश्न पर बड़ी सावधानी से विचार करना चाहिये । सरकारी उपक्रमों को आदर्श समुपस्थित करना चाहिये। उड़ीसा के श्रम आयुक्त का मत है कि कारखाने के अधिकारी कारखाना अधिनियम का उचित सम्मान नहीं करते । न तो काम के घंटों सम्बन्धी व्यवस्था का पालन किया जाता है और न साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था का। कारखाना अधिनियम की धारा ५१ की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए मजदूरों से ४८ घंटे से भी अधिक काम लिया जाता है। धारा ५५ होते हुए भी, पांच घंटे के काम के बाद भी आध घंटे का विश्राम नहीं मिलता। प्रधान मंत्री को मतदाताओं के सामने बोलते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मत्रा स इसका कोई सम्बन्ध नहीं ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : श्रम विधियां राज्याधीन विषय है ।

†**श्री प्र० के० देव** : मेरा मतलब है कि सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

वित्त मंत्री के भाषण के अन्तिम अंश से कुछ आशा बंधती है। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा अपने योजनापूर्ण विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था में पहुंच जायेगा। लेकिन उन्होंने इसके लिये किया क्या है ? उड़ीसा में उद्योगों के विकास के लिये अभी तक जो भी कुछ किया गया है वह राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से ही किया गया है। 'उड़ीसा टैक्सटाइल मिल' और 'कलिंग इण्डस्ट्रीज़' में राज्य सरकार ने शेयरों के रूप में पूंजी लगाई है, पर अभी तक उसे एक पाई भी लाभांश नहीं मिल पाया है। केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार के विरोध के बावजूद, कुप्रबन्ध और गबन के आरोपों के बावजूद समवाय विधि प्रशासक के कहने पर इस फर्म को प्रबन्ध अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति दे दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

'कलिंग इण्डस्ट्रीज़' में उड़ीसा सरकार ने काफी रुपया लगाया है। 'इंडियन ओवरसीज़ बैंक' से उसे ऋण दिलाने के लिये उड़ीसा सरकार ने जमानत दी है। उसकी एक शर्त यह थी कि ५,००० रुपये से अधिक व्यय की हर मद के लिये उड़ीसा के उद्योग निदेशक की अनुमति ले ली जायेगी। लेकिन उसकी अनुमति लिये बिना ही फर्म ने जनवरी १९६० में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को एक लाख रुपये दे दिये थे।

ऐसी परिस्थिति में औद्योगिक विकास नहीं हो सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह मिली जुली सरकार के जमाने की बात है ?

†**श्री प्र० के० देव** : जी, हां। इतना ही नहीं उड़ीसा के हर जिले में कलिंग इन्डस्ट्रीज़ के कार्यालय खुले हुए हैं और उनमें कांग्रेस दल के कार्यकर्ता सवैतनिक कर्मचारी बने हुए हैं और कांग्रेस का राजनैतिक प्रचार करते हैं।

खबर है कि जीवन बीमा निगम 'कलिंग इण्डस्ट्रीज़' को २० लाख रुपये का ऋण दे रहा है। यह ऋण चुनावों के ठीक पहले दिया जा रहा है। 'कलिंग इण्डस्ट्रीज़' का मालिक ही प्रान्तीय कांग्रेस समिति का सभापति है। माननीय मंत्री को आश्वासन देना चाहिये कि जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण की एक पाई भी चुनावों पर खर्च नहीं होगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी और श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने भूतपूर्व शासकों के परिवारों को दिये जाने वाले भत्तों के प्रश्न का उल्लेख किया था। । भत्ते देने का निर्णय भारत सरकार ने किया था। लेकिन बाद में कम्युनिस्ट दल को खुश करने के लिये राज्य सरकार ने वे भत्ते बन्द कर दिये थे। अभी वह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए मैं उसके औचित्य के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा।

मेरा अनुरोध है कि भूतपूर्व सरकार के सभी अपूर्ण कार्यों को पूरा किया जाये, जैसे कि चौकीदारों और झंकारों को वेतन देना। चौकीदारी जांच समिति ने इसके बारे में सिफारिश की है। उसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

सरकार ने हर जिले में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक् करने के कार्य की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है।

यह व्यवस्था हर जिले में की जानी चाहिये। साथ ही, तीसरा मेडिकल कॉलेज बरहामपुर में बनाने की योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये। मुझे इतना ही कहना है।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापुट) : उड़ीसा के इस आय-व्ययक से सम्बन्धित ज्ञापन, इत्यादि हमें कल ही मिले थे। इसलिये उनके अध्ययन के लिये पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। मैं मानता हूं कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के काल में उड़ीसा ने प्रगति की है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि अन्य राज्यों ने की है। उड़ीसा की दो-तिहाई जन संख्या आदिवासियों की है और एक तिहाई पिछड़े वर्गों की। बेरोज़गारी बहुत ज्यादा है। पड़ौस के पश्चिमी बंगाल और आन्ध्र ने काफी औद्योगिक और अन्य प्रकार की प्रगति की है। लेकिन उड़ीसा में न सिंचाई की सुविधा है, न शिक्षा और संचार की।

उड़ीसा में कोरापुट का एक पिछड़ा हुआ जिला है। उसमें ४० प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है। वहां जनता की प्राथमिक सुविधाओं का नितान्त अभाव है। अधिकांश देहात बिजली की सुविधा से वंचित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

श्री द्विवेदी ने कहा है कि आज के युग में बिजली और सिंचाई पर ही विकास का दारोमदार है। उड़ीसा के लगभग ११ जिलों में सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। कोरापुट एक पर्वतीय जिला है। जमींदारी के दिनों में जो तालाब थे भी, अब बिल्कुल सूखे पड़े हैं। आशा है इस वर्ष कुछ सिंचाई की सुविधायें जुटाई जायेंगी।

उद्योग के क्षेत्र में रूरकेला इस्पात कारखाने के अतिरिक्त, रायगादा में एक चीनी मिल और अस्का में एक सहकारी चीनी मिल भी बन गई है। और कोई उद्योग वहां नहीं है। यदि उड़ीसा के औद्योगीकरण के लिये शीघ्र ही कुछ नहीं किया जायेगा, तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। असल में, केन्द्रीय सरकार को औद्योगीकरण के लिये पिछड़े हुए राज्यों की वित्तीय सहायता करनी चाहिये।

छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये भी कुछ नहीं हुआ है। चन्द औद्योगिक बस्तियां बनाई पर उससे ज्यादा कोई अन्तर नहीं पड़ता। उड़ीसा की योजना में जरूरत इस बात की है कि औद्योगीकरण पर ही सब से अधिक जोर दिया जाये।

माननीय वित्त मंत्री ने आय-व्ययक सम्बन्धी जो प्रस्थापनायें रखी हैं, मेरे जिले की साधारण जनता पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम विकास करना चाहते हैं, तो सिंचाई उपकर जैसे कर अदा करने ही पड़ेंगे।

श्री द्विवेदी जो भी कहें, साधारण जनता पर कर लगाये बिना योजनाओं के लिये धन कहां से मिलेगा ?

[श्री मूलचन्द डुबे पीठासीन हुए]

श्री द्विवेदी कहते हैं कि केन्दु के पत्तों के व्यापार का एकाधिकरण मिटा देने से राजस्व की हानि हुई है। लेकिन एकाधिकार रहने से देश के अन्य नागरिक उस व्यापार से वंचित रह जाते हैं। इसीलिये सरकार ने उसे हटा दिया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने भूतपूर्व शासकों के परिवारों को दिये जाने वाले संधारण-भत्ते का उल्लेख किया था। वह भत्ता एक करार के अनुसार दिया जा रहा था। इसलिये उसे एक पक्ष की ओर से बन्द नहीं किया जा सकता। हर करार दो पक्षों के बीच होता है। हर करार का सम्मान किया जाना चाहिये।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मिले जुले मंत्रिमंडल ने उस भत्ते की राशि बढ़ा दी थी।

†**श्री जगन्नाथ राव** : वह संयोग की बाद भी तो हो सकती है। मैं इस मामले में श्री प्र० के० देव का पूर्ण समर्थन नहीं करता। करार रहते हुए, भत्ते बन्द करना गैर-कानूनी है।

माननीय मित्र ने भुवनेश्वर में ३६ लाख रुपये की लागत से बनने वाले राजभवन के निर्माण की भी आलोचना की है। । वह भूल जाते हैं कि भुवनेश्वर राजधानी है। यह तो कोई तर्क नहीं हुआ कि पुरी में इमारतें खाली पड़ी हुई हैं इसलिये राज भवन वहां हो।

उड़ीसा में लोकतंत्रीय शासन लाने के लिये जरूरी है कि वहां अन्तरिम चुनाव कराये जायें। माननीय मित्र दो विरोधी बातें एक सांस में कह रहे हैं : गर्मी के मौसम के कारण अन्तरिम चुनाव भी न हों, और लोकतांत्रिक शासन भी लौट आये।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने मद्य-निषेध का भी उल्लेख किया था। उड़ीसा सरकार ने इसकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त की थी। वह समिति अभी अपना काम पूरा नहीं कर पाई है। मद्य-निषेध तभी सफल हो सकता है जब जनता को सामाजिक रूप से शिक्षित किया जाये और वह स्वयं इस बुराई के दुष्परिणामों को समझ ले। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा।

तृतीय योजना में उड़ीसा के लिये १६० करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस वर्तमान गति से तो उड़ीसा कई दशाब्दियों तक भी अन्य राज्यों के बराबर नहीं पहुंच सकेगा।

माननीय वित्त मंत्री ने उड़ीसा का भविष्य बड़ा उज्जवल बताया है। लेकिन वह तभी हो सकता है जब राज्य की अज्ञात खनिज सम्पत्ति का पता लगाया जाये और जनता में उसके उपयोग के लिये उत्साह पैदा किया जाये।

उड़ीसा में सबसे ज्यादा जोर छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास पर दिया जाना चाहिये। तभी जनता का संतुलित आर्थिक विकास संभव है।

मुझे केवल इतनी शिकायत है कि राज्य के विकास की गति बड़ी मन्थर है। मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : मैं माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य के लिये उनको बधाई देता हूं। राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा का शासन अपने हाथ में लेने का एक लाभ तो यही हुआ है कि यह सभा अब उस पर चर्चा कर रही है।

मेरी एक शिकायत यह है कि इसकी चर्चा के लिये बहुत कम समय रखा गया है। आय-व्ययक पर अधिक विस्तृत और विशद चर्चा ही लोकतांत्रिक परम्परा के अधिक अनुकूल होती।

महात्मा गांधी ने उड़ीसी जनता की ग़रीबी देख कर सारे देश का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया था। श्री अशोक मेहता ने 'राष्ट्रपति की उद्घोषणा के सम्बन्ध में बोलते हुए, बड़े जोरदार तरीके से कहा था कि सरकार को उड़ीसा के विकास की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये। समाजवादी ढंग के समाज में निर्धनों को ही सब से पहले लाभ पहुंचना चाहिये। लेकिन दो पंचवर्षीय योजनाओं के काल में इस ओर अधिक प्रगति नहीं हुई है।

अभी भी उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय १०० रुपये है, जब कि पंजाब की प्रति व्यक्ति आय ६०० रुपये और पूरे राष्ट्र की २०० रुपये है।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्हें राज्य के आय-व्ययक में रद्दोबदल करनी पड़ी है। यह अनुचित है। इसलिये कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से ही वह आय-व्ययक तैयार किया था।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राज्य में इतना राजनीतिक अस्थायित्व रहते हुए भी, डा० हरेकृष्ण मेहताब के नेतृत्व में राज्य ने द्वितीय योजना के लक्ष्य पूरे कर दिखाये हैं। द्वितीय योजना के लिये आवंटित ९२ करोड़ रुपयों में से ८८ करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

हीराकुड से केवल दो लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। फिर ७.२ लाख एकड़ की सिंचाई का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? छोटी छोटी छः सिंचाई परियोजनाओं से ५ लाख एकड़ की सिंचाई तो नहीं हो सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सामन्त सिंहार]

वित्त मंत्री ने कहा है कि उड़ीसा की ६७ प्रतिशत जन संख्या अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों की है। उनकी उन्नति के लिए सरकार को और अधिक राशि आवंटित करनी चाहिये ।

उड़ीसा वेतन आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का व्यय इस आय-व्ययक में शामिल न करना ठीक नहीं रहा। उनको स्वीकार करने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। मैं वित्त मंत्री को याद दिला दूं कि उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्रिमंडल ने उनको स्वीकार करने का निर्णय ले लिया था। विभिन्न सेवाओं की असमानता दूर की जानी चाहिये। सरकारी कर्मचारी आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं हैं। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा ने अच्छी प्रगति की है। १९३६ में यहां केवल ५ कालेज और ३,००० विद्यार्थी थे, वहां अब १९६० में ४० कालेज और १२,००० से अधिक विद्यार्थी हैं। जांच इस बात की की जानी चाहिये कि विद्यार्थियों की संख्या भी आठगुनी क्यों नहीं बढ़ी ।

उड़ीसा प्रशासन में उच्चाधिकारियों की संख्या अनुपात से कहीं अधिक है। उड़ीसा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के १०० अधिकारी हैं, जबकि केरल जैसे राज्य में भी उनकी संख्या केवल ७१ है। उड़ीसा में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी ६२ हैं, जबकि मद्रास में केवल ५६ ऐसे अधिकारी हैं ।

सरकार ने बाढ़ों की समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। उड़ीसा सरकार ने इस पर पहले से कम खर्च किया है। उड़ीसा जनता की गरीबी का एक बड़ा कारण बाढ़ों की बहुलता है।

मैं तो समझता हूं कि बाढ़ जांच समिति स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत सरकार की सहायता के ढंग से उड़ीसी जनता संतुष्ट नहीं है। बाढ़ों के संबंध में जांच की कोई जरूरत नहीं ।

मैं जानता हूं कि राज्यों द्वारा जब सिंचाई परियोजनाओं के नक्शे ठीक समय पर भेज दिये जाते हैं तब फिर केन्द्र उनमें विलम्ब क्यों करता है ? सबसे बड़ी कमी यह है कि सहकार्य नहीं है ।

हीराकुड बांध परियोजना को उड़ीसा सरकार को सौंप तो दिया गया है, पर सिंचाई की गुंजाइश, जल का उपयोग और व्याज की अदायगी के लिए केन्द्र ही उत्तरदायी है ।

श्री प्र० के० देव का यह मत ठीक नहीं है कि यह आय-व्ययक राज्य विधान मंडल का था, इसलिए इसे वहां पेश करने से पहले संसद् में पेश नहीं किया जाना चाहिये था। आय-व्ययक संबंधी साहित्य, ज्ञापन इत्यादि विधान मंडल के सदस्यों में परिचालित किये जा चुके थे। इसलिए इस में गोपनीय कुछ भी नहीं था।

मैं अंतरिम चुनावों के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राज्य में लोक शासन लाने के लिए यह जरूरी है।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : देश की सबसे प्रबल राजनीतिक संस्था ने अपने व्यवहार से उड़ीसा में संकट पैदा कर दिया, यह बड़े आश्चर्य की ही बात है। यह बड़े खेद की बात है कि राज्य सरकारों को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी स्वशासी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन देने के स्थान पर, केन्द्र द्वारा सहायक अनुदान देकर उनमें सुरक्षा की झूठी भावना पैदा की जा रही है। इससे राज्यों की स्थिति स्थानीय निकायों जैसी बन कर रह गयी है। बहुत सी बातें राज्यों को योजना आयोग के पास अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजनी पड़ती हैं।

उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है, अतः सहकारी खेती की अग्रिम योजनाओं को संगठित करने के लिए उड़ीसा राज्य से तब कहा जाना चाहिये था, जब केन्द्रीय सरकार यह देख लेती कि अन्य राज्यों में अग्रिम योजनायें सफल हो गयी हैं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि उड़ीसा में बहुत अधिक बेरोजगारी है, फिर भी केन्द्र वहां ऐसी योजनाओं पर जोर दे रहा है जिनमें काम के स्थान पर पूंजी ही अधिक लगने की सम्भावना है। वहां पर कई बिजली चालित करघों को लगाने का परिणाम यह होगा कि वहां के हथकरघा बुनकरों का काम समाप्त हो जायेगा और उन्हें जान के लाले पड़ जायेंगे।

उड़ीसा राज्य में कृषि को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार को यह देखना चाहिये कि राज्य के उपक्रमी किसानों को सब प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाय। अभावों के परिणामस्वरूप उन्हें पीछे नहीं रहने दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त यहां पशुधन के विकास की भी बहुत आवश्यकता है। अतः इस दिशा को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये। सरकार को इस विषय को समुचित महत्व देना ही चाहिये।

सड़क परिवहन का मामला भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि उड़ीसा में सड़क परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना उचित नहीं है। इसके बजाय छोटे-छोटे उपक्रमियों को इस उद्योग का विकास करने का अवसर दिया जाना चाहिये। परिवहन के मामले में उड़ीसा राज्य बहुत ही पीछे है, अतः वहां परिवहन के विकास की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये। जल परिवहन के विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिये और इसके लिए समुचित राशि का प्रबन्ध करना चाहिये।

एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि यह बड़ा जरूरी है कि रजवाड़ों को जो निजी थैली देने के सम्बन्ध में करार किया गया है, उसका पालन किया जाना चाहिये।

ऐसा न करना बड़ी अनैतिकता की बात होगी। साथ ही इसका परिणाम यह भी होगा कि सरकार के वायदों पर-से लोगों का विश्वास उठ जायेगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि राज्य की लगभग ६७ प्रतिशत जनता पिछड़े वर्गों तथा आदिम जाति लोगों की है अतः यह बड़ा जरूरी है कि उनके उत्थान और कल्याण के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जाये। अन्त में मैं इस बात पर जोर दूंगा कि उडीसा राज्य की समस्या का हल यह है कि वहां सभी राजनीतिक दलों की सम्मिलित सरकार बनाई जाय। परन्तु शायद कांग्रेसी मित्र सत्ता में मस्त हुए मेरे इस सुझाव को न मानें।

†**श्री महन्ती** (ढेकनाल) : उड़ीसा के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जिस प्रकार मजाक उड़ाया गया है उस पर कितने ही आंसू बहायें जायें वह कम ही होंगे। यह कितने खेद की बात है कि राज्य के वित्त मंत्री को विधान सभा में आय-व्ययक प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

आशा करता हूं कि राजनीतिज्ञ लोग इस से शिक्षा लेंगे और जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व की भावना को अधिक महत्व देंगे और इस प्रकार के संकट भविष्य में पैदा नहीं होने दिये जायेंगे ।

तीसरी योजना के अन्तर्गत योजना व्यय को २७.२ करोड़ से घटा कर २५.१ करोड़ रूपये कर दिया गया है । मेरा मत है इससे उड़ीसा की जनता में काफी असन्तोष पैदा होगा । एक अन्य खेद जनक बात यह है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में वेतन समिति की सिफारिशों को लागू करने के हेतु आवश्यक धन का उपबन्ध इस आय-व्ययक में नहीं किया गया है । साथ ही यह भी अत्यन्त खेदजनक बात है कि भूतपूर्व संयुक्त मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री द्वारा तैयार की गयी प्रस्थापनाओं को केन्द्र ने कोई महत्व नहीं दिया है । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है और उसकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि दूसरी योजना की अवधि में अतिरिक्त कराधान के लगभग ५० प्रतिशत लक्ष्य को उड़ीसा ने पूर्ण कर लिया है, जो कि कोई साधारण सफलता नहीं है । यद्यपि खनन उपकर की वसूली के लिए प्रयत्न नहीं किये गये हैं किन्तु करों का बोझ कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है । एक यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि राज्य में गैर विकास कार्यों पर व्यय बढ़ रहा है. इसे कम करने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

कराधान के अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के अन्य संसाधनों के विकास के लिए न तो प्रयत्न किये गये हैं और न इन संसाधनों को ठीक ढंग से काम में ही लाया गया है । हीराकुड परियोजना से मिलने वाली बिजली टाटा की दो फ़ैक्टरियों को लागत से भी कम दर पर दिया जा रहा है । इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि राज्य में बिक्री कर का अपवंचन बहुत बढ़ गया है। यदि इस अपवंचन को रोकने के लिए कार्यवाही की जाय तो डीजल और पैट्रोलियम जैसी चीजों पर और बिक्री कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उड़ीसा जैसे राज्य में लगान नहीं लिया जाना चाहिये और पानी पर भी कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल का जो सामूहिक खाद्य क्षेत्र है उससे उड़ीसा को हानि हुई है क्योंकि वहां की जनता क्रय शक्ति के अभाव में भूखी रहती है ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

इन शब्दों से मैं आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का समर्थन करता हूं ।

डा० बी० गोपाल रेड्डी : जिन लोगों ने इस विवाद में भाग लिया है वह सात व्यक्ति हैं । श्री रंगा को छोड़ कर बाकी सभी उड़ीसा के हैं उन्हें उड़ीसा राज्य के बारे में काफी जानकारी है । प्रथम अप्रल, १९३६ को, २५ वर्ष हुये उड़ीसा राज्य का आविर्भाव हुआ था । दो चार दिनों में उड़ीसा वाले अपने राज्य के निर्माण की रजत जयन्ती मना सकते हैं । यह कहना नितान्त गलत है कि उड़ीसा राज्य ने अपने निर्माण से लेकर अब तक कोई प्रगति नहीं की और राज्य के विकास के लिये विभिन्न सरकारों ने कोई कोशिश नहीं की । यह ठीक है कि जितना होना चाहिये था उतना हुआ नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य में बनाये गये पुलों की संख्या, सिंचाई और शिक्षा के लिये दी गयी सुविधायें, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में किये गये उपाय आदि राज्य की प्रगति के कुछ प्रमाण हैं। यह धारणा भी गलत है कि भारत सरकार ने राज्य के विकास में सहायता देने के लिये कुछ नहीं किया। मैं यह नहीं कहता कि यह सब कुछ कांग्रेस सरकार के कारण हुआ है परन्तु यह हुआ है और गत १५ वर्षों में उड़ीसा निश्चित रूप में प्रगति की ओर बढ़ रहा है।

कुछ वर्ष पहले की बात है मैंने गांधी जी के साथ उड़ीसा के गांवों की पद यात्रा की थी। वहां के ग्रामीण निस्संदेह निर्धन हैं। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की सहायता से उनकी हालत सुधारने का यत्न करती रही है। दिल्ली आने के बाद मैंने सभी राज्यों को देखा है। मुझे तलंगाना के जिलों आदि के बारे में भी पता है। हमें हर जगह यही शिकायत मिली है कि भारत सरकार इस जिले या राज्य के लिये कुछ नहीं कर रही। जम्मू और काश्मीर में १९४८ के बाद से हम करोड़ों रुपये खर्च चुके हैं पर यह शिकायत वहां की जनता की भी है। राजस्थान और आसाम का भी यही हाल है। तैलंगाना की हालात भी मुझे पता है। चूंकि पहले वहां रियासत थी इस कारण वहां की जनता बहुत पिछड़ी हुई है। इसलिये यही नहीं कि उड़ीसा ही सब से पीछे है।

उड़ीसा में हीराकुड परियोजना है और राउरकेला का कारखाना है। इनसे वहां की हालत अवश्य सुधरेगी। सारी बात समय की है। हीराकुड के जल का उपयोग होगा। अभी राउरकेला का विकास भी पूरी तरह से हो जायेगा।

इसके अलावा भारत सरकार की अपनी कठिनाइयां हैं। उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। सभी मंत्रणालय अधिकाधिक धन की मांग कर रहे हैं। बम्बई, पश्चिमी बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की अपनी समस्यायें हैं। वे भी योजना आयोग से और अधिक धन की मांग कर रहे हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने इन समस्याओं के बारे में सोचा है। हम जानते हैं कि हमारे साधन अपेक्षतया कम हैं। मांग ज्यादा है। परन्तु धन कहां से आए? हम तो उड़ीसा की सहायता करने को बड़े उत्सुक हैं। परन्तु धन कहां से आए? मेहनत के बिना कुछ न होगा। हमें खेती की पैदावार बढ़ानी होगी और कारखानों का विकास करना होगा। धीरे धीरे ही कुछ बनेगा। तीसरी योजना में भी काफी रुपया खर्च होगा। उससे भी जनता ही का कल्याण होगा। इसी प्रकार हम आगे से आगे बढ़ेंगे।

बम्बई या बंगाल के विकास को भी हम रोक नहीं सकते। यह तो नहीं हो सकता कि जब तक पिछड़े राज्य समान स्तर पर न आएं तब तक अन्य राज्यों में विकास का काम बन्द हो जाए। हमें आगे तो सदा ही बढ़ते रहना होगा और इसी के साथ हमें क्षत्रीय विकास का भी ध्यान रखना होगा। यह कहने से कुछ फायदा नहीं कि उड़ीसा निर्धन राज्य है। सदा यह कहने में भी कोई लाभ नहीं कि गांधी जी ने १९२२ या १९३२ में कहा था कि भारत की निर्धनता का सूक्ष्म चित्र उड़ीसा उपस्थित करता है। इससे तो हमें निराशा होती है। उड़ीसा भी आगे बढ़ रहा है। लोग मेहनत कर रहे हैं और यह राज्य विकासोन्मुख है। जनता नये हालात से प्रसन्न है।

इन्हीं बातों में राजनीति को भी लपेट दिया गया अर्थात यह भी कहा गया कि मिली जुली सरकार को तोड़ना ठीक था या नहीं। इन सब बातों पर सभा में अलग से चर्चा हो चुकी है। मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी इच्छा थी कि इस अवसर पर वहां प्रतिनिधि सरकार होती पर मुझे कुछ पता नहीं कि इसका दोष कांग्रेस को दें या गणतंत्र परिषद को।

[डा० बी० गोपाल रेड्डी]

यह बजट गणतंत्र परिषद ने तैयार किया था और उसका समर्थन कांग्रेस वालों को करना पड़ रहा है। इसलिये एक लिहाज से मिली जुली सरकार अब भी कायम ही समझनी चाहिए। यह बजट उन्हीं लोगों ने तैयार किया था पर हमने इसे पहले देखा है। अब हम इस अवसर पर जबकि तीसरी आयोजना शुरू होने जा रही है, यह नहीं चाहते थे कि १० करोड़ का घाटा दिखाया जाये।

इस कारण से हमें इसमें संशोधन करने पड़े। माननीय सदस्य शायद इस बात की आलोचना करें कि हम किस तरह से यह कमी पूरी करना चाहते हैं। संशोधन के बाद हमने केवल ४.१९ करोड़ रुपये का घाटा छोड़ा है। मुख्य खर्चों और करों को हमने ज्यों का त्यो रखा है। इसलिये एक बड़ी हद तक इसकी जिम्मेदारी गणतंत्र परिषद को भी संभालनी चाहिए। सारा दोष डा० मेहताब के सिर पर ही नहीं डाला जा सकता। हमने मुख्य चीजों को यथावत रख कर घाटे को कम कर दिया है। मिली जुली सरकार का प्रयोग भी अनोखा था। कुछ इसकी प्रशंसा करते हैं और कुछ निन्दा। कुछ लोग यह कहते हैं कि लोग गलत चल रहे हैं और कुछ का कहना है कि उन्हें विकास कार्यों के लिये अधिक धन की आवश्यकता थी। खैर मुझे इस विवाद से कोई मतलब नहीं। अब गृह मंत्री ने कह दिया है कि जून में चुनाव होंगे इस कारण नई सरकार जुलाई तक बन जायगी।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यहां पर प्रधान मंत्री ने भी स्पष्ट बात न कही थी पर उड़ीसा के कांग्रेस के अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव जून में होंगे।

†**डा० बी० गोपाल रेड्डी** : इन बातो से क्या लाभ। उड़ीसा के सम्बन्ध में कोई नयी चीज़ नहीं की गयी। ऐसा ही केरल आदि के बारे में भी किया गया था। आन्ध्र में और केरल में भी राष्ट्रपति का शासन होने के ४/५ मास बाद चुनाव कराये गये थे। इसलिये कोई नयी चीज़ तो यह नहीं है। चुनाव कराने की बात पर पता नहीं क्यों साम्यवादी और समाजवादी दल हमारी आशोलना करने लगे हैं।

हम यह सब लोकतंत्र के लिए ही कर रहे हैं। संसद भंग करते समय इंग्लैंड में भी कभी विरोधी दल की राय नहीं ली जाती। यहां पर ऐसे प्रश्न उठाये गये हैं कि क्या साम्यवादी दल से सलाह ले ली गयी है? ऐसा करना तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। गृह मंत्री ने जो अब चुनावों की घोषणा की है वह सामान्य नीति के अनुसार ही की है। पंजाब में भी १२/१४ महीने राष्ट्रपति का शासन चला था।

मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि चुनावों का परिणाम क्या होगा। अन्य दलों को अब चुनाव से डर क्यों लग रहा है। यदि मार्च या अप्रैल में हो तो ठीक अन्यथा ठीक नहीं। मैं समझता था कि साम्यवादी यह चाहते हैं कि उड़ीसा में फिर से लोकप्रिय सरकार बननी चाहिए और केन्द्र का शासन ज्यादा देर नहीं चलना चाहिए। किन्तु अब वे कह रहे हैं कि यह सब काम कांग्रेस वाले अपने फायदे के लिये कर रहे हैं। चुनावों के फैसले की आशोचना मेरी समझ में नहीं आती। हम वहां भी संयुक्त सरकार को तोड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम तो चुनाव की जल्दी ही करा रहे हैं। खैर चूंकि यह मामला राजनैतिक है इसी कारण लोग उत्तेजित हो जाते हैं। यहां तक कि बजट को भी इसी दृष्टि से देखा गया है। लगता है जैसे हम चुनाव की मुहिम यहीं से शुरू करने वाले हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजा साहिब और प्रधान मंत्री राउरकेला में चुनाव आन्दोलन शुरू करने ही गये यह विचार न जाने कैसे उन्हें हुआ है। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं। हां इतना ज्ञान अवश्य है कि वे राउरकेला गये हैं।

श्री पाणिग्रही आदि ने कहा कि हमें तो बजट में खास चीज़ दिखाई नहीं देती। मेरा विचार है कि वे अपने ही दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं। ठीक है चुनाव से पहले ऐसा ही कहा जाया करता है। पर मेरा ख्याल है कि उड़ीसा सरकार ने हालात के अनुसार बड़ा अच्छा काम किया है और उन्होंने जो १०.२६ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया था उसे हमने कम करके ४.१९ करोड़ रुपया कर दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि अतिरिक्त कराधान अव्यावहारिक है और उन करों को वसूल नहीं किया जा सकता। सरकार जो भी नये कर लगाती है, पहले वर्ष भले ही उन्हें पूरा पूरा वसूल न कर पाये पर बाद में व्यवस्था ठीक कर लेने पर वह पूरी रकम वसूल करने लगती है। वेतन आयोग की सिफारिशों से सम्बन्धित बातों की भी आलोचना हुई पर इस विषय में वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी यह नीयत नहीं कि हम उनके प्रस्तावों को अस्वीकार करें। हमें इस बात पर खुशी है कि उन्होंने अपने वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। परन्तु यह भी बता दिया गया है कि समिति के सिफारिशों के ब्यौरे का अभी परीक्षण किया जाना है और इन पर अमल करने में भी कुछ समय लगेगा। केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अमल में लाने से पहले भी हमें समय लगा था। इधर उधर परामर्श हुए थे और अनेक प्रकार की जानकारी इकट्ठी की गई थी। इतनी देर के बाद ही आदेश जारी हुए थे और अब तक की कुछ बातें विचाराधीन पड़ी हुई हैं। कुछ विभाग कहते हैं कि हम उन्हें कार्यान्वित क्यों नहीं कर रहे। इसमें समय लगता है और समय लगेगा भी। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने कहा था "कि फिलहाल इस प्रयोजन के लिए रखी गयी इकट्ठी रकम को हटा देने का निणर्य हुआ है।" इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। हमें सही लागत का भी ज्ञान नहीं था। वहां केवल तदर्थ प्रयोजन के लिए १.९७ करोड़ रुपया रखा था। खैर हम बाद में भी संसद के समक्ष अनुपूरक अनुदान रखेंगे। वित्त मंत्री ने कहा था, "जैसे ही राज्य सरकार वास्तविक खर्चे का सही अनुमान लगा लेगी वैसे ही हम संसद के समक्ष अनुपूरक अनुदान के लिए अभ्यर्थना करेंगे।"

इस से ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। सही अनुमानों के बाद अनपूरक अनुदान प्राप्त करके यह चीज पूरी कर दी जायेगी।

हम यह भी नहीं करेंगे कि तारीख में ही हेर फेर करें। यदि इन्हें मार्च से लागू करना हो तो उन्हें मार्च से ही लागू किया जायेगा। भूत लक्षी प्रभाव से लागू करेंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि जो चीज उड़ीसा की सरकार करना चाहती थी उसे केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि छोटे कर्मचारियों को ठीक वेतन मिले। हमें उड़ीसा सरकार के इस निर्णय पर प्रसन्नता है।

कराधान के प्रस्तावों की ज्यादा आलोचना नहीं हुई यद्यपि कुछ ने इन्हें अवास्तविक अवश्य कहा। इसमें उत्पादन शुल्क से १.३२ करोड़ रुपये की ज्यादा आमदनी दिखायी गयी है। इससे संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या हम मद्य निषेध की नीति से विचलित हो रहे हैं। २.८७ करोड़ रुपये में से १.३२ करोड़ रुपया अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होगा। ऐसा ही अनुभव अन्य राज्यों का भी है। मद्रास राज्य में भी चार पांच जिलों में मद्य निषेध है पर तब भी राजस्व उतना ही है क्यों कि कारण यह है कि विकास भी तो हो रहा है। मद्य निषेध के क्षेत्र का विस्तार करने के बावजूद भी उतना ही राजस्व है, यह मैसूर का अनुभव है।

[डा० बी० गोपाल रेड्डी]

उड़ीसा में भी ठेकों से होने वाली आय बढ़ती जा रही है। यद्यपि आंध्र में मद्य निषेध है तथापि तैलंगाना में आय दिन ब दिन बढ़ रही है। उड़ीसा में भी विदेशी-शराब के ठेकों से आय बढ़ रही है। इसी से १.३२ करोड़ रुपये की आय होगी।

बंदोबस्त के काम के फलस्वरूप भारत की वृद्धि तथा लगान के उपकर के प्रस्तावित संचय से भी ४१ लाख रुपया प्राप्त होने का विचार है। उड़ीसा सिंचाई अधिनियम के बाद से सिंचाई की दरों के बढ़ाये जाने से भी ४५ लाख रुपये की आय होगी।

श्री महन्ती का कहना है कि वह भूमि राजस्व इकट्ठा करने के पक्ष में नहीं हैं उनका कहना है कि यह सरकार के लिये राजस्व का साधन न बने। सिंचाई उपकर भी नहीं होना चाहिये। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जब हमें पीने का पानी भी मूल्य देकर मिलता है तो फिर सिंचाई कर क्यों न लगाया जाये और आवश्यकता पड़ने पर उसे क्यों न बढ़ाया जाये। योजना आयोग का विचार है कि राज्यों की अतिरिक्त आय बढ़ाने केलिये ग्रामीण क्षेत्रों में लगान तथा सिंचाई कर की दर बढ़ाई जाये। उनका विचार है कि ग्रामीण इस सिलसिले में पर्याप्त राशि नहीं दे रहे। योजना आयोग पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकारों से इन करों के बढ़ाने के बारे में कई बार कह चुका है। कह नहीं सकता कि हमारे देश में लगान की वसूली कब समाप्त होगी। हो सकता है कि कभी वह दिन आये जब हमारे यहां उद्योग धंधे इतने अधिक बढ़ जायें और उनसे राज्यों को इतनी अधिक आय होने लगे तो हो सकता है कि हम यह लगान लेना बंद कर दें। लेकिन वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुये किसी भी राज्य सरकार के लिये इस समय यह संभव नहीं है कि वह लगान लेना बिल्कुल ही समाप्त कर दे। वे बराबर ही लगान एवं सिंचाई कर बढ़ाते रहेंगे।

यात्री किराये तथा भाड़े के प्रस्तावित कर से २६ लाख रुपये की आय की संभावना है। कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में पग उठाये भी हैं। तो मेरी समझ में फिर यह बात नहीं आती कि उड़ीसा भी क्यों न इस सिलसिले में कार्यवाही करे।

जब कभी भी कोई कर लगाया जाता है तो कहा जाता है कि इसका प्रभाव साधारण जनता पर पड़ेगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब वहां जमींदार तथा नरेशों को समाप्त कर दिया गया है तो फिर कौन रह जाता है जिस पर और कर लगायें जायें।

यह ीक है कि उड़ीसा में काफी मात्रा में खनिज पदार्थ है लेकिन उनको प्राप्त करने के लिये भी तो काफी रकम चाहिये।

इस बात की भी आलोचना की गई है कि उड़ीसा को तृतीय पंच वर्षीय योजना में केवल १६० करोड़ रुपये दिये गये हैं। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि उड़ीसा के पास संसाधन कहां है। उड़ीसा के लिये जब तृतीय पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था तो वहां के मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री से परामर्श कर लिया गया था। यह बात जरूर है कि उड़ीसा की मांग अधिक थी।

आगामी तीन महीनों में जब तक कि वहां लोक-प्रिय सरकार बनती है। वहां के राज्यपाल अपव्यय के सम्बन्ध में अच्छी तरह देखभाल करेंगे और यह देखेंगे कि वहां अपव्यय न हो। श्री पाणिग्राही का कहना है कि पुलिस पर व्यय बढ़ा हैं। लेकिन यह बात केवल उड़ीसा के बारे में ही नहीं है, सभी जगह व्यय बढ़ा है। और है भी ठीक क्यों कि जब कभी नगरों का विकास होता है तथा उद्योग धंधे बढ़ते हैं तो यह आवश्क हो जाता है गिक वहां विधि और व्यवस्था कायम की जये। कभी कभी

तो सामाजिक सुविधायें जैसे स्कूल तथा अस्पतालों की स्थापना करने से पूर्व हमें विधि और व्यवस्था को अधिक प्राथमिकता देनी पड़ती है । चूंकि एक कल्याणकारी राज्य में इसकी बहुत आवश्यकता है कि वहां विधि और व्यवस्था हो ।

उड़ीसा के प्रशासनिक मामलों के बारे में जो भी सुझाव दिये गये हैं और जो भी बातें कही गई हैं उनकी जांच की जायेगी ।

राज भवन पर किये जाने वाले व्यय के बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है क्योंकि संविधान के अनुसार राज्यपाल तो रहना ही है और राज्यपाल के रहने पर व्यय होना भी सामान्य बात है ।

माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इतने कम समय में भी कि उन्हें उड़ीसा सम्बन्धी आय व्यय के पत्र केवल कल ही दिये गये थे, इतने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । और आश्वासन देता हूं कि जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है राज्यपाल द्वारा अवश्य ही उनकी देखभाल की जायेगी ।

उड़ीसा सम्बन्धी लेखानुदान की मांगें, १९६१-६२

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं वर्ष १९६१–६२ के लिये उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में लेखानुदान की मांगें मतदान के लिये रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में वर्ष १९६१-६२ के लिये लेखानुदान की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	निर्वाचन और गृह-कार्य सम्बन्धी अन्य व्यय . .	६,६७,०००
२	जेलें	६,२२,०००
३	पुलिस	३८,४६,०००
४	योजना और समन्वय तथा राजनीतिक और सेवा विभागों सम्बन्धी योजना और पुनर्निमाण तथा अन्य व्यय	८,००,०००
५	सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि	७३,४१,०००
६	नदी घाटी विकास	२,७८,०००
७	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	८५,०००
८	स्टाम्प	२९,०००
९	मंत्रियों, असैनिक सचिवालय और वित्त विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	१२,०६,०००
१०	निवृत्ति-वेतन	६,९०,०००
११	शिक्षा विभाग सम्बन्धी व्यय	९१,१५,०००

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३
		रुपये
१२	करारोपण	२,४९,०००
१३	भूराजस्व	३०,८४,०००
१४	उत्पादन शुल्क	३,५८,०००
१५	पंजीयन	१,०१,०००
१६	जिला प्रशासन और राजस्व विभाग संबंधी अन्य व्यय	४२,२६,०००
१७	उद्योग विभाग सम्बन्धी व्यय	३४,०१,०००
१८	व्यवहार तथा सत्र न्यायालय और विधि विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	४,६६,०००
१९	लेखन सामग्री और छपाई तथा वाणिज्य विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	७,०६,०००
२०	श्रम और उत्प्रवास और नियोजन संगठन	३,३८,०००
२१	आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग	३९,८०,०००
२२	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	२९,७८,०००
२३	लोक स्वास्थ्य	१३,२२,०००
२४	सिंचाई	१,१२,६३,०००
२५	असैनिक निर्माण कार्य	१,११,०३,०००
२६	राज्य विधान-मण्डल	१,०९,०००
२७	सार्वजनिक निर्माण सामूहिक संस्थापन और निर्माण विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	१०,११,०००
२८	विद्युत योजनायें	४९,७६,०००
२९	गाड़ियों पर कर	२,२०,०००
३०	परिवहन योजनायें	२०,१६,०००
३१	वन	२१,२८,००००
३२	मीन क्षेत्र	४,८४,०००
३३	सहकारिता	७,५७,०००
३४	स्थानीय निकायों को अंशदान	२,५७,०००
३५	पशु पालन	१४,९२,०००
३६	जन-सम्पर्क	२,९०,०००
३७	कृषि	२५,६८,०००
३८	संभरण विभाग	३,६३,०००
३९	हीराकुड बांध परियोजना	१२,७०,०००
४०	सामुदायिक विकास परियोजनायें	४,४०,०००
४१	स्थानीय निधियों, सरकारी नौकरों आदि को ऋण	२८,७५,०००
४२	जमीदारी को समाप्त करने के लिये प्रतिकर और भू-राजस्व विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	१४,९१,०००
४३	राजस्व लेखे से बाहर की विद्युत योजनायें और निर्माण विभाग संबंधी अन्य व्यय	२,६२,९५,०००
४४	कृषि सम्बन्धी सुधार और अनुसन्धान	११,६४,०००

१	२	३
४५	सरकार द्वारा व्यापार की योजनायें	५०,९९,०००
४६	सड़क परिवहन योजनायें	३३,०००
४७	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी व्यय और स्वास्थ्य (एल० एस० जी०) विभाग सम्बन्धी असैनिक निर्माण कार्य का पूंजीगत लेखा	५,६६,०००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत व्यय	४,५३,०००
४९	पत्तनों (चान्दबली) पर पूंजीगत व्यय	१६,०००
५०	पत्तनों (परादीप) पर पूंजीगत व्यय	१३,६८,०००
५१	सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना	८३,०००
५३	गृह-विभाग सम्बन्धी अन्य कार्यों का पूंजीगत लेखा	६०,०००
५४	वनों पर पूंजी गत व्यय	२,२०,०००
५५	विकास (सहकारिता) विभाग सम्बन्धी पूंजीगत व्यय	३,१२,०००
५७	विकास (पशु चिकित्सा) विभाग सम्बन्धी पूंजीगत व्यय	१,२७,०००
५८	योजना और समन्वय (ग्राम पंचायत) विभाग सम्बन्धी अन्य निर्माण कार्यों का पूंजीगत लेखा	१,१७,०००
६०	असैनिक निर्माण कार्यों का पूंजीगत लेखा	६८,७५,०००

उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के एक भाग के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के एक भाग के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के एक भाग के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के एक भाग के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३, अनुसूची खंड १, अधिनियमनसूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ और ३, अनुसूची, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**डा० बे० गोपाला रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये । "

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें—जारी

गृह-कार्य मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा तथा मतदान होगा ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : हमारे पदाधिकारियों की आलोचना की गई है । अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के बारे में हमें कुछ करना चाहिये इसकी ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है । भ्रष्टाचार के बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं ।

सौभाग्य से सन् १९५५ से अब तक हमें श्री पंत का पथ प्रदर्शन मिलता रहा था । उनके परामर्श से गृह-कार्य मंत्रालय ने ही लाभ नहीं उठाया बल्कि भारत सरकार ने भी लाभ उठाया है । उन्होंने इस मंत्रालय में कई नई चीजें आरम्भ की हैं । उन्होंने अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों की दशा सुधारने के लिये भी बहुत कुछ किया । उन्होंने सेवाओं की कुशलता बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार को मूल से समाप्त करने के लिये भी बहुत कुछ किया है । गत छः वर्षों के दौरान में उन्होंने गृह-कार्य मंत्रालय में बहुत सुधार किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक कि सेवाओं की कुशलता की बात है माननीय सदस्य श्री माथुर ने बहुत महत्व-पूर्ण बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उनके कुछ सुझावों से तो मैं सहमत हूं लेकिन उनके कुछ सुझाव ऐसे हैं जो प्रशासकीय दृष्टि से बड़े अटपटे हैं। उनका कहना है कि जिले के स्तर पर अच्छे प्रशासकीय पदाधिकारी हों। यह सच है कि जिले स्तर के प्रशासकीय पदाधिकारियों द्वारा ही बहुत कुछ प्रशासन का काम चलाया जाता है। अतः मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि आम तौर पर हमारे जिलों के मामलों की देख भाल के लिये अनुभवी तथा योग्य पदाधिकारी हैं। कुछ स्थानों को छोड़ कर शेष सभी स्थानों पर ये पदाधिकारी ऐसे हैं जिनमें काम करने के लिये उत्साह एवं प्रेरणा है।

श्री माथुर ने यह सुझाव दिया है कि इन पदाधिकारियों को पुनरभ्यास प्रशिक्षण कोर्स दिया जाना चाहिये। मैं उनके इस सुझाव से सहमत हूं और उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस कोर्स का जो महत्व है उसके सम्बन्ध में सरकार जागरूक है और इसके लिये मसूरी में प्रशासन की एक राष्ट्रीय अकादमी है। पहले आ० ए० एस० पदाधिकारियों के लिये दिल्ली तथा शिमला में दो स्कूल थे जिन्हें मिला कर अब एक कोर्स मसूरी में कर दिया गया है। इसमें केवल आ० ए० एस० पदाधिकारियों को ही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता बल्कि उच्च पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हम शुरू से ही इस सम्बन्ध में जागरूक थे। इसके अलावा माउन्ट आबू में जो पुलिस ट्रेनिंग कालेज है, उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हेतु पुनरभ्यास कोर्स की व्यवस्था है। यहां राज्य सरकारें भी अपने वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों को भेजती हैं और इस प्रकार अपने यहां कार्य की कुशलता को बढ़ाती हैं क्योंकि यह निश्चित है कि इस कोर्स को पूरा करना लाभदायक है। अतः हम पहले से ही यह व्यवस्था कर चुके हैं।

उनका यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता कि बड़े बड़े अधिकारी सत्तारूढ़ दल के लोगों में से लिये जाने चाहिये ऐसा अमरीका में होता है। वह भी इसलिये किया जाता है कि ये पदाधिकारी राष्ट्रपति की विचारधारा के होते हैं। लेकिन हम तो ब्रिटिश प्रशासन प्रणाली का ही अनुकरण कर रहे हैं, जिसमें सत्तारूढ़ दल के बदलने से अधिकारी नहीं बदलते। हमारी नीति स्थायी पदाधिकारी रखने की है। जहां तक कि सामान्य नीति की बात है उन्हें सत्तारूढ़ दल की नीति के अनुसार अपने आपको बदल लेना चाहिये। मैं स्वयं भी यह नहीं चाहता कि पदाधिकारी राजनैतिक दलों की नीति से प्रभावित हो कर काम करे क्योंकि उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना होता है। श्री दी० चं० शर्मा को मैं यह बता देना चाहता हूं कि यदि हमारे पदाधिकारी राजनीति में भाग लेते हैं तो उनके विरुद्ध सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के अधीन अनुशासन की कार्यवाही की जा सकती है। पदाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे राजनीति से अलग रह कर प्रशासन का काम चलायें। अतः मेरा सुझाव है कि हम इस वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे कि पदाधिकारियों का राजनीति से अलग रह कर काम करना ही अधिक अच्छा है। इन पदाधिकारियों का काम मंत्रियों तथा सरकार को परामर्श देना है और निर्णय करना मंत्रियों तथा सरकार के हाथ की बात है। निर्णय हो जाने के बाद भले ही वह इन पदाधिकारियों के मनोनुकूल न हो, लेकिन फिर भी उसे उस निर्णय का पूरी तरह पालन करना होगा। यही हमारी वर्तमान व्यवस्था है और मेरा विश्वास है कि यही ठीक व्यवस्था है।

हम राज्य सरकारों से कुछ निश्चित अवधि के लिये कुछ पदाधिकारी उधार ले लेते हैं ; यह कहना सही नहीं है कि बहुत से पदाधिकारी बहुत समय तक सचिवालय में ही बने रहते हैं। जिलों का अनुभव प्राप्त करने के लिये हम अपने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों को भी

[श्री दातार]

भेजते हैं। इस सम्बन्ध में श्री दामर ने एक प्रश्न पूछा था कि कितने पदाधिकारी राज्यों से केन्द्र में आये हैं और उनमें से कितने पदाधिकारी वापस भेज दिये गये हैं। १२ दिसम्बर, १९६० को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने उन्हें बताया था कि १५ पदाधिकारी रोके गये हैं। ये पदाधिकारी यहां राज्य सरकारों की सहमति से ही रोके गये हैं। अब तक हमने राज्य सरकारों से २४५ पदाधिकारियों की सेवायें ली थीं और वे सब गत ११ वर्षों में वापस भेज दिये गये हैं।

जहां तक आ० ए० एस० पदाधिकारियों का मामला है ये पदाधिकारी अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के बाद भर्ती किये जाते हैं और सभी प्रकार एवं स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनकी नियुक्ति की जाती है। इनके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों के पदाधिकारी भी होते हैं जिनको यह श्रेणी पदोन्नति के रूप में दी जाती है। इनकी यह पदोन्नति एक निश्चित कोटा के अनुसार होती है। । यह पदोन्नति काफी अनुभवी व्यक्तियों की ही की जाती है जिनका डिप्टी कलक्टर अथवा इसी प्रकार के पद पर लगभग ८ वर्ष का या उससे अधिक का अनुभव होता है। इनका चुनाव एक समिति के द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य होता है। इस समिति की सिफारिशें संघ लोक सेवा आयोग के सामने जाती है और इस आयोग का समर्थन मिल जाने के पश्चात् ही इनकी पदोन्नति की जाती है। अतः हमारे यहां दो श्रेणियां हैं एक तो सीधे भरती किये गये आ० ए० एस० तथा दूसरे पदोन्नति पाकर इस श्रेणी में आये पदाधिकारी। मैं माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इनकी वरिष्ठता, स्थायीकरण तथा अग्रेतर पदोन्नति के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जहां तक उनके वेतन का प्रश्न है वह उनकी योग्यता के आधार पर ही निश्चित किया जाता है। उसके बाद ही वे इस आ० ए० एस० श्रेणी में पदार्पण करते हैं। अतः श्री द्विवेदी का यह कहना गलत है कि इन दोनों श्रेणियों में भेदभाव रखा जाता है। अतः उनकी गलतफहमी का आधार बेकार है। उनका कहना है कि पदोन्नति प्राप्त पदाधिकारियों के वेतन निर्धारण में भेदभाव किया जाता है। इस बारे में मैं यह निवेदन करता हूं कि सदैव इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि उन्हें यहां उस वेतन से अधिक ही मिले जो उन्हें राज्य सरकारों द्वारा मिलता था। इन सभी सिद्धान्तों का पूरीतरह पालन किया जाता है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी के साथ आ० ए० एस० श्रेणी के सदस्यों जैसा बर्ताव किया जाता है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कुछ कहने के पूर्व मैं नियम संख्या ४(क) और ४(ख) के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि ये दो नियम अभी हाल सरकारी कर्मचारी आचार संहिता में जोड़े गये हैं। नियम ४(क) के अधीन कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता है। इस नियम को उच्च न्यायालयों ने बिल्कुल युक्तिसंगत ठहराया है। नियम ४(ख) कर्मचारियों के उन संघों में शामिल होने केसम्बन्ध में हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इस सम्बन्ध में बम्बई उच्च न्यायालय में अभी हाल इस प्रकार का निर्णय दिया गया है कि इस नियम से संविधान के आधारभूत अधिकारों पर आघात होता है। सरकार उस स्थिति का अध्ययन कर रही है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय। अतः यह कहना गलत है कि सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय को मान्यता नहीं दे रही है।

कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि सरकार ने हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया है। केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल बिल्कुल गलत और अनुचित थी ? कुछ ही दिनों में यह हड़ताल बिल्कुल बैठ गयी। तब यह प्रश्न उठा कि

उन लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाय जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ सिद्धांत बनाये अतः सरकार ने उन कर्मचारियों में विभेद किया जिन्होंने इस हड़ताल में सक्रिय भाग लिया और उन में जिन्होंने इस हड़ताल में सक्रिय भाग नहीं लिया। अनुशासन को देखते हुए उनका आचार काफी संतोषजनक था। वे केवल दुराचरण के अपराधी थे। उन्होंने हड़तालो नेताओं के कहे अनुसार हड़ताल में सक्रिय भाग नहीं लिया था अपितु केवल कुछ समय के लिये वे अपने कार्य से अनुपस्थित रहे थे। सरकार ने इसके प्रति नरम रवैया अपनाया। सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आचार संहिता के अनुसार कार्य करना होता है। अतः अनुशासन रखने के लिये उनके प्रति कुछ कार्यवाही करनी पड़ी।

जहां तक पहिले वर्ग के सरकारी कर्मचारियों का प्रश्न है सरकार ने उनके प्रति बहुत उदारता दिखलाई है। दूसरे वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी बातों का विचार करने के पश्चात् सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचो है कि उनके सम्बन्ध में भी कुछ ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे कि अनुशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

अब मैं इस सम्बन्ध में कुछ मनोरंजक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुअत्तिल हुए कुल कर्मचारियों की संख्या २७०९८ है। इनमें से सभी बातों पर विचार करने के उपरांत २६८३४ कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रख दिया गया। अब यह आदेश उन २६१ व्यक्तियों पर ही लागू होता है जिनका आचरण गम्भीर रूप से आपत्तिजनक ज्ञात हुआ।

जहां तक नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों का सम्बन्ध है, २०६५ व्यक्तियों को नौकरी से हटा दिया गया था जिनमें से १८३६ व्यक्ति रख लिये गये हैं। इस समय केवल २२९ व्यक्ति नौकरी से अलग हैं।

अस्थायी कर्मचारियों में से २१३७ कर्मचारियों को नौकरी से मुक्त कर दिया गया। जिनमें से २०११ व्यक्तियों को पुनः नौकरी पर रख लिया गया है। ३२१ व्यक्तियों पर विभागीय कार्यवाही अभी जारी है। ११८७६ व्यक्तियों को हस्तक्षेप करने, ध्वंसात्मक कार्यवाही करने, तथा दबाव डालने से सम्बन्धित अधिनियमों तथा अध्यादेश के अधीन मुकदमा चलाया गया, उन पर चलाये गये मुकदमें विभिन्न स्तरों पर थे, अन्ततोगत्वा १५६० व्यक्तियों पर दोष प्रमाणित हुआ जिनमें से ९९४ को सजा दी गयी। कई सरकारी कर्मचारियों की सजायें माफ कर दी गयीं और जिन कर्मचारियों के मामले निलम्बित हैं उनकी संख्या सिर्फ २३ है।

यह कार्य बहुत अनुचित तथा देश के हितों के लिये घातक था। इससे उत्पादन, परिवहन की आय तथा आपातकालीन व्यवस्था के रूप में सरकार की जो हानि हुई वह ४.५० करोड़ थी। इससे ११२ लाख जनघंटों का नुकसान हुआ। इन कर्मचारियों को भी मजूरी के रूप में ७० लाख रुपये की हानि हुई। ४०००० रुपये के मूल्य की सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंची।

उक्त सभी बातों पर विचार करते हुए माननीय सदस्य यह विचार कर सकते हैं कि क्या सरकार का रवैया उदारतापूर्ण था कि नहीं। इस सम्बन्ध में हमें दो बातों का विचार करना होता है। पहिला यह कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अनुशासन के अधीन आचरण करना चाहिये। दूसरे यह कि यदि उन्होंने विभिन्न प्रकार के अपराध किये हैं तो उसका दंड भी विभिन्न प्रकार का होना चाहिये। जहां तक अनुशासनात्मक कार्यवाही का सम्बन्ध था अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर रख लिया गया। अतः माननीय सदस्यों को उन्हें पुनः नौकरी पर

[श्री दातार]

रखने का अनुरोध करने के पूर्व इन बातों पर भी विचार कर लेना चाहिये । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन अधिकारियों ने गलती की है । यदि हम उनकी सारी गलतियों को क्षमा करने लगें तो इस प्रकार सरकार का संचालन नहीं हो सकेगा। इससे सरकारी कर्मचारी में नैतिक पतन आरम्भ हो जायेगा । इसलिये हमने अनुशासन बनाये रखने के लिये न्यूनतम कार्यवाही की । वस्तुतः हम सरकारी कर्मचारियों के प्रति अत्यधिक उदार रहे हैं ।

यह कहा गया है कि उच्च न्यायालयों में निलम्बित मुकदमों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है । वस्तुतः निलम्बित मुकदमों की संख्या में इतनी वृद्धि नहीं हुई है जितना कि सदस्यों ने बताया है । मेरे पास उच्च न्यायालयों के तीन वर्ष के यथा १९५८, १९५९ और १९६० के आंकड़े हैं। उच्च न्यायालयों में उक्त वर्षों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि इस प्रकार हुई है। १९५८ में १५१ स्थायी न्यायाधीश और २८ अतिरिक्त न्यायाधीश थे, १९५९ में अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या बढ़ कर ३३ हो गयी । १९६० में १५७ स्थायी न्यायाधीश और ४३ अतिरिक्त न्यायाधीश हो गये ; हमने अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या में काफी वृद्धि की है तथा कुछ स्थायी न्यायाधीश भी बढ़ाये हैं तथापि हमें इसके द्वारा राज्य सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय भार का भी विचार करना होता है। उक्त वर्षों में दावों की संख्या १६६७७७ से बढ़ कर १८७६७७ हो गयी । निलम्बित मुकदमों की संख्या १७७७९९ से बढ कर १८४५९५ हो गयी है । १९५८ के अन्त में निलम्बित मुकदमों की संख्या १.७८ लाख थी जो बढ़ कर १.८५ लाख हो गयी । इस प्रकार मुकदमों की संख्या में ७००० की वृद्धि हुई। १९६० में दो वर्ष पुराने मुकदमों की संख्या ६२७३८ थी जिनमें से १३८ फौजदारी के मामले थे । उच्च न्यायालयों ने फौजदारी के मामलों पर उचित ध्यान दिया है । विधि मंत्रियों के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि बड़े बड़े दीवानी मामलों का निपटारा दो वर्षों के भीतर हो जाये और फौजदारी के मामलों का निपटारा ६ महीनों के भीतर हो जाये ।

जहां तक उड़ीसा के उच्चन्यायालय का प्रश्न है वहां पर निलम्बित मामलों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है । वहां एक स्थायी न्यायाधीश अभी हाल पदनिवृत्त हुए हैं । उनके पद-निवृत्त होने के पहिले हमने वहां के मुख्य मंत्री और मुख्य न्यायाधीश को किसी व्यक्ति को नाम निर्देश करने को कहा था । तथापि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है इससे अभी उस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है । निलम्बित मामलों के सम्बन्ध में हम उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं, यह विचार किया जा रहा है कि जिला न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बढ़ा कर उच्चन्यायालय का कार्य कम कर दिया जाये । इस बात पर विचार किया जा रहा है ।

माननीय सदस्य ने यह कहा कि विधि आयोग की सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। मैं ने सामान्य रूप से यह बताया था कि उनकी अधिकांश सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार अथवा मुख्य न्यायाधीशों या राज्य सरकारों द्वारा अमल में लाया जा रहा है । वे विभिन्न न्यायालयों में निलम्बित मुकदमों की संख्या को कम करने के लिये यथोचित कार्यवाही कर सकते हैं। इस कार्य पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । क्योंकि हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाये रखना चाहते हैं। वस्तुतः उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इस मामले में काफी सतर्क हैं और सरकार उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के रूप में या विधि का संशोधन करने के रूप में यथोचित सहायता देने को तैयार है ।

अब मैं मद्यनिषेध को लेता हूं। माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सरकार इस सम्बन्ध में संकोचपूर्ण नीति बरत रही है । श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कल यह विचार व्यक्ति

किया कि सरकार इस सम्बन्ध में दृढ़ नीति नहीं अपना रही है । इस सम्बन्ध में हम पर संविधान के बुनियादी सिद्धांतों का नियंत्रण है । दूसरे नये संविधान के पूर्व भी बम्बई और मद्रास में १९३७ और १९३९ के बीच जब वहां कांग्रेस की सरकार थी तब भी वहां मद्यनिषेध था। संविधान के निर्माण के पश्चात् सरकार ने इस सम्बन्ध में देश की स्थिति जानने के लिये एक योजना आयोग और एक अन्य समिति नियुक्त की। इस समिति के अध्यक्ष श्री श्रीमन् नारायण थे, उन्होंने कुछ सिफारिशें की। सरकार उन सिफारिशों के अनुसार कार्य कर रही है । सरकार मद्यनिषेध के कायक्रम पर यथासंभव पूरे तौर पर स्थिरता से अमल करना चाहती है । वर्तमान स्थिति यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात में पूरा मद्यनिषेध है आंध्र प्रदेश में भी पूरी तरह से मद्यनिषेध है तेलगांना में अभी मद्यनिषेध नहीं हुआ है । मैसूर में कुछ जिलों को छोड़ कर अन्य जिलों में मद्यनिषेध है । अन्य राज्यों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है । उत्तर प्रदेश में ११ जिलों में और पंजाब में १ जिले में मद्यनिषेध हैं। अन्य राज्य किसी न किसी कारण से मद्यनिषेध को लागू नहीं कर पा रहे हैं। सब से बड़ी कठिनायी वित्त सम्बन्धी है तथापि हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इसे सफल बनाया जाये ; अमेरिका ने भी १९२० में संविधान का संशोधन कर मद्यनिषेध लागू किया था, तथापि १३ वर्ष पश्चात् उन्हें मद्यनिषेध का बिल्कुल समाप्त कर देना पड़ा। अमेरिका में लगभग ४७ प्रतिशत व्यक्ति शराब पीते हैं। भारत में दो बातें इसके पक्ष में हैं। पहिला, लोग धार्मिक कारणों से मद्यपान नहीं करते हैं। भारत में केवल ७ प्रतिशत लोग शराब के आदी हैं। अतः यहां मद्यनिषेध का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है । यद्यपि कई क्षत्रों से यह मांग की जाती है कि मद्यनिषेध हटा दिया जाय तथापि मद्यनिषेध कार्यक्रम कभी समाप्त नहीं किया जायगा हम सदैव राज्य सरकारों को यह सलाह देंगे कि यथासंभव पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया जाय । हम यथासंभव भारत में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करना चाहते हैं ।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय परामर्शदातृ समिति में चर्चा हुई थी तथा कुछ कठिनाइयां सामने रखी गयीं । श्री माथुर ने यह दलील दी कि यह तभी सफल हो सकता है जब कि यह सारे भारत में एक साथ लागू किया जाये । आंशिक मद्यनिषेध होने पर भृष्टाचार की काफी गुंजाइश रहती है । क्योंकि इससे एक क्षेत्र के लोग जा कर दूसरे क्षेत्रों में शराब पी आते हैं। स्वयं दिल्ली में भी यही कठिनायी है क्योंकि दिल्ली के चारों ओर के क्षेत्रों में मद्यनिषेध नहीं है। यद्यपि हम इस मामले में राज्य सरकारों से चर्चा कर रहे हैं तथापि राजधानी होने के कारण हमें दिल्ली के बारे में और भी कई बातों पर विचार करना होता है । इन कारणों से दिल्ली में मद्यनिषेध के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है । हम इन कठिनाइयों का सामना करने का प्रयत्न कर रहे हैं और मद्यनिषेध लागू करने के लिये यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी

कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना है कि जितना हम मद्यनिषेध पर जोर दे रहे हैं उतना ही अवैध रूप से शराब का बनाया जाना बढ़ रहा है। यह बात ठीक है और इसे दूर भी करना चाहिए परन्तु मेरा मत यह है कि आने वाली पीढ़ी शराब से बहुत दूर हो जायेगी। शराब बन्दी को समाप्त कर देने से देश तबाह हो जायेगा। मद्यनिषेध के सम्बन्ध में सरकार को संविधान के निदेशक तत्वों का पालन करना होगा। सरकार राज्य सरकारों को सलाह दे रही है कि शराब बन्दी को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाये। तत्सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में जो कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं और ठीक करने का अधिक से अधिक यत्न किया जा रहा है। सरकार की यह बड़ी तीव्र इच्छा है कि मद्यनिषेध पूर्ण रूप से लागू कर दी जाये।

[श्री दातार]

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा इत्यादि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, और जिनके प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है, इनमें भी विकास के लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले चार वर्षों में हमने इन क्षेत्रों पर ८५ करोड़ से अधिक धन राशि व्यय की है। यह बात इस बात का बड़ा भारी सबूत है कि भारत सरकार इन क्षेत्रों के विकास में कितनी अधिक रुचि रखती है। यह क्षेत्र देशी रियासतों के इलाके थे और काफी पिछड़े हुए थे। हिमाचल प्रदेश में २२ रियास्ते थीं। फजल अली आयोग ने यह सिफारिश की थी कि हिमाचल प्रदेश को कुछ वर्षों के लिए केन्द्रीय प्रशासन के अधीन रखना चाहिए। ऐसा ही किया गया है और विकास का कार्य वहां तेजी से चल रहा है।

मुझे इस बात की हैरानी हुई कि जो हमारे मनीपुर के माननीय संसद सदस्य १९५२ में मनीपुर का आसाम में विलय कर देने के पक्ष में थे वही श्री ले० अचौ सिंह वहां आन्दोलन कर रहे थे। मनीपुर में विधान सभा की मांग के सम्बन्ध में आन्दोलन करने वाले लोगों ने जो ढंग अपनाये वह अहिंसक नहीं थे। आन्दोलनकारियों ने धरने दिये और अन्तर्राज्यीय पुलिस चौकियों को नष्ट करने के लिए योजनाबद्ध कार्यवाही की। पुलिस की हिरासत में जो ६ व्यक्ति थे उनमें से केवल एक व्यक्ति जेल में है। शेष सभी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

क्षेत्रीय परिषदों की कोई व्यवस्था नहीं है। इनको तो केवल सलाहकार संस्थाओं के रूप में ही हैं। उन्हें क्षेत्रीय राज्य नहीं माना जा सकता। उनका काम सरकारी स्तर पर समन्वय करना तथा जन सम्पर्क स्थापित करना हैं। ये परिषदें वैसे अच्छा काम कर रही है। यह परिषदें पांच हैं और प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य किया है और मिलजुल कर सिंचाई, परिवहन तथा संचार इत्यादि की बहुत सी समस्याओं को हल किया है।

भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त ने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है। तीसरा प्रतिवेदन सरकार को अभी हाल में प्राप्त हुआ है। दूसरे और तीसरे प्रतिवेदन पर संसद में चर्चा किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। आयुक्त ने बड़े लाभदायक सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। उनके सुझाव पर ही दक्षिण में चार राज्यों द्वारा मंत्रिमंडल स्तर पर एक समिति बना दी गयी है। ऐसे संरक्षणों का सुझाव प्रस्तुत किया गया है जिनके द्वारा भाषाई अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा की जा सकती है। यह इस दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पग है। मेरे विचार में जो कुछ अब तक इस मामले में किया गया है वह काफी सन्तोषजनक है।

कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने का जहां तक प्रश्न है, मेरे पास इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। सात राज्यों में कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था बिलकुल अलग अलग है। अन्य राज्यों में भी ऐसा ही किया जा रहा है और इस दिशा में काफी प्रगति हो रही है।

†**श्री जे० ब० सिं० बिष्ट** (अल्मोड़ा) : आज गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे पंडित पन्त की याद आ रही है। उनके हृदय में पर्वतीय लोगों के लिए काफी

†मूल अंग्रेजी में

स्थान था, वह स्वयं भी पर्वतीय ही थे। मैं उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों, पंजाब में लाहौल, काश्मीर में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में किनौर के विशेष डिवीजन बनाये जाने का स्वागत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

मैं एक घोषणा करना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों ने २७ मार्च को इन मांगों के संबंध में १४९ कटौती प्रस्ताव पेश किये थे। उनके अतिरिक्त, श्री प्र० के० देव के कटौती प्रस्ताव संख्या ११०३, ११०४, ११०५ और १११० प्रस्तुत मान लिये जायेंगे। सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
४६	११०३	श्री प्र० के० देव	राज्यों में निर्वाचित राज्यपालों की व्यवस्था लागू करने की वांछनीयता।	१००
४६	११०४	श्री प्र० के० देव	नेफा और नागा लैंड का प्रशासन गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपने की वांछनीयता।	१००
४६	११०५	श्री प्र० के० देव	मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में विधान सभाओं की व्यवस्था की वांछनीयता।	१००
५१	१११०	श्री प्र० के० देव	बिहार के उड़िया क्षेत्रों में जनगणना-कार्य की त्रुटियां	१००

†**श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर)**: आधा घंटे की चर्चा स्थगित की जानी चाहिये जिससे कि माननीय सदस्यों को कुछ समय मिल जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उससे कोई लाभ नहीं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (पुरी)** : मैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् के संबंध में अलग से बोलना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब आधा घंटे की चर्चा शुरू होगी श्री पाणिग्रही।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

†मूल अंग्रेजी में

*पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी): माननीय सदस्यों की भावना है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर रही है। वह अपने क्षेत्र के राज्यों के मतभेद दूर नहीं करा सकी है। उसके सदस्य राज्यों की सीमायें समायोजित नहीं हो पाई हैं। केन्द्रीय सरकार उन मतभेदों को दूर करने के लिये जोर देकर कहाने में हिचकती है। क्षेत्रीय परिषद् का काम केवल सलाह देना नहीं है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा २१ में क्षेत्रीय परिषदों का काम यह भी बताया गया है कि क्षेत्रीय परिषदें अपने अपने क्षेत्र के राज्यों के बीच उठने वाले आर्थिक और सामाजिक सामान्य हितों, सीमा विवादों, अन्तर्राज्यिक परिवहन के मसलों, इत्यादि के बारे में चर्चा कर सकती है। इसलि सलाह देने से कुछ अधिक की शक्ति उनको प्रदान की गई है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: धारा २१ में ही कहा गया है कि क्षेत्रीय परिषदें केवल सलाहकारी होंगी।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मैंने उसी धारा की उपधारा (२) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है।

अभी तक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की ३-४ बैठकें हुई हैं। लेकिन हमारे बार बार अनुरोध के बावजूद अभी तक बिहार और उड़ीसा के बीच सरायकेला और खारसावां के समायोजन के प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई। गृह-कार्य मंत्रालय ने पिछले चार वर्ष में भी हमारे सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री इस पर चर्चा करके इसका कोई हल निकाल सकते थे।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् पर १९५८-५९ में ८६,९०० प से अधिक खर्च हुये थे। फिर भी विवाद ज्यों के त्यों बने ये हैं। इसका हल अभी तक इसीलि नहीं हो सका है कि भारत सरकार बिहार सरकार को अप्रसन्न नहीं करना चाहती। इसका हल तुरन्त निकलना चाहिये।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की कलकत्ता की बैठक की कार्यावलि में आसाम के गों का श्न इसलिये शामिल नहीं किया जा सका कि आसाम सरकार को उस पर आपत्ति थी।

उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में १२,००० मछुओं को उनकी रोजी से वंचित रखा जा रहा है। सिर्फ इसलिये कि वहां पश्चिमी बंगाल की यंत्रीकृत मछलीमार नौकायें पहुंच जाती हैं। पिछले तीन वर्ष से इस पर कोई समझौता नहीं हो सका है। पूर्वी क्षेत्रीय पा रषद् ने इस पर विचार ही नहीं किया।

फिर पूर्वी क्षे ीय परि द् की क्या उपयोगिता है ?

माननीय मंत्री मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दें।

†**श्री दातार** : राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा २१ में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् का काम केवल सलाह देना है। इसलिये क्षेत्रीय परिषदें केवल उन विषयों पर चर्चा कर सकती हैं, जिनकी चर्चा के लिये सदस्य-राज्य सरकारें सहमत हों। राज्य पुनर्गठन विधेयक संबंधी चर्चा के समय, सरायकेला और खारसावां के बारे में फजलअली आयोग का प्रतिवेदन हमें मिला था। आयोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि ये दोनों बिहार राज्य के हैं। इसके संबंध में, राज्य पुनर्गठन विधेयक के विचार प्रस्ताव की चर्चा के समय उड़ीसा के माननीय सदस्यों ने जितने

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

भी संशोधन रखे थे, सभी अस्वीकृत हो गये थे। इसलिय अब उस प्रश्न पर नये सिरे से चर्चा करने के लिये कोई गुंजाइश नहीं रह गई है।

हां, यदि दोनों राज्य सरकारें सहमत हों ो इनके प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार पुनः विचार कर सकती है। उसके लिये संसद् में एक विधेयक रखा जा सकता है। मद्रास और आंध्र प्रदेश के बीच कु प्रदेशों के तबादिले के बारे में, दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने उसकी चर्चा के लिये चार सिद्धात तय किये थे। फिर वह मामला मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री पाटस्कर को सौंप दिया गया था। उनका प्रतिवेदन दोनों सरकारों ने स्वीकार कर लिया था। तभी केन्द्रीय सरकार ने संसदीय अधि नियम द्वारा उसे अधिनियमित करने की बात मानी थी। पहल-कदमी दोनों सरकारों ने की थी।

महाराष्ट्र और गुजरात के प्रश्न पर भी बम्बई के मुख्य मंत्री और अब गुजरात के मुख्य मंत्री डा० जीवराज मेहता ने ही पहलकदमी की थी। उन्होंने अनौपचारिक रूप से आपस में करार करने के बाद ही, केन्द्रीय सरकार से कहा था।

इस मामले में भी उड़ीसा सरकार ने स प्रश्न को क्षेत्रीय परिषद् में उठाने का सुझाव दिया था। लेकिन बिहार सरकार उसके लिये राजी नहीं थी। उसका कहना था कि यह मामला बहुत पहले तय हो चुका है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की दिल्ली की बैठक में स्वर्गीय श्री गो० ब० पन्त ने सुझाव दिया था कि जब तक बिहार सरकार राजी न हो तब तक परिषद् इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती। उनका सुझाव था कि दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों को अनौपचारिक ढंग से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। बिहार के मुख्य मंत्री उसके बाद बहुत बीमार पड़ गये थे, इसलिये अनौपचारिक चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को ही फिर पहलकदमी करनी चाहिये। तभी उसे परिषद् में उठाया जा सकेगा। परिषद् के निर्णय के बाद ही, भारत सरकार इस मामले में कोई कदम उठा सकेगी।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या श्री पन्त ने सका कोई हल भी बताया था ?

†**श्री दातार** : उन्होंने यही कहा था कि बिहार सरकार इसे तयशुदा मामला मानती है, इस-लि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री ही अब आपसी तौर पर ैठकर कोई सामान्य हल निकाल सकते हैं। ऐसा अभी तक किया नहीं गया है। भारत सरकार इस मामले में कोई पहलकदमी नहीं कर सकती।

उड़ीसा के पूर्वी तट पर मछलीमारी का प्रश्न भी एक अवस्था पर उठा था, और तब यही बेहतर समझा गया था कि मुख्य सचिवों को इस पर पहले आपस में विचार कर लेना चाहिये। उसके बाद ही, परिषद् उस पर विचार कर सकेगी। यह पहलकदमी दोनों राज्यों को अनौपचारिक ढंग से। करनी पड़ेगी।

इस मामले में ारा २१ से कोई सहायता नहीं मिल सकती।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या मछलीमारी के प्रश्न के बारे में दोनों मुख्य सचिवों की इन तीन वर्षों में कोई बैठक हुई है ?

†**श्री दातार** : दोनों मुख्य सचिव इस प्रश्न पर चिार कर रहे हैं।

इसके पश्चात् शोक-सभा बुधवार, २९ मार्च, १९६१/८ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिय स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २८ मार्च, १९६१
७ चैत्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३६२३--४३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
११३६	रूरकेला और दुर्गापुर के बारे में फ्रांसीसी और ब्रिटिश दलों की रिपोर्टें	३६२३--२७
११३८	इस्पात पुनर्वेलन कारखाने	३६२७--३०
११३९	अध्यापक	३६३०--३२
११४०	पिछड़े वर्ग	३६३२--३६
११४१	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	३६३७--३९
११४२	औजारी और धातु मिश्रित इस्पात	३६३९--४१
११४३	सिसली के घोड़ों और खच्चरों की खरीद	३६४१
११४४	दुगदा और भौंजूडीह के कोयला धोने के कारखाने	३६४१--४३
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३६४३--९३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
११३७	कोयला खानों में खनन इंजीनियरों की कमी	३६४३
११४५	सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी	३६४३–४४
११४६	पी० टी० ओ० रियायत	३६४४
११४८	कावेरी पूमपतनम् में खुदाई	३६४४–४५
११४९	कांगों को सैनिक टुकड़ियां	३६४५
११५०	तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये ब्रिटेन की सहायता	३६४५
११५१	विदेशों में भारतीय प्रविधिज्ञ	३६४६
११५२	उड़ीसा विधान सभा के लिये निर्वाचन	३६४६
११५३	भारत और चीन के बीच विद्यार्थियों का आदान प्रदान	३६४६–४७
११५४	कांगो को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल	३६४७
११५५	कोयले की ढुलाई	३६४७–४८

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

११५६	उड़ीसा का वेतन आयोग .	३६४८
११५७	केन्द्रीय सूचना सेवा .	३६४९
११५८	दिल्ली में जनगणना .	३६४९
११५९	अप्रत्यक्ष करों का आपात . .	३६४९–५०
११६०	भिलाई इस्पात परियोजना के पदाधिकारी . .	३६५०
११६१	तेल की खोज के लिये लाइसेंस .	३६५०
११६२	इंडो-स्टेनवाक पट्रोलियम परियोजना . . .	३६५०–५१
११६३	सीमावर्ती जिले .	३६५१
११६४	कोयला धोने के कारखाने	३६५१–५२
११६५	कुद-बनिहाल सड़क . .	३६५२
११६६	स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन . .	३६५२–५३
११६७	'पूर्वधारणा से मुक्ति' आन्दोलन . .	३६५३
११६८	दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क .	३६५४
११६९	जमीन के नीचे कोयले की गैस बनाना . . .	३६५४
११७०	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारियों को स्थायी बनाना .	३६५४
११७१	मद्रास में पुरातत्वीय खुदाई . . .	३६५५
११७२	अमृतसर में ऊन और रेशम के छोटे पैमाने के कारखाने	३६५५
११७३	दिल्ली में भिक्षावृत्ति की रोकथाम	३६५५–५६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३७४	दिल्ली में राष्ट्रीय नाटयशाला . . .	३६५६
२३७५	दिल्ली तथा नई दिल्ली में खुली नाट्यशालायें	३६५६
२३७६	विदेशी मुद्रा नियम का उल्लंघन .	३६५६–५७
२३७७	महाराष्ट्र को कोयले का आवंटन . .	३६५७
२३७८	बिहार में भूमिगत जल के संसाधन . .	३६५७–५८
२३७९	मध्य प्रदेश में स्कूल होस्टल . .	३६५८–५९
२३८०	त्रिपुरा और मनीपुर में हाई स्कूल और कालेज	३६५९
२३८१	त्रिपुरा में शिक्षक . . .	३६५९–६०
२३८२	गाजा में भारतीय . .	३६६०–६१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३८३	इंजीनियरिंग कालेजों और प्रौद्योगिकी संस्थाओं (इंस्टीट्यूटस आफ टैक्नोलाजी) का निर्माण . . .	३६६१
२३८४	त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता .	३६६१
२३८५	त्रिपुरा में फौजदारी के मामले	३६६१
२३८६	केन्द्रीय सूचना सेवा के सदस्यों के वेतन क्रम . .	३६६२
२३८७	आदिम जाति ग्राम कल्याण विभाग, उड़ीसा के कर्मचारी .	३६६२
२३८८	आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग, उड़ीसा द्वारा सिलाई की मशीनों का वितरण . . .	४६६२-६३
२३८९	जिला बौलंगीर, उड़ीसा के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्र-वृत्तियां	३६६३
२३९०	सर्कस को लोकप्रिय बनाना .	३६६३
२३९१	सर्कस के प्रशिक्षण के लिये संस्था	३६६३
२३९२	खेल आदि की उन्नति	३६६४
२३९३	विदेशों के लिये सर्कस दल .	३६६४
२३९४	सर्कस का विकास . . .	३६६४
२३९५	पंजाब में हिन्दी के विकास के लिये अनुदान . .	३६६४-६५
२३९६	मद्रास विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोहों के लिये अनुदान .	३६६५
२३९७	पंजाब में आयकर आदि की बकाया रकमें . .	३६६५
२३९८	पंजाब में संस्कृत के संगठनों को अनुदान	३६६६
२३९९	पंजाब में पुरातत्व संबंधी खुदाइयां	३६६६
२४००	दिल्ली में बाल भवन	३६६६
२४०१	उड़ीसा में पिछड़े वर्गों के मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्र-वृत्तियां . .	६६६७
२४०२	उड़ीसा में सांस्कृतिक विकास . . .	३६६७
२४०३	प्रतिरक्षा संस्थापनों में असैनिकों का प्रशिक्षण	३६६८
२४०४	अमेरिका के एशिया फाउन्डेशन से पुस्तकें . .	३६६८
२४०५	त्रिपुरा में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज	३६६८
२४०६	रूरकेला में भूमि अर्जन . .	३६६९
२४०७	आयकर तथा सम्पदा शुल्क की बकाया राशि	३६६९
२४०८	गांजे का अवैध व्यापार	२६६९-७०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२४०९	प्रशासकीय कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज, हैदराबाद	३६७०
२४१०	गणराज्य दिवस	३६७०
२४११	मुरादाबाद में अग्नेयास्त्र बनाने का गैर-कानूनी कारखाना .	३६७०
२४१२	गणतन्त्र दिवस परेड . .	३६७१
२४१३	नागार्जुन कोंड़ा की खुदाइयां . . .	३६७१
२४१४	पंजाब में कोयले की कमी	३६७१–७२
२४१५	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	३६७२
२४१६	कोयला भेजा जाना	३६७२
२४१७	तेल का विपणन	३६७३
२४१८	भिलाई में चौथी रोलिंग मिल . .	३६७३–७४
२४१९	राष्ट्रीय कोला विकास निगम द्वारा कोयला उत्पादन .	३६७४
२४२०	भारत और पाकिस्तान के बीच प्राध्यापकों आदि का आदान-प्रदान	३६७४
२४२१	हिन्दी में सरकारी संकल्प . .	३६७५
२४२२	मंत्रालयों के प्रकाशों के हिन्दी रूपान्तर . .	३६७५
२४२३	हिन्दी पढ़ाओ योजना . . .	३६७५–७६
२४२४	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	३६७६
२४२५	अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता . .	३६७६–७७
२४२६	छावनी बोर्ड के कर्मचारी . .	३६७७
२४२७	छावनी बोर्ड के कर्मचारी . .	३६७७–७८
२४२८	भारत के राज्य बैंक की शाखायें . .	३६७८
२४२९	मनीपुर में सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रम	३६७८
२४३०	मनीपुर के कर्मचारियों के लिये चावल का भत्ता	३६७९
२४३१	मनीपुर प्रशासन में प्राथमिकता क्रम	३६७९
२४३२	नागा विद्रोहियों की नजरबन्दी . .	३६७९
२४३३	उखरूल डिवीजन में बम विस्फोट .	३६७९–८०
२४३४	मनीपुर में बाल अपचार . . .	३६८०
२४३५	नागा विद्रोहियों द्वारा अपहरण .	३६८०
२४३६	नेफा और मनीपुर के बीच सीमायें .	३६८०–८१
२४३७	आई० ए० एफ० स्टेशन, चकेरी के कर्मचारी	३६८१
२४३८	भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर	३६८१–८२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२४३९	उड़ीसा में बाढ़	३६८२
२४४०	मद्रास राज्य में छोटी बचत संग्रह	३६८२
२४४१	मनीपुर में हिन्दी संगठनों को अनुदान	३६८२–८३
२४४२	आन्ध्र प्रदेश के शिक्षकों के लिये पेन्शन योजना	३६८३
२४४३	दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्रसंघ	३६८३
२४४४	मैसूर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश	३६८३–८४
२४४६	पाकिस्तान को जीवन बीमा निगम की सहायता	३६८४
२४४७	दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये खेल कूद का मैदान (स्टेडियम)	३६८४
२४४८	हिमाचल प्रदेश में वर्षा आदि से नुकसान	३६८४–८५
२४४९	हिमाचल प्रदेश में घराट	३६८५
२४५०	दिल्ली के स्कूलों में फीस	३६८५–८६
२४५१	उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति	३६८६
२४५२	उड़ीसा में नौकाओं की खरीद के लिये अनुसूचित आदिम जातियों को सहायता	३६८६–८७
२४५३	उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान	३६८७
२४५४	निर्वाचन याचिका	३६८७
२४५५	कार का उपहार	३६८७–८८
२४५६	उप-निर्वाचन	३६८८
२४५७	बैंक कर्मचारियों को सुविधायें	३६८८–८९
२४५८	उड़ीसा में छोटे सिक्के	३६८९
२४५९	जाली नोट	३६८९
२४६०	कारागार कल्याण समिति	३६८९–९०
२४६१	युवक कल्याण सम्बन्धी गतिविधियां	३६९०
२४६२	गंजम में लोक सभा के लिये उपनिर्वाचन	३६९०–९१
२४६३	सरकारी कंपनियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का सुरक्षित रखा जाना	३६९१
२४६४	कलकत्ते में पटसन की वस्तुओं का जब्त किया जाना	३६९१
२४६५	बकाया सम्पत्ति कर	३६९२
२४६६	पुलिस अफसरों की सेवावधि बढ़ाना	३६९२
२४६७	कानपुर क्षेत्र में खानों पर कोयले का जमा हो जाना	३६९२–९३

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३६९३—९५

श्री प्रफुल्ल चन्द्र बरुआ ने रेलवे टिम्बर डिपो, ढिलवां में करोड़ों रुपये की लकड़ी के आग से नष्ट हो जाने की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया।

रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६९५—९६

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये :—

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अशोक होटल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३६९६—९७

एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये।

सदस्य द्वारा वक्तव्य ३६९७—३७००

श्री हेम बरुआ ने रुद्रसागर के तेल के कुएं के बारे में खान और तेल मंत्री द्वारा १४ मार्च, १९६१ को दिये गये भाषण से उत्पन्न होने वाले कुछ विषयों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने उस के उत्तर में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक पुरःस्थापित किये गये . ३७००

(१) दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) कारीगर सहायता विधेयक, १९६१।

(२) अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक, १९६१।

(३) उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१।

उड़ीसा का आय-व्ययक, १९६१—६२—सामान्य चर्चा . . ३७०१—१७

उड़ीसा आय-व्ययक, १९६१—६२ पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। चर्चा समाप्त हुई।

विषय पृष्ठ

लेखानुदानों की मांगें (उड़ीसा), १९६१-६२ . . . ३७१७—१९

उड़ीसा आय-व्ययक के बारे में वर्ष १९६१-६२ के लेखानुदान पूरे पूरे स्वीकृत हुए ।

विधेयक—पारित किया गया ३७१९-२०

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

अनुदानों की मांगें . . . . . ३७२०—२७

गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगो पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा ३७२८-२९

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ३३३ के २८ फरवरी, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने वाद विवाद का उत्तर दिया ।

बुधवार, २९ मार्च, १९६१/८ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—150(Ai)LSD—16-5-61—125